लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

3rd

LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र
Tenth Session]

[खंड 35 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XXXV contains Nos. 1—10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI.

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee.

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi / English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची

अंक 5, शनिवार, 21 नवम्बर, 1964/30 कार्तिक, 1886 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

*तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
106	जनसंख्या की समस्या	371—73
107	गर्भपात को वैद्य घोषित करना	374—76
108	चतुर्थ योजना	377
115	चतुर्थ योजना	378
127	चतुर्थ योजना	379—84
109	चिकित्सा संस्थायें	384—87
110	राष्ट्रीय योजना परिषद्	387—91
112	दामोदर घाटी निगम की नौवहन नहर	391–92

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

111	विदेशी मुद्रा के रिज़र्व	392–93
113	बैंक दर में वृद्धि	393
114	सिंचाई परियोजनायें	393–94
116	स्वर्गीय प्रधान मंत्री की चिकित्सा व्यवस्था	394
117	दिल्ली में जल का दूषित होना	394–95
118	बर्ड एण्ड कम्पनी	395
120	भविष्य निधि का जमा राशि पर ब्याज	395–96
121	परिवार नियोजन	396
122	अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबन्ध निदेशक	396–97
123	बैनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड	397
125	कृष्णा-गोदावरी जल-विवाद	397–98
126	यूनिट ट्रस्ट की यूनिटें	398
128	छोटे नगरों का आर्थिक विकास	399
129	योजना आयोग का पुनर्गठन	399–400
130	दिल्ली में बाढ़	400–01

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

CONTENTS

No. 5.—Saturday, November 21, 1964/Kartika 30, 1886 (Saka).

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Question Nos.	*Subject*	*Pages*
106	Population Problem .	771—73
107	Legalisation of Abortion .	374—36
108	Fourth Plan .	377
115	Fourth Plan .	378
127	Fourth Plan .	379—84
109	Medical Institutes	384—87
110	National Planning Council	387—91
112	D.V.C. Navigational Canal .	391-92

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

111	Foreign Exchange Reserves . .	392—93
113	Increase in Bank Rate	393
114	Irrigation Projects	393-94
116	Medical Treatment of the Late Prime Minister .	394
117	Water Pollution in Delhi .	394-95
118	Bird and Co	395
119	Survey of Urban Unemployment . . .	395
120	Interest on Provident Fund Accumulations .	395—96
121	Family Planning . .	396
122	Managing Director of I.M.F. . .	396—97
123	Bennett Coleman and Co. Ltd. . .	397
125	Krishna Godavari Waters Dispute . .	397—98
126	Unit Trust Units	398
128	Economic Development of Small Towns . .	399
129	Reorganisation of Planning Commission . .	399—400
130	Floods in Delhi	400—01

*The sign+marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमश :

*तारांकित
प्रश्न संख्या

	विषय	पृष्ठ
131	लोदी हाउस होस्टल, नई दिल्ली . .	401
132	टोक्यो में विश्व बैंक की बैठक .	401—02
133	दिल्ली में उपभोक्ता वस्तुओं के भाव . . .	302
134	सिंचाई क्षमता	403
135	बैंक आफ चाइना . . .	403—04

अतारांकित प्रश्न
संख्या

258	क्षय रोगियों को सहायता . .	404
259	बागमती नदी . . .	404
260	औद्योगिक विकास बैंक . . .	404—05
261	बंगलौर के लिये जल सम्भरण योजना . . .	405
262	दामोदर घाटी निगम का चन्द्रपुर बिजली घर . .	406
263	उड़ीसा में स्वर्णकार	406
264	उड़ीसा में परिवार नियोजन केन्द्र . . .	406—07
265	कृषि परियोजनाओं को विश्व बैंक की सहायता . .	407—08
267	सरकारी अधिकारियों की विदेश यात्रा . . .	408
268	विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रादेशिक समिति . .	408—09
269	तस्कर व्यापार	409—10
270	दिल्ली के लिये संक्रामक रोग एकक . . .	410—11
271	नई दिल्ली में सिनेमाओं का निर्माण . .	411
272	कोपिली नदी घाटी परियोजना . .	411
273	नकली "प्रवर्तन गिरोह"	411—12
274	आयुर्वेदिक अध्ययन और गवेषणा संस्था, जामनगर . .	412
275	प्रधान मंत्री का निवास स्थान	412—13
276	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में हिन्दी के टाइपराइटर .	413
277	विदेशी फर्म के विरुद्ध जांच . .	413
278	गर्भ निरोधक का निर्माण .	414
279	रैन बसेरे	414
280	दिल्ली विकास प्राधिकार . . .	414—15
281	नजफगढ़ झील, दिल्ली . .	415
282	विद्युदणु संदंधी (इलेक्ट्रानिक) मशीनें . .	415—16
283	सरकारी कर्मचारियों के लिये मकान . .	416
284	ग्राम्य क्षेत्रों के लिये बिजली	416
285	दिल्ली में पानी के नलों में जीवित कीटाणु . .	417
286	रिजर्व बैंक के नियंत्रणाधीन सहकारी बैंक . . .	417

Starred Question Nos.	*Subject*	PAGES
131	Lodhi House Hostel, New Delhi	401
132	World Bank meeting at Tokyo	401-02
133	Prices of Consumer Goods in Delhi	402
134	Irrigation Potential	403
135	Bank of China	403-04
Unstarred Question Nos.		
258	Aid to T.B. Patients	404
259	Bagmati River	404
260	Industrial Development Bank	404-05
261	Water Supply Scheme for Bangalore	405
262	D.V.C's Chandrapura Power Station	406
263	Goldsmiths in Orissa	406
264	Family Planning Clinics in Orissa	406-07
265	World Bank Assistance to Agricultural Projects	407-08
267	Government Official's Visits Abroad	408
268	W. H. O. Regional Committee	408-09
269	Smuggling	409-10
270	Epidemiological Unit for Delhi	410-11
271	Construction of Cinema Houses in New Delhi	411
272	Kopili River Valley Project	411
273	Fake Enforcement Gang	411-12
274	Institute of Ayurvedic Studies and Research Jamnagar	412
275	Prime Minister's Residence	412-13
276	Hindi Typewriters in C.P.W.D.	413
277	Investigations against Foreign Firm	413
278	Manufacture of Contraceptives	414
279	Night Shelters	414
280	Delhi Development Authority	414-15
281	Najafgarh Lake, Delhi	415
282	Electronic Machines	415-16
283	Accommodation to Government Employees	416
284	Electric power for rural area	416
285	Live Germs in Delhi Tap Water	417
286	Co-operative Banks under Reserve Bank Control	417

इनों के लिखित उत्तर—क्रमश :

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
287	साउथ एवेन्यू डिस्पैंसरी . . .	417–18
288	अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था	418
290	केन्द्रीय आयुर्वेदिक चिकित्सा परिषद्	418–19
291	रिहन्द बांध	419
292	विस्थापित पेंशनर	419
293	विस्थापित पेंशनर .	420
294	हृदय में अपर्याप्त रक्त संचार	420–21
295	मानव मस्तिष्क संबंधी गवेषणा	421
296	परिवार नियोजन . . .	422
297	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग का मैसूर क्लेक्टोरेट	422
298	कर वसूली	422–23
299	डेन्वयू बुखार . . .	424
300	इन्द्रावती घाटी का प्रौद्योगिक–आर्थिक सर्वेक्षण	424–25
301	कोठागुडियम तापीय संयन्त्र . .	425
302	परिवार नियोजन कार्यकर्त्ताओं के लिये भत्ते	425
303	कांजी राप्पुझा सिंचाई योजना . .	425–26
304	सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में मजूरी	426
305	विदेशी बैंकों की पूंजी	426
306	ग्राम्य गृह निर्माण योजना	427
307	केन्द्रीाय आवास बोर्ड	427–28
308	अस्पतालों संबंधी आयोग	428
309	शिमला में सरकारी होटल	428
310	कृषि वित्त निगम . .	428–29
311	राजस्थान नहर क्षेत्र में बस्तियां बसाना	429
312	महालनवीस समिति	429
313	सोने का तस्कर व्यापार	430
314	घड़ियों का तस्कर व्यापार	430
315	पंजाब को वित्तीय आवण्टन . .	430
316	सरकारी मकानों का अस्थायी अलाटमेंट . .	431
317	किपिंग ऋण . . .	431

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

जम्मू तथा काश्मीर सीमा पर पाकिस्तानी सैनिकों के साथ हुई मुठभेड़ों में भारतीय सैनिकों के लापता होने का समाचार . . . 432—434

श्री अ ० ना ० विद्यालंकार

डा ० द ० स ० राजू

Unstarred Question Nos.	*Subject*	PAGES
287	South Avenue Dispensary	417–18
288	All India Institute of Medical Sciences	418
290	Central Council for Ayurvedic Medicine	418–19
291	Rihand Dam	419
292	Displaced Pensioners	419
293	Displaced Pensioners	420
294	Coronary Insufficiency	420–21
295	Research in Human Brain	421
296	Family Planning	422
297	Central Excise, Mysore Collectorate	422
298	Tax Collection	422–23
299	Dengue Fever	424
300	Techno Economic Survey of Indravati Basin	424–25
301	Kothagudium Thermal Plant	425
302	Allowance for family Planning Workers	425
303	Kanjirappuzha Irrigation Scheme	425–26
304	Wages in Public and Private Sector Industry	426
305	Capital of Foreign Banks	426
306	Rural Housing Scheme	427
307	Central Housing Board	427–28
308	Commission on Hospitals.	428
309	Government Hotel in Simla	428
310	Agricultural Finance Corporation	428–29
311	Colonisation of Rajasthan Canal Area	429
312	Mahalanobis Committee	429
313	Smuggling of Gold	430
314	Smuggling of Watches	430
315	Financial Allocation to Punjab	430
316	Temporary Allotment of Government Accommodation	431
317	Kipping Loan	431

Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—

Army Personnel reported missing in skirmishes with Pakistani troops . . . . . 432—34

Shri A.N. Vidyalankar

Dr. D.S. Raju

विषय	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गये पत्र	
राज्य सभा से सन्देश	
जन्म तथा मृत्यु का पंजीयन विधेयक	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . .	434—35
किसी सदस्य के निधन पर सभा की बैठक स्थगित करने के बारे में प्रक्रिया	
समिति के लिये निर्वाचन	
राजघाट समाधि समिति . .	437
खाद्य निगम विधेयक	
विचार करने का प्रस्ताव	
श्री नारायण दांडेकर	437
श्री अ०प्र०जैन .	440
श्री मे०क०कुमारन	441
श्रीमती लक्ष्मी बाई	442
श्री विभूति मिश्र	443
श्री काशीराम गुप्त	444
श्री खाडिलकर	445
श्री अ०शं०आल्वा .	446
श्री यु०सिं०चौधरी .	447
श्री पु०र०पटेल .	448
श्री करुथिरमण .	450
श्री उमानाथ . .	452
श्री च०का०भट्टाचार्य .	453
श्री अल्वारेस . .	454
श्री दे०शि०पाटिल	455
श्री सेझियान .	455
डा०मा०श्री०अणे .	456
डा०सरोजिनी महिषी	456
श्री मुहम्मद इस्माइल	457
श्री चि०सुब्रह्मण्यम .	457
खण्ड 2 से 13	462—472

Subject PAGES

Papers laid on the Table—

Message from Rajya Sabha
Registration of Births and Deaths Bill
Laid on the Table, as passed by Rajya Sabha 434-35

Procedure re : Adjournment of House on death of Member
Election to Committee .

Rajghat Samadhi Committee 437

Food Corporations Bill—
Motion to consider—

Shri N. Dandekar . . 437
Shri A.P. Jain . 440
Shri M.K. Kumaran . 441
Shrimati Laxmi Bai 442
Shri Bibhuti Mishra 443
Shri Kashi Ram Gupta . 444
Shri Khadilkar . 445
Shri A.S. Alva . 446
Shri Y.S. Chaudhary 447
Shri P.R. Patel . 448
Shri Karuthiruman. 450
Shri Umanath . . 452
Shri C. K. Bhattacharyya . 453
Shri Alvares . 454
Shri D.S. Patil . . . 455
Shri Sezhiyan 455
Dr. M.S. Aney . . 456
Dr. Sarojini Mahishi . . . 456
Shri Mohammad Ismail 457
Shri C. Subramaniam . . . 457

Clauses 2 to 13 . . . . . 462—72

लोक-सभा

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अ

अंकिनीड, श्री (गुडिवाडा)
अजनप्पा, श्री (नेल्लोर)
अकम्मा देवी, श्रीमती (नीलगिरी)
अचल सिंह, श्री (आगरा)
अच्युतन, श्री (मावेलिक्करा)
अणे, डा० मा० श्री (नागपुर)
अब्दुल रशीद, बख्शी (जम्मू तथा काश्मीर)
अब्दुल वहीद, श्री (वैल्लोर)
अरुणाचलम, श्री (रामनाथपुरम्)
अलगेशन, श्री (चिंगलपट)
अल्वारेस, श्री (पंजिम)

आ

आजाद, श्री भगवत झा (भागलपुर)
आल्वा, श्री अ० शंकर (मंगलौर)
आल्वा, श्री जोकीम (कनारा)

इ

इकबाल सिंह, श्री (फीरोजपुर)
इम्बोचिबावा, श्री इजुकुढेक्कल (पोन्नाणि)
इलियापेरुमाल, श्री (तिरुकोइलूर)
इलियास, श्री मुहम्मद (हावड़ा)

उ

उइके, श्री मं० गं० (मंडला)
उटिया, श्री (शहडोल)

उ—क्रमशः

उपाध्याय, श्री शिवदत्त (रीवां)

उमानाथ, श्री (पुद्दकोट्टै)

उलाका, श्री रामचन्द्र (कोरापट)

ए

एंथनी, श्री फेंक (नाम-निर्देशित—आंग्ल भारतीय)

एरिंग, श्री डा० (नाम-निर्देशित—उत्तर-पूर्व सीमांत क्षेत्र)

ओ

ओंकार सिंह, श्री (बदायूं)

ओझा, श्री घनश्याम लाल (सुरेन्द्रनगर)

क

कक्कड़, श्री गौरीशंकर (फतेहपुर)

कछवाय, श्री हुक्म चन्द (देवास)

कजरोलकर, श्री सादोबानारायण (बम्बई मध्य प्रदेश)

कटकी, श्री लीलाधर (नवगांव)

कडाडी, श्री मांदे या बंदप्पा (शोलापुर)

कनकसवै, श्री (चिंदाबरम्)

कन्डप्पन, श्री (तिरूचेगोड)

कपूर सिंह, सरदार (लुधियाना)

कबिर, श्री हुमायून् (बसिरहाट)

कयाल, श्री परेशनाथ (जयनगर)

करुथिरमण, श्री (गोबीचेट्टिपलयम)

कर्णी सिंहजी, श्री (बीकानेर)

कांबले, श्री तु० द० (लातूर)

कानूनगो, श्री नित्यानन्द (कटक)

कामत, श्री हरि विष्णु (होशंगाबाद)

कार, श्री प्रभात (हुगली)

किन्दर लाल, श्री (हरदोई)

किशन वीर, श्री (सतारा)

किशिंग, श्री रिशांग (बाह्य मनीपुर)

कुन्हन, श्री प० (पालघाट)

कुमारन, श्री मे० क० चिरयिन्कील)

क—क्रमशः

कुरील, श्री बैजनाथ (रायबरेली)
कृपा शंकर, श्री (डुमरिया गंज)
कृपालानी, श्री जी० भ० (अमरोहा)
कृष्ण, श्री मं० रं० पद्मपल्लि)
कृष्णपाल सिंह, श्री (जलेसर)
कृष्णमाचारी, श्री ति० त० (त्रिचेंदूर)
केदरिया, श्री छ० म० मांडवी)
केप्पन, श्री चेरियन (मुबात्तुपुजा)
केसर लाल, श्री (सवाई माधोपुर)
कोया, श्री (कोजीकोड)
कोलाको, डा० (गोआ, दमन, और दीव)
कोहोर, डा० राजेन्द्र (फूलबनी)
कोजलगी, श्री हे० वी० (बलगांव)

ख

खन्ना, श्री प्रेम किशन (कायमगंज)
खन्ना, श्री मेहर चन्द (नई दिल्ली)
खां, श्री उस्मान अली (अनन्तपुर)
खां, डा० पूर्णेन्दनारायण (उलुबेरिया)
खां, श्री शाहनवाज (मेरठ)
खाडिलकर, श्री र० के० (खेड़)

ग

गंगा देवी, श्रीमती (मोहनलालगंज)
गजराज सिंह राव, श्री (गुड़गांव)
गणपति राम, श्री (मछलीशहर)
गयासुद्दीन अहमद, श्री (धुबरी)
गहमरी, श्री शिवनाथ सिंह (गाजीपुर)
गांधी, श्री व० बा० (बम्बई नगर—मध्य दक्षिण)
गायकवाड़, श्री फतहसिंहराव प्रतापसिंह राव (बड़ौदा)
गायत्री देवी, श्रीमती (जयपुर)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (कलकत्ता—दक्षिण पश्चिम)
गुप्त, श्री काशीराम (अलवर)

ग—क्रमशः

गुप्त, श्री प्रिय (कटिहार)
गुप्त, श्री बादशाह (मनपुरी)
गुप्त, श्री शिवचरण (दिल्ली सदर)
गुलशन, श्री धन्ना सिंह (भटिंडा)
गुह, श्री अ० चं० (बारसाट)
गोकरन प्रसाद, श्री (मिसरिख)
गोनी, श्री अब्दुल गनी (जम्मू तथा काश्मीर)
गोपालन, श्री अ० क० (कासरगोड)
गोविन्द दास, डा० (जबलपुर)
गोंडर, श्री मुत्तु (तिरुपत्तर)

घ

घोष, श्री अतुल्य (आसनसोल)
घोष, श्री न० रं० (जलपाईगुड़ी)
घोष, श्री प्र० कु० (रांची-पूर्व)

च

चक्रवर्ती, श्री प्र० रं० (धनबाद)
चक्रवर्ती, श्रीमती रेणु (बैरकपुर)
चटर्जी, श्री नि० चं० (बर्दवान)
चटर्जी, श्री ह० प० (नवद्वीप)
चतर सिंह, श्री (चम्बा)
चतुर्वेदी, श्री श० ना० (फिरोजाबाद)
चन्दा, श्रीमती ज्योत्सना (कचार)
चन्द्रभान सिंह, श्री (बिलासपुर)
चन्द्रशेखर, श्रीमती म० (मयूरम)
चन्द्रिकी, श्री जगन्नाथराव (रायचर)
चव्हाण, श्री दा० रा० (करोड़)
चव्हाण, श्री यशवन्तराव (नासिक)
चांडक, श्री मी० ल० (छिंदवाड़ा)
चावड़ा, श्रीमती जोहराबेन (बनस्कंठा)
चुन्नीलाल, श्री (अम्बाला)
चौधरी, श्रीमती कमला (हापुड़)

च—क्रमशः

चौधरी, श्री चन्द्रमणिलाल (महुआ)
चौधरी, श्री त्रिदिब कुमार (बरहामपुर)
चौधरी, श्री दिगम्बर सिंह (मथरा)
चौधरी, श्री युद्धवीर सिंह (महेन्द्रगढ़)
चौधरी, श्री सचीन्द्रनाथ (घाटल)

ज

जगजीवन राम, श्री (ससराम)
जमीर, श्री स० चु० (नामनिर्देशित—नागालैण्ड)
जमुना देवी, श्रीमती (झबुआ)
जयपाल सिंह, श्री (रांची—पश्चिम)
जयरामन, श्री वांडीवाश)
जाधव, श्री तुलशीदास (नांदेड़)
जाधव, श्री माधवराव लक्ष्मणराव (मालेगांव)
जेधे, श्री गुलाबलराव केशवराव (बारामती)
जेना, श्री कान्हूचरण (भद्रक)
जैन, श्री अजित प्रसाद (तुमकुर)
जोशी, श्री आनन्द चन्द्र (सीधी)
जोशी, श्रीमती सुभद्रा (बलरामपुर)
ज्योतिषी, श्री ज्वाला प्रसाद (सागर)

झ

झा, श्री जोगेगन्द्र (मधुबनी)

ट

टांटिया, श्री रामेश्वर (सीकर)

ड

डे, श्री सु० कु० (नागौर)

त

तन सिंह, श्री (बाड़मेर)
ताहिर, श्री मुहम्मद (किशनगंज)
तिम्मय्या, श्री डोडा (कोलार)
तिवारी, श्री कमलनाथ (बगहा)
तिवारी, श्री द्वारकानाथ (गोपालगंज)
तिवारी, श्री राम सहाय (खजुराहो)

तुला राम, श्री (घाटमपुर)
तेवर, श्री बरोना (पंजानूर)
त्यागी, श्री महाबीर (देहरादून)
त्रिपाठी, श्री कृष्ण देव (उन्नाव)
त्रिवेदी, श्री उ० मू० (मन्दसौर)

थ

थामस, श्री अ० म० (एरणाकुलम)
थेंगल, श्री नल्लाकोया (नामनिर्देशित—लक्कदीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप समूह)
थेदगोंडर, श्री गोपालस्वामी (नागपट्टिनम्)

द

दफले, श्री (मिरज)
दलजीत सिंह, श्री (उना)
दशरथ देव, श्री (त्रिपुरापुर्व)
दांडेकर, श्री नारायण (गोंडा)
दाजी, श्री होमी (इंदौर)
दास, श्री (तिरुपति)
दास, श्री निगम तारा (जमुई)
दास, श्री बसन्त कुमार (कंटाई)
दास, डा० मनमोहन (औग्रासम)
दास, श्री सुधांशु भूषण (डायमन्द हार्बर)
दिगे, श्री भास्कर नारायण (कोलाबा)
दिनेश सिंह, श्री (सालोन)
दिक्षित, श्री गो० ना० (इटावा)
दुबे, श्री राजाराम गिरधारीलाल (बीजापुर उत्तर)
दरै, श्री काशीनाथ (अरूप्पुकोट्टै)
देव, श्री प्रताप केसरी (कालाहांडी)
देव, श्री विजयभूषण (रायगढ़)
देवभंज, श्री पू० चं० (भुवनेश्वर)
देशमुख, डा० पंजाब राव शा० (अमरावती)
देशमुख, श्री भा० द० (औरंगाबाद)
देशमुख, श्री शिवाजी शंकरराव (परभणी)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)

द्विवेदी, श्री म० ला० (हमीरपुर)

द्विवेदी, श्री सुरेन्द्रनाथ (केन्द्रपाड़ा)

दोराइ, श्री काशीनाथ (अरुप्पुकोट्टई)

ध

धर्मलिंगम, श्री र० (तिरुवन्नामलाई)

धवन, श्री (लखनऊ)

धूलेश्वर मीन, श्री (उदयपुर)

न

नन्दा, श्री गुलजारीलाल (सबरकंठा)

नम्बियार, श्री आनन्द (तिरूचिरापल्लि)

नाथपाई, श्री (राजापुर)

नायर, श्री दे० जी० (पंचमहल)

नायक, श्री महेश्वर (मयूरगंज)

नायक, श्री मोहन (भजनगर)

नायडू, श्री ब० गोविन्दस्वामी (तिरुवल्लूर)

नायर, श्री नी० श्रीकान्तन (क्विलोन)

नायर, श्री वासुदेवन (अम्बलपुजा)

नायर, डा० सुशीला (झांसी)

नास्कर, श्री पू० शे० (मथुरापुर)

निगम, श्रीमती सावित्री (बांदा)

निरंजन लाल, श्री (नाम-निर्देशित—अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह)

नेसामनी, श्री (नागरकोइल)

प

पंत, श्री कृष्णचन्द्र (नैनीताल)

पटनायक, श्री किशन (सम्बलपुर)

पटनायक, श्री वैष्णव चरण (ढेंकानाल)

पटेल, श्री छोटूभाई (भड़ौंच)

पटेल, श्री नानूभाई नि० (बुलसार)

पटेल, श्री पुष्पोत्तम दास र० (पाटन)

पटेल, श्री मानसिंह पु० (मेहसाना)

पटेल, श्री राजेवश्र (हाजीपुर)

पट्टाभिरामन, श्री चे० रा० (कुम्वकोणम्)

पन्नालाल, श्री (अकबरपुर)

प--क्रमशः

परमशिवन, श्री० स० क० (इरोड)

पराधी, श्री भोलाराम (बालाघाट)

पांडे, श्री काशीनाथ (हाटा)

पाटिल, श्री जु० शं० (जलगांव)

पाटिल, श्री तु० अ० (उस्मानाबाद)

पाटिल, श्री देवराम शिवराम (यवतमाल)

पाटिल, श्री मा० म० (रामटेक)

पाटिल, श्री बसन्तराव (चिकोड़ी)

पाटिल, श्री वि० तु० (कोल्हापुर)

पाटिल, श्री स० ब० (बीजापुर--दक्षिण)

पाटिल, श्री स० का० (बम्बई--दक्षिण)

पाण्डेय, श्री रा० शि० (गुना)

पाण्डेय, श्री विश्वनाथ (विसलेमपुर)

पाण्डेय, श्री सरजू (रसड़ा)

पाराशर, श्री (शिवपुरी)

पालीवाल, श्री टीकाराम (हिंडोन)

पिल्ले, श्री नटराज (त्रिवेन्द्रम)

पुरी, श्री दे० द० (कैथल)

पृथवीराज, श्री (दौसा)

पोट्टेकाट्ट, श्री (टेलीचेरी)

प्रताप सिंह, श्री (सरमूर)

प्रभाकर, श्री नवल (दिल्ली--करोलबाग)

फ

फिरोडिया, श्री मोतीलाल कुन्दनमल (अहमदनगर)

बजाज, श्री कमलनयन (वर्धा)

बटेश्वर सिंह, श्री (गिरडीह)

बड़कटकी, श्रीमती रेणुका देवी (बारपेटा)

बड़े, श्री रामचन्द्र (खरगोन)

बदरुद्दजा, श्री (मुर्शिदाबाद)

बनर्जी, डा० रा० (बांकुरा)

बनर्जी, श्री स० मो० (कानपुर)

बरुआ, श्री प्रफुल्लचन्द्र (शिवसागर).

फ--क्रमशः

बरुआ, श्री राजेन्द्र नाथ (जोरहाट)

बरुआ, श्री हेम (गोहाटी)

बर्मन, श्री प० चं० (कूच-बिहार)

बसन्त कुमारी, श्रीमती (कैसरगंज)

बसवन्त, सोनुभाई दागडू (थाना)

बसुमतारी, श्री ध० (ग्वालपाड़ा)

बावलीवाल, श्री (दुर्ग)

ब

बागड़ी, श्री मनीराम (हिसार)

बाबू नाथ सिंह, श्री (सरगुजा)

बारूपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर)

बालकृष्ण सिंह, श्री (चन्दौसी)

बालकृष्णन, श्री (कोइलपट्टी)

बाल्मीकी, श्री क० ला० (खुर्जा)

बासप्पा, श्री (तिपतुर)

बिष्ट, श्री जं० ब० सिंह (अलमोड़ा)

बीरेन दत्त, श्री (त्रिपुरा-पश्चिम)

बूटा सिंह, श्री (मोगा)

बृजवासी लाल, श्री (फैजाबाद)

बृजराज सिंह, श्री (बरेली)

बृजराज सिंह--कोटा, श्री (झालावाड़)

बेसरा, श्री स० चं० (दुमका)

बेरवा, श्री ओंकार लाल (कोटा)

बेरो, श्री (नामनिर्देशित--आंग्ल-भारतीय)

ब्रजेश्वर प्रसाद, श्री (गया)

ब्रह्मप्रकाश, श्री (बाह्य दिल्ली)

भ

भंजदेव, श्री लक्ष्मीनारायण (क्योंझर)

भक्त दर्शन, श्री (गढ़वाल)

भगत, श्री बलीराम (शाहाबाद)

भगवती, श्री वि० चं० (दरांग)

भटकर, श्री लक्ष्मणराव श्रवनजी (खामगांव)

भ---क्रमशः

भट्टाचार्य (श्री च० का० (रायगंज)
भट्टाचार्य, श्री दीनेन (सेरामपुर)
भवानी, श्री लखमू (बस्तर)
भानुप्रकाश सिंह, श्री (रायगढ़)
भार्गव, पंडित मुं० वि० ला० (अजमेर)
भील, श्री प० ह० (दोहद)

म

मण्डल, श्री जियालाल (खगरिया)
मण्डल, डा० प० (विष्णुपुर)
मण्डल, श्री यमुना प्रसाद (जयनगर)
मंत्री, श्री द्वारका दास (भीर)
मच्छराजू, श्री प० (नरसीपटनम)
मजीठिया, सरदार सुरजीत सिंह (तरनतारन)
मणियंगाडन, श्री (कोट्टयम)
मेनन, श्री (दार्जिलिंग)
मनोहरन, श्री (मद्रास-दक्षिण)
मरंडी, श्री ईश्वर (राजमहल)
मरुथैया, श्री (मेलर)
मलाइछामी, श्री (पेरियाकुलम)
मलिक, श्री रामचन्द्र (जाजपुर)
मल्लया, श्री उ० श्री० (उदोपी)
मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीतलाल (जम्मू तथा काश्मीर)
मसानी, श्री मी० रू० (राजकोट)
मसूरिया, दीन, श्री (चैल)
महताब, श्री हरे कृष्ण (अंगुल)
महतो, श्री भंजहरि (पुरुलिया)
महन्ती, श्री गोकुलानन्द (बालासोर)
महादेव प्रसाद, डा० (महाराजगंज)
महादेव प्रसाद, श्री (बांसगांव)
महानन्द, श्री ऋषिकेश (बोलनगीर)
महिषि, डा० सरोजिनी (धारवाड़---उत्तर)

म--क्रमशः

महीड़ा, श्री नरेन्द्र सिंह (आनन्द)
माते, श्री कुरे (टीकमगढ़)
माथुर, श्री शिवचरण (भीलवाड़ा)
माथुर, श्री हरिश्चन्द्र (जालोर)
मालवीय, श्री के० दे० (बस्ती)
मिनीमाता, श्रीमती आगमदास गुरु (बालोदा बाजार)
मिर्जा, श्री बाकर अली (वारंगल)
मिश्र, डा० उदयकर (जमशेदपुर)
मिश्र, श्री विभुधेन्द्र (पुरी)
मिश्र, श्री मथुरा प्रसाद (बेगुसराय)
मिश्र, श्री महेश दत्त (खंडवा)
मिश्र, श्री विभूति (मोतीहारी)
मिश्र, श्री श्यामधर (मिरजापुर)
मुकर्जी, श्रीमती शारदा (रत्नगिरि)
मुकर्जी, श्री ही० ना० (कलकत्ता--मध्य)
मुकाने, श्री यशवन्तराव मार्तण्डराव (भिवाण्डि)
मुज्जफ्फर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
मुथिया, श्री (तिरुनेलवली)
मुन्जनी, श्री डविड (लोहरदगा)
मूरमू, श्री सरकार (बलरघाट)
मुरली मनोहर, श्री (बलिया)
मुरारका, श्री (झुंझनू)
मुसाफिर, श्री गुरमुख सिंह (अमृतसर)
मुहम्मद इस्माइल, श्री (मंजेरी)
मुहम्मद, युसूफ, श्री (सीवन)
मुहीउद्दीन, श्री (सिकन्दराबाद)
मूर्ति, श्री ब० सू० (अमालपुरम)
मूर्ति, श्री मि० सू० (अनकापल्ली)
मेनन, श्री कृष्ण (बम्बई--उत्तर)
मेनन, श्री प० गो० (मकुन्दपुरम)
मेलकोटे, डा० (हैदराबाद)
मेहता, श्री ज० रा० (पाली)

म---क्रमशः

मेहता, श्री जसवन्त (भावनगर)
मेहदी, श्री स० अ० (रामपुर)
मेहरोत्रा, श्री ब्र० वि० (बिल्हौर)
मेंगी, श्री गोपालदत्त (जम्मू तथा काश्मीर)
मैमूना सुल्तान, श्रीमती (भोपाल)
मोरे, डा० कृ० ल० (हतकंगले)
मोरे, श्री शं० शा० (पूना)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहसिन, श्री (धारावाड़---दक्षिण)
मौर्य, श्री बु० प्रि० (अलीगढ़)

य

यशपाल सिंह, श्री (कैराना)
याज्ञिक, श्री इन्दुलाल कन्हैयालाल (अहमदाबाद)
यादव, श्री नगेन्द्र प्रसाद (सीतामढ़ी)
यादव, श्री भीष्म प्रसाद (केसरिया)
यादव, श्री राम सेवक (बाराबंकी)
यादव, श्री राम हरख (आजमगढ़)

र

रंगा, श्री (चित्तूर)
रंगराव, श्री र० व० गो० कु० (चीपुरुपल्लि)
रघुनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
रघुरमैया, श्री को० (गूंटूर)
रणंजय सिंह, श्री (मुसाफिरखाना)
रणजीत सिंह, श्री (संगरूर)
रतन लाल, श्री (बंसवारा)
रांउत, श्री भोला (बतिया)
राघवन, श्री अ० व० (बडागरा)
राजदेव सिंह, श्री (जौनपुर)
राजबहादुर, श्री (भरतपुर)
राजा, चित्तरंजन (जूनागढ़)
राजाराम, श्री (कृष्णगिरि)

स--क्रमशः

राजू, श्री द० बलराम (नरसापुर)
राजू, डा० द० स० (राजामंडी)
राज्यलक्ष्मी, श्रीमती ललिता (औरंगाबाद)
राणे, श्री शिवरामरंगो (बुलडाना)
राम, श्री तु० (सोनबरसा)
रामकृष्णन्, श्री पी० रा० (कोयम्बटूर)
रामधनीदास, श्री (नवादा)
राम नाथन चेट्टियार, श्री (करूर)
रामपुरे, श्री महादेवप्पा (गुलवर्गा)
रामभद्रन, श्री (कडलूर)
राम सिंह, श्री (बहराइच)
राम सुभग सिंह, डा० (विक्रमगंज)
रामसेवक, श्री (जालोन)
रामस्वरूप, श्री (राबर्ट्सगंज)
रामस्वामी, श्री व० क० (नामक्कल)
रामस्वामी, श्री सें० वें० (सलेम)
रामेश्वरानन्द, श्री (करनाल)
राय, श्रीमती रेणुका (मालदा)
राय, श्री विश्वनाथ (देवरिया)
राय, श्रीमती सहोदराबाई (दमोह)
राय, डा० सारादीश (कटवा) :
राव, श्री इ० मधुसूदन (महबूबाबाद)
राव, डा० कु० ल० (विजयवाड़ा)
राव, श्री स० वा० कृष्णमूर्ति (शिमोगा)
राव, श्री जगन्नाथ (नौरंगपुर)
राव, श्री तिरुमल (काकिनाडा)
राव, श्री मुत्याल (महबूबनगर)
राव, श्री रमापति (करीमनगर)
राव, श्री राजगोपाल (श्री काकुलम)
राव, श्री ज० रामेश्वर (गढ़वाल)
राव, श्री हनुमन्त (मेदक)
रावनदले, श्री (धूलिया)

रेड्डियार, श्री वेंकट सुब्बा (तिन्डीवनम्)
रेड्डी, श्री ये० ईश्वर (कड़प्पा)
रेड्डी, श्री क० च० (चिकबल्लापुर)
रेड्डी, श्री नरसिम्हा (राजकोट)
रेड्डी, श्री ग० नारायण (आदिलाबाद)
रेड्डी, डा० बे० गोपाल (काबलि)
रेड्डी, श्री यलमन्दा (मारकापुर)
रेड्डी, श्रीमती यशोदा (करनूल)
रेड्डी, श्री र० ना० (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री रामकृष्ण (हिन्दपुर)

ल

लक्ष्मीकान्तम्मा, श्रीमती (खम्भम)
लक्ष्मी दास, श्री (मिरयालगुडा)
लक्ष्मीबाई, श्रीमती संगम (विकाराबाद)
ललित सेन, श्री (मण्डी)
लहरी सिंह, श्री (रोहतक)
लाखन दास, चौधरी (शाहजहांपुर)
लास्मर, श्री निहार रंजन (करीमगंज)
लोनीकर, श्री रा० ना० यादव (जालना)
लोहिया, डा० राम मनोहर (फरुखाबाद)

व

बर्मा, श्री कुं० कृ० (सुल्तानपुर)
बर्मा, श्री बालगोविन्द (खेरी)
बर्मा, श्री मा० ला० (चित्तौड़गढ़)
बर्मा, श्री रवीन्द्र (तिरुवल्ला)
बर्मा, श्री सूरजमल (सीतापुर)
वाडीवा, श्री (स्योनी)
वारियर, श्री कृ० क० (त्रिचूर)
वाल्वी, श्री लक्ष्मण वेदु (नानदरबार)
वासनिक, श्री बालकृष्ण (गोंडिया)
विजय आनन्द, श्री (विशाखापटनम)

व—क्रमशः

विजय राजे, श्रीमती (छतरा)
विद्यालंकार, श्री अमर नाथ (होशियारपुर)
विमला देवी, श्रीमती (एलुरू)
विश्राम प्रसाद, श्री (लालगंज)
वीरप्पा, श्री रामचन्द्र (बीदर)
वीरबासप्पा, श्री (चित्रदुर्ग)
वीरभद्र सिंह, श्री (महासू)
वीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (राजनन्दगांव)
वेंकटा सुब्बय्या, श्री पेंदेकान्ति (अडोनी)
वेंकैया, श्री कोल्ला (तेनालि)
वैश्य, श्री मूलदास भूधरदास, (साबरमती)
व्यास, श्री राधेलाल (उज्जैन)

श

शंकरय्या, श्री (मैसूर)
शकुन्तला देवी, श्रीमती (बंका)
शर्मा, श्री अ० त्रि० (छतरपुर)
शर्मा, श्री अ० प० (बक्सर)
शर्मा, श्री कृ० चं० (सरधना)
शर्मा, श्री दीवान चन्द (गुरदासपुर)
शशांक मंजरी, श्रीमती (पालामऊ)
शशिरंजन, श्री (पपरी)
शामनाथ, श्री (दिल्ली-चांदनी चौक)
शास्त्री, श्री प्रकाशवीर (बिजनौर)
शास्त्री, श्री रामानन्द (रामसंचीघाट)
शास्त्री, श्री लालबहादुर (इलाहाबाद)
शाह, श्रीमती जयाबेन (अमरेली)
शाह, श्री मनुभाई (जामनगर)
शाह, श्री मानवेन्द्र (टिहरी गढ़वाल)
शिकरे, श्री (मरमागोआ)
शिन्दे, श्री अन्ना साहेब (कोपरगांव)
शिवनंजप्पा, श्री (मुड्या)
शिव नारायण, श्री (बांसी)

श—क्रमशः

शिव प्रधासन, श्री (पांडीचेरी)
शिवशंकरन, श्री (श्रीपेरुमबुदूर)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (महासमन्द)
श्यामकुमारी देवी, श्रीमती (रायपुर)
श्रीनारायण दास, (श्री दरभंगा)
श्रीनिवासन , डा० (मद्रास उत्तर)

स

सत्यनारायण, श्री बिद्दिका (पार्वतीपुरम)
सत्य भामा देवी, श्रीमती (जहानाबाद)
सनजी रूपजी, श्री (नामनिर्देशित—दादरा तथा नगर हवेली)
समनानी, श्री (जम्मू तथा काश्मीर)
सर्राफ, श्री श्यामलाल (जम्मू तथा काश्मीर)
सहगल, श्री अ० सिं० (जंजगीर)
साधूराम, श्री (फिलौर)
सामन्त, श्री स० चं० (तामलक)
साहा, डा० शिशिर कुमार (बीरभूम)
साहू, डा० रामेश्वर (रोसेरा)
सिंघवी, डा० लक्ष्मी मल्ल (जोधपुर)
सिंधिया, श्रीमती विजयराजे (ग्वालियर)
सिंह, श्री अजित प्रताप (प्रतापगढ़)
सिंह, श्री कृ० का० (महाराजगंज)
सिंह, श्री गोविन्द कुमार (मिदनापुर)
सिंह, श्री जय बहादुर (घोसी)
सिंह, श्री दिग्विजय नारायण (मुजफ्फरपुर)
सिंह, डा० ब० ना० (हजारीबाग)
सिंह, श्री युवराजदत्त (शाहाबाद)
सिंह, श्री य० ना० (सुन्दरगढ़)
सिंह, श्री राम शेखर प्रसाद (छप्परा)
सिंह, श्री स० टी० (आन्तरिक मनीपुर)
सिंह, श्री सत्य नारायण (समस्तीपुर)
सिंहासन सिंह, श्री (गोरखपुर)
सिद्धय्या, श्री (चामराजनगर)

स—क्रमशः

सिद्धनंजप्पा, श्री (हसन)
सिद्धान्ती, श्री जगदेव सिंह (झज्जर)
सिद्धेश्वर प्रसाद, श्री (नालन्दा)
सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (बाढ़)
सिन्हा, श्रीमती राजदुलारी (पटना)
सुन्दरलाल, श्री (सहारनपुर)
सुब्बारामन, श्री (मदुरै)
सुब्रह्मण्यम, श्री चि० (पोल्लाची)
सुब्रह्मण्यम, श्री टेंकुर (बेल्लारी)
सुमत प्रसाद, श्री (मुजफ्फर नगर)
सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
सूर्य प्रसाद, श्री (भिंड)
सेझियान, श्री ईरा (पैरम्बलूर)
सेठ, श्री बिशनचन्द्र (एटा)
सेन, श्री अशोक कु० (कलकत्ता-उत्तर पश्चिम)
सेन, श्री फणिगोपाल (पूर्निया)
सेन, डा० रानेन (कलकत्ता-पूर्व)
सोनावने, श्री (पंढरपुर)
सोय, श्री हरिचरण (सिंहभूम)
सोलंकी, श्री प्रवीणसिंह, नटवरसिंह (कैरा)
सौंदरम रामचन्द्रन, श्रीमती (डिंडिगल)
स्वर्णसिंह, श्री (जलन्धर)
स्वामी, श्री मङलावेंकट (मसुलीपटनम)
स्वामी, श्री म० ना० (ओंगोल)
स्वामी, श्री म० प० (टंकासी)
स्वामी, श्री शिवमूर्ति (कोप्पल)
स्वैल, श्री ज० गिं० (आसाम-स्वायतशासी जिले)

ह

हंसदा, श्री सुबोध (झाड़ग्राम)
हक, श्री मु० मो० (अकोला)
हजरनवीस, श्री रं० म० (भंडारा)

ह—क्रमशः

हजारिका, श्री जो० ना० (डिब्रूगढ़)
हनुमन्तैया, श्री (बंगलौर नगर)
हरवानी. श्री अन्सार (बिसौली)
हिम्मतसिंहका, श्री प्रभुदयाल (गोंडा)
हिम्मतसिंहका, श्री (कच्छ)
हुक्म सिंह, सरदार (पटियाला)
हेडा, श्री (निजामाबाद)
हेमराज, श्री (कांगड़ा)

लोक-सभा

अध्यक्ष

सरदार हुकम सिंह

उपाध्यक्ष

श्री कृष्णमूर्ति राव

सभापति तालिका

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी

श्री तिरुमल राव

श्री खाडिलकर

डा० सरोजिनी महिषी

श्री सोनावने

सचिव

श्री श्यामलाल शकधर

भारत सरकार

मंत्री मंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री —श्री लाल बहादुर शास्त्री
गृह-कार्य मंत्री—श्री गुलज़ारी लाल नन्दा
वित्त मंत्री—श्री ति० त० कृष्णमाचारी
सूचना और प्रसारण मंत्री—श्रीमती इंदिरा गांधी
वैदेशिक कार्य मंत्री —श्री स्वर्ण सिंह
रेलवे मंत्री—श्री स० का० पाटिल
विधि तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री —श्री अ० कु० सेन
प्रतिरक्षा मंत्री—श्री यशवन्तराव चह्वाण
इस्पात और खान मंत्री—श्री संजीव रेड्डी
खाद्य तथा कृषि मंत्री—श्री चि० सुब्रह्मण्यम
पैट्रोलियम और रसायन मंत्री—श्री हुमायून् कबिर
संचार तथा संसद्-कार्य मंत्री—श्री सत्य नारायण सिंह
शिक्षा मंत्री—श्री मु० क० चागला
श्रम और रोजगार मंत्री—श्री संजीवय्या
पुनर्वास मंत्री—श्री महावीर त्यागी

राज्य-मंत्री

निर्माण और आवास मंत्री—श्री मेहरचन्द खन्ना
वाणिज्य मंत्री—श्री मनुभाई शाह
असैनिक उड्डयन मंत्री—श्री नित्यानन्द कानूनगो
परिवहन मंत्री—श्री राज बहादुर
सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री—श्री सु० कु० डे
स्वास्थ्य मंत्री—डा० सुशीला नायर
गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री—श्री जयसुखलाल हाथी
वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री—श्रीमती लक्ष्मी मेनन
उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में संभरण तथा प्रविधिक विकास मंत्री—श्री रघुरामैया
पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री—श्री अलगेशन
रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री—डा० राम सुभग सिंह
शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक कार्य मंत्री—श्री हजरनवीस
सिंचाई और विद्युत् मंत्री—डा० कु० ल० राव
योजना मंत्री—श्री ब० रा० भगत
प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री—श्री अ० म० थामस
उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मंत्री—श्री त्रि० ना० सिंह

उपमंत्री

पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री—डा० म० मो० दास

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री—श्री शाहनवाज़ खां

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री—श्री सें० वें० रामस्वामी

परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री—श्री मुहीउद्दीन

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री—श्री ब० सू० मूर्ति

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री—श्री ललित नारायण मिश्र

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री— श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री—श्री दा० रा० चह्वाण

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री— श्री चे० रा० पट्टाभिरामन

सामजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री—श्रीमती चन्द्रशेखर

विधि मंत्रालय में उपमंत्री—श्री जगन्नाथ राव

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री—श्री शाम नाथ

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री—डा० द० स० राजू

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री—श्री दिनेश सिंह

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री—श्री विभुधेन्द्र मिश्र

संचार विभाग में उपमंत्री—श्री भगवती

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री—श्री श्यामधर मिश्र

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री—श्री प्रकाशचन्द्र सेठी

श्रम और रोज़गार मंत्रालय में उपमंत्री—श्री रतनलाल किशोरीलाल मालवीय

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री—श्री भक्त दर्शन

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री—श्री पू० श० नास्कर

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री—श्री रामेश्वर साहू

सभा-सचिव

खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा सचिव—श्री शिन्दे

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव—श्री डा० एरिंग

सिंचाई और विद्युत् मंत्री के सभा सचिव —श्री सै० अ० मेहदी

प्रधान मंत्री के सभा सचिव—श्री ललित सेन

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव—श्री स० चु० जमीर

इस्पात और खान मंत्री के सभा सचिव—श्री तिम्मय्या ।

तृतीय माला, खंड 35, अंक 5 शनिवार, 21 नवम्बर, 1964/30 कार्तिक, 1886 (शक)

Third Series, Vol. XXXV, No. 5 Saturday, November 21, 1964/Kartika 30, 1886 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र / Tenth Session]

[खंड 35 में अंक 1 से 10 तक हैं / Vol. XXXV contains Nos. 1—10]

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

लोक-सभा
LOK SABHA

शनिवार, 21 नवम्बर, 1964/30 कार्तिक, 1886 (शक)

Saturday, November 21, 1964/Kartika 30, 1886 (Saka).

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 106 ।

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : क्या प्रश्न संख्या 121 को इसके साथ लिया जा सकता है ?

श्री स० मो० बनर्जी : परन्तु श्रीमती शारदा मुकर्जी उपस्थित नहीं हैं ?

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रकाशवीर शास्त्री और श्री सिद्धान्ती भी उपस्थित नहीं हैं ।

इसलिए अब केवल प्रश्न संख्या 106 का ही उत्तर दिया जाए ।

जनसंख्या की समस्या

*106. **श्री हेम बरुआ** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् की पुनर्विलोकन समिति के सभापति, श्री ए० रामास्वामी मुदालियर द्वारा दिये गये इस आशय के निम्नलिखित वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि "प्रगति की गति को तीव्र करने के लिये भारतीय वैज्ञानिक चाहे कुछ भी क्यों न करें, उन के प्रयत्न तब तक प्रभावी

सिद्ध नहीं होंगे जब तक कि जन-संख्या की समस्या को हल करने के लिये कुछ नहीं किया जाता" ; और

(ख) यदि हां, तो इस वक्तव्य पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार जनसंख्या को रोकने की समस्या को आर्थिक विकास के लिये बहुत महत्वपूर्ण मानती है और पहिले से ही परिवार नियोजन कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता दे रही है । जन्म दर को घटाने के लिए उसने एक विस्तृत परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया है ।

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार इस बात को स्वीकार करती है, जैसाकि कोलम्बो योजना समिति ने भी कहा है, कि जनसंख्या बढ़ने से ही इस देश में योजनायें विफल हो रही हैं ? यदि हां, तो क्या उसने योजना आयोग को कुछ सुझाव दिये हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री डा० सुशीला नायर : जी हां, यह ठीक है कि योजना के अन्तर्गत हुए विकास से होने वाले आर्थिक लाभ का भाग जनसंख्या बढ़ने के कारण बराबर हो जाता है । जन्म दर को घटाने में सदा कुछ न कुछ समय लगता है ; यह भी आर्थिक विकास के बराबर है, इसलिए यह एक दुश्चक्र-सा है ।

श्री हेम बरुआ : यदि माननीय मंत्री मानती हैं कि जनसंख्या में वृद्धि से योजनाओं का प्रयोजन विफल हो रहा है तो इस वृद्धि को कम करने के लिये उन्होंने अब तक क्या विशेष उपाय किए हैं ताकि देश में योजनायें सफल हो सकें ?

डा० सुशीला नायर : मैं ने यह तो नहीं कहा कि इससे योजनायें विफल हो रही हैं । मैंने यह कहा है कि जनसंख्या बढ़ने से कुछ लाभ बराबर हो जाता है । दोनों चीजों को एक साथ चलना है—आर्थिक विकास यथाशीघ्र बढ़ाने तथा जन्म दर को घटाने के लिये हमारे प्रयास । जन्म दर को घटाने के लिए हम ने सारे देश में एक विस्तृत परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया है जो दिन प्रति दिन लोकप्रिय हो रहा है ।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार का ध्यान जापान के डाक्टर योशिका ओटानी द्वारा हाल ही में किए गए सफल गर्भरोधक प्रयोगों की ओर गया है जो प्रोटीन के निकालने तथा टीका लगाने के आधार पर किए गए हैं ? यदि हां, तो जनसंख्या में हो रही वृद्धि को रोकने के लिए उन प्रयोगों के परिणामों को इस्तेमाल करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

डा० सुशीला नायर : गर्भ को रोकने के लिए कई तरीके के अनुसन्धान काफी समय से हो रहे हैं । कुछ समय हुआ किसी पश्चिमी देश में किसी ने 20 प्रतिशत सफलता प्राप्त कर लेने का दावा किया था । आज ही के अखबारों में कहा गया है कि जापान के किसी व्यक्ति को 80 प्रतिशत सफलता मिली है । मैं निश्चय से कुछ नहीं कह सकती क्योंकि इस सम्बन्ध में पूरे वैज्ञानिक तथ्य हमारे पास नहीं हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि आर्थिक-अभाव जनसंख्या बढ़ने का एक कारण है ?

डा० सुशीला नायर : यह तो एक मानी हुई बात लगती है कि सामाजिक तथा आर्थिक स्थान जितना नीचा होता है उतने ही किसी परिवार में बच्चे अधिक होते हैं। हर किसी ने यह देखा होगा। इसीलिए मैंने कहा था कि दोनों प्रयास साथ-साथ होने चाहियें अर्थात सामाजिक-आर्थिक विकास को तेज करना, शिक्षा का प्रसार, रहन-सहन आदि में सुधार और जन्म दर को घटाना।

अध्यक्ष महोदय : जन्म दर जितनी बढ़ेगी, रहन-सहन का स्तर उतना ही गिरेगा।

श्री अ० प्र० जैन : परिवार नियोजन के परिणामों का हाल ही में कब मूल्यांकन किया गया था और परिणाम क्या थे ? जन्म दर तथा मृत्यु दर में कितनी कमी हुई है ?

डा० सुशीला नायर : जन्म दर की अपेक्षा मृत्यु दर बहुत तेजी से कम होती है। एक मूल्यांकन समिति काम कर रही है और हमें उसकी रिपोर्ट के शीघ्र ही मिलने की आशा है। मैं बता दूं कि बम्बई, मदुरै, के समीप ग्रामीण परियोजनायें तथा कलकत्ता के निकट किसी स्थान जैसे कुछ विशिष्ट स्थानों में किए गए विशेष अध्ययनों से पता चला है कि परिवार नियोजन के प्रगाढ़ प्रयासों के फलस्वरूप जन्म दर में निश्चित कमी हुई है।

श्री बसुमतारी : इस समय औसत परिवार में कितने सदस्य होते हैं ?

श्री पू० शे० नास्कर : अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग।

श्री **बसुमतारी** : मुझे औसत चाहिये।

डा० सुशीला नायर : जहां तक अंशदायी स्वास्थ्य सेवा से लाभ उठाने वालों का सम्बन्ध है सामान्य औसत पांच सदस्यों की है।

Shri Tulshidas Jadhav : One of the opinions regarding birth control is that in view of the fertility of land and people's capacity to work in India it is absolutely unnecessary and if people are given work and their efficiency is increased, there shall be no food shortage. I was to know the Government's reaction to it.

Dr. Sushila Nayar : There can be no two opinions that we should increase our production as well as efficiency. Attempts are being made for that. But at the same time, as the experts say, if the population is not controlled it may put us in trouble and we shall not be able to ameliorate the conditions of our people as fast as we wish.

Shri Ram Sewak Yadav : Is it a fact that the family planning Scheme is not finding the same favour with all the Communities of the country ? If so, the names of the Communities which are reluctant and steps being taken to make this scheme successful.

Dr. Sushila Nayar : Almost all places have people who are backward due to their ignorance. This scheme does not succeed much in those places. Besides education, instructions and motivation, we are not aware of any other means.

गर्भपात को वैध घोषित करना

*107. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री रा० गि० दुबे :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री जेना :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या परिवार नियोजन के एक उपाय के रूप में गर्भपात को वैध घोषित करने के प्रश्न का अध्ययन करने के लिये सरकार एक समिति स्थापित कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस के कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है ; और

(ग) क्या सभी राज्यों के प्रतिनिधि इस समिति में लिये जायेंगे ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) :(क) और (ख) जी हां । भारत सरकार ने देश में गर्भपात को वैध घोषित करने के प्रश्न का अध्ययन करने के लिए 29 सितम्बर, 1964 से एक समिति स्थापित की है ।

(ग) जी नहीं ।

श्री रामेश्वर टांटिया : समिति को किन मुख्य बातों का अध्ययन करने के लिये कहा गया है और उसकी रिपोर्ट कब तक आयेगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : परिवार नियोजन बोर्ड की 25 अगस्त, 1964 को बम्बई में हुई पिछली बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया था कि, इस विषय का बहुत ध्यान से अध्ययन किया जाय क्योंकि इसमें सामाजिक, मेडिकल, कानूनी तथा नैतिक पहलू अन्तर्ग्रस्त हैं ।

श्री यशपाल सिंह: धार्मिक भी ।

डा० सुशीला नायर : इसलिए यह महसूस किया गया था कि इन सभी क्षेत्रों के विशेषज्ञों की एक समिति इस प्रस्ताव का अध्ययन करे और रिपोर्ट दे जो हमें आशा है वित्तीय वर्ष के अन्त तक प्राप्त हो जायेगी ।

श्री रामेश्वर टांटिया : और किन देशों में गर्भपात इस समय वैध है ?

अध्यक्ष महोदय : वह इसके पक्ष में हैं या विपक्ष में ?

डा० सुशीला नायर : जापान में कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई है परन्तु लोगों तथा न्यायालयों ने गर्भपात के अपने अपने कारण बताये हैं जो हमारे यहां भी विद्यमान हैं अर्थात मां का स्वास्थ्य तथा भलाई और इसमें परिवार की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति भी आ जाती है और इसीलिए जन्म दर को घटाने के लिए वहां बड़े पैमाने पर गर्भपात कराया जाता है ।

श्री रा० गि० दुबे : इस बात को देखते हुए कि भारत में गांवों में रहने वाले बहुत से लोग इस चीज को अच्छा नहीं समझते, सरकार इस बारे में क्या करने का विचार रखती है ? और फिर. . .

अध्यक्ष महोदय : "और फिर" को रहने दीजिए । पहले प्रश्न का ही उत्तर दिया जाय ।

डा० सुशीला नायर : हम बाकी सभी तरीके अपना रहे हैं अर्थात ब्रह्मचर्य को लोकप्रिय बनाने के लिये शिक्षा देना और उन लोगों में गर्भरोधक वस्तुओं का वितरण जो इन्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं . . . . . (**अन्तर्बाधाएं**)

अध्यक्ष महोदय : ब्रह्मचर्य का इतना विरोध क्यों ?

डा० सुशीला नायर : स्वैच्छिक बन्ध्यीकरण भी होता है तथा गर्भाशय सम्बन्धी युक्तियों और खाई जाने वाली गोलियों का प्रयोग परन्तु इन दोनों का सीमित प्रयोग होता है ।

Shri Bibhuti Mishra : The hon. Minister is one of the Staunchest followers of Gandhiji. Have all the things suggested by Bapu in regard to family planning been put to test and if, so the success achieved? Is this fact that you have not achieved any success motivating the Government to take our abortion?

Dr. Sushila Nayar : Gandhiji attached the greatest importance to self-restraint or brahmacharya. When I mentioned brahmacharya while enumerating the things to which we resort, the hon. Members started laughing. . . . . .

Mr. Speaker : But not Mr. Mishra.

Dr. Sushila Nayar : It is a question of education and all efforts are being made for that.

Shri Bibhuti Mishra : Is it not that Government is now considering the issue of abortion because it has not followed the path suggested by Gandhiji. . . .

Mr. Speaker. She has replied to that.

श्री प्र० चं० बरुआ : माननीय मंत्री किसी शिशु को मां के गर्भ में मार देने तथा उस मां की गोद में मार देने में क्या अन्तर समझती हैं और क्या वह अपने तत्वावधान में एक अनैतिक कानून को लाना उचित तथा शोभनीय समझती हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो अपनी अपनी राय की बात है ।

डा० सुशीला नायर : श्रीमन, माननीय मंत्री ने इस पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया है । देश के बहुत से लोगों से सुझाव मिल रहे हैं और हमने वे सुझाव तथा सभी तरह के मत इस समिति के हवाले कर दिए हैं जिसमें बहुत विख्यात व्यक्ति, वकील, डाक्टर, सामाजिक कार्यकर्ता इत्यादि हैं ।

Shri Yashpal Singh : It is not clear from the reply as to who would be the members of this Committee and whether it would include lady M.Ps. also.

Dr. Sushila Nayar: The list of the members is as follows :—

श्री शान्ति लाल शाह, स्वास्थ्य मंत्री, महाराष्ट्र, बम्बई इसके अध्यक्ष हैं । सदस्य ये हैं : श्री एच० एन० शिवपुरी, लखनऊ, प्रतिनिधि भारतीय, मेडिकल संघ, हैंगिंग ब्रिज, नई दिल्ली ; डा० बी० एन० पुरन्दर, हानरेरी सेक्रेटरी, फेडरेशन आफ़ ओब्सटैटरिक्स एण्ड गाइनेकौलोजिकल सोसायटीज़ आफ इंडिया, बम्बई ; श्रीमती अबाबाई बी० वाडिया, प्रतिनिधि, परिवार नियोजन संघ, ; श्रीमती अकम्मा मथई, अध्यक्षा, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ; श्रीमती मासूमा बेगम, अध्यक्षा अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, ; श्रीमती पुष्पा मेहता, महासचिव, भारतीय बाल कल्याण परिषद्, डा० श्रीमती एस० भाटिया, भारत में मेडिकल महिला संघ की प्रतिनिधि, तथा कर्नल रायना, निदेशक, परिवार नियोजन, नई दिल्ली, सदस्य-सचिव ।

श्री सुबोध हंसदा : माननीय मंत्री ने अपने पहले उत्तर में पिछड़े क्षेत्रों का उल्लेख किया था । मैं जानना चाहता हूं कि पिछड़े लोगों को शिक्षा देने, विशेषत: देश के पिछड़े क्षेत्रों के लिये स्वास्थ्य मंत्रालय क्या कर रहा है ।

डा० सुशीला नायर : इस प्रयोजन के लिये एक नया परिवार नियोजन कार्यक्रम बनाया गया है । इसके अनुसार प्रत्येक 2000 परिवारों अथवा 10,000 जनसंख्या के लिये एक पुरुष तथा एक महिला कार्यकर्ता को रखा जायेगा जो प्रशिक्षित होंगे ताकि वे घर-घर जायें और बच्चे के स्वास्थ्य, मां की भलाई तथा परिवार कल्याण के बारे में लोगों से बातचीत कर सकें, उन्हें सहायता और शिक्षा दे सकें और इस तरह उनका विश्वास जीत कर परिवार-कल्याण के हित में उन्हें परिवार नियोजन के बारे में सलाह दे सकें ।

प्रश्न संख्या 108, 115 और 127 के बारे में

अध्यक्ष महोदय : श्री सुरेन्द्रपाल सिंह ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : प्रश्न संख्या 108 ।

श्री स० मो० बनर्जी : प्रश्न संख्या 115 को भी इसके साथ ले लीजिए ।

एक माननीय सदस्य : 127 को भी

अध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री महोदय समझते हैं कि इन्हें एक साथ लिया जा सकता है तो ले लें ।

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : प्रश्न संख्या 108, 110, 115, 127 और 129 लगभग एक जैसे ही हैं। आप मुझे कौन सा प्रश्न लेने का आदेश देते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : कहा गया था कि प्रश्न संख्या 115 और 127 को एक साथ ही ले लिया जाए । यदि इसके साथ उनका उत्तर देना मंत्री महोदय के लिये सुविधा-जनक हो तो वह ऐसा कर सकते हैं । अन्यथा नहीं ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : जी हां ।

चतुर्थ योजना

+

*108. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री यशपाल सिंह :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री कजरोलकर :
श्रीमती रेणुका राय :
श्री यू० सिं० चौधरी :
श्री उमानाथ :
श्री प० कुन्हन :
श्री राम सेवक :
श्री ज० ब० सिं० बिष्ट :
श्री हेम राज :
श्री रा० बरुआ :
श्री राम सहाय पांण्डेय :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री राम हरख यादव :
श्री द्वारकादास मंत्री :
डा० महादेव प्रसाद :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के आकार के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, हां ।

(ख) राष्ट्रीय विकास परिषद् ने अपनी 27 और 28 अक्तूबर की बैठक में सामान्यतया यह निश्चय किया कि चौथी योजना के खर्च की कुल राशि 21,500 करोड़ रु० से 22,500 करोड़ रु० के मध्य रखी जाय । इसमें से 7000 करोड़ रुपया निजी क्षेत्र पर खर्च होने का अनुमान है और सार्वजनिक क्षेत्र पर 14,500 करोड़ रु० से 15,500 करोड़ रु० के बीच खर्च होंगे। यदि और साधन जुटाने के लिए देश का पर्याप्त आर्थिक विकास हो सका तो योजना के उत्तरार्द्ध में सार्वजनिक क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपये और खर्च किये जा सकेंगे ।

चतुथ योजना

+

*115. श्री प्र० चं० बरुग्रा :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री वारियर :
श्री दाजी :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री दलजीत सिंह :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री बागड़ी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री रा० गि० दुबे :
श्री यशपाल सिंह :
श्री ग्रोझा :
श्री हु० चं० सोय :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री हेम राज :
श्री राम सेवक :
श्री फ० गो० सेन :
श्री श्यामलाल सर्राफ :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की मूल नीति के सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय कर लिया है ; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय लिया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) ग्रौर (ख). सामाजिक स्थिरता को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाये बिना, राष्ट्रीय उत्पादन में तेजी से वृद्धि की ग्रावश्यकता को ध्यान में रखते हुए चौथी योजना के उद्देश्य तथा नीति निश्चित की गई है । चौथी योजना के उद्देश्य हैं : (1) कृषि क्षेत्र में प्रति वर्ष कम से कम 5 प्रतिशत की दर से वृद्धि करना ग्रौर समस्त रूप से $6\frac{1}{2}$ प्रतिशत की दर से वृद्धि करना ; (2) कृषि के लिए ग्रपेक्षित पूंजी की व्यवस्था करना ; (3) ग्रावश्यक उपभोग सामग्री की सप्लाई में वृद्धि करना ; (4) धातु रसायन, मशीन-निर्माण, खान, बिजली शक्ति ग्रौर परिवहन के निरन्तर विकास की व्यवस्था करना ; (5) मानवीय साधनों के विकास से उत्पादकता बढ़ाना ग्रौर (6) ग्रधिक रोजगार के ग्रवसर प्रदान करना ।

चतुर्थ योजना

+

*127. श्री रामनाथन् चेट्टियार :
श्री यशपाल सिंह :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री बागड़ी :
श्री श्यामलाल सर्राफ :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री दलजीत सिंह :
श्री रा० गि० दुबे :
श्री ओझा :
श्री ह० चं० सोय :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री हेमराज :
श्री फ० गो० सेन :
श्री राम सेवक :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री यु० सिं० चौधरी :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर के अन्त में राजधानी में राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उस में किन मुख्य विषयों पर चर्चा हुई थी और क्या निर्णय लिये गये थे ; और

(ग) प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करने तथा उस को दृढ़ करने के लिये क्या उपाय करने का विचार है जिससे योजना की क्रियान्विति सुनिश्चित हो सके ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) राष्ट्रीय विकास परिषद् की 27 और 28 अक्तूबर 1964 को नई दिल्ली में बैठकें हुईं ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर प्रस्तुत है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3406/64]**

(ग) सब स्तरों पर आयोजन और प्रशासनिक मशीनरी का व्यवस्थित पर्यवेक्षण किया जा रहा है ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या यह सच है कि चतुर्थ योजना का आकार तथा संसाधन बताने के अतिरिक्त योजना आयोग ने कतिपय मूलभूत सिफारिशें की हैं अर्थात् (1) योजना के अधीन परियोजनाओं की उपयुक्त कार्यान्विति के लिये प्रशासनिक व्यवस्था में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता, (2) सीमेंट तथा चीनी जैसे उपभोक्ता उद्योगों में नये यूनिट केवल सरकारी क्षेत्र में होने चाहियें, और (3) शहरी भूमि का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये ? यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने इन तीन मुख्य बातों के बारे में कोई निश्चित निर्णय किये हैं ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मेरे विचार में योजना आयोग ने ऐसी कोई सिफारिश नहीं की है ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : विगत समय में योजनाओं का उचित प्रचार करने में हमारी असफलताओं को देखते हुए क्या हम जान सकते हैं कि चतुर्थ योजना को जनता तक पहुंचाने, विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रों में, के लिये सरकार कौन से नये कदम उठाना चाहती है जिनसे देश के प्रत्येक नागरिक में योजना के प्रति जागरूकता पैदा हो सके ताकि वह इससे अधिकाधिक लाभान्वित हो सकें ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : प्रश्न बहुत व्यापक है । मोटे तौर पर यह माना जा सकता है कि योजना तथा उसके उद्देश्यों के बारे में लोगों में उतनी सजगता पैदा नहीं की गई है जितनी चाहिये थी और इस सम्बन्ध में सुधार की काफी गुंजायश है । यह एक ऐसा विषय है जिस पर चतुर्थ योजना के आकार तथा लक्ष्यों को दृष्टि में रखते हुए विचार किया जाना है । मुझे विश्वास है कि योजना आयोग इस पर विचार करेगा ।

Shri Prakash Vir Shastri : How much loan is proposed to be taken from other countries for the fulfilment of the Fourth Plan ? Is it not a fact that our country is struggling hard to repay the heavy loans taken during the Second and the Third Plan periods ? Has any decision been arrived at regarding the quantum of loan to be taken during the Fourth Plan period ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : इस समय योजना आयोग का विचार यह है कि विदेशी सहायता उतनी ही रहेगी जितनी तीसरी योजना के लिए ली जा रही है अर्थात् लगभग 2500 करोड़ रुपये । यह भी सच है कि पिछले ऋणों की मूल राशि तथा ब्याज लगभग 1200 करोड़ रुपये होंगे । इस सम्बन्ध में सरकार ने देखना यह है कि वह विदेशी सहायता की हमारी आवश्यकताओं को पिछले ऋणों के भुगतान के दायित्वों के अनुरूप कैसे बना सकती है ।

Shri Bhagwat Jha Azad : Has any consideration been given to the resources which are proposed to be tapped to provide for the amount to be

spent during the Fourth Plan period? If so, is there any possibility of a gap being there between the two?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : अनुवाद से प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय : चतुर्थ योजना के लिये आवश्यक धनराशि जुटाने के लिये किन संसाधनों का सहारा लिया जाएगा ?

श्री भागवत झा आजाद : मैं यह भी जानना चाहता हूं कि योजना का व्यय पूरा करने के लिये संसाधन जुटाने के क्या प्रयास किये जाते हैं ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : जहां तक योजना के संसाधनों का सम्बन्ध है, हमने एक कार्यकारी दल बनाया है और मैं समझता हूं कि लगभग 1000 करोड़ रुपये के प्राक्कलन उपलब्ध हैं । निस्सन्देह लगभग 3000 करोड़ रुपये का अन्तर है जो पूरा करना होगा । यह एक समस्या है, एक बड़ा प्रश्न चिह्न, अर्थात् 3000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन जुटाने की समस्या, जिसका केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों को सामना करना पड़ेगा ।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : What is the amount earmarked in this Plan for control of floods and water logging which stand in the way of increased food production?

अध्यक्ष महोदय : बढ़ती हुई सेम और बाढ़ों को रोकने के लिये कितना धन नियत किया गया है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : जहां तक योजना में आवंटित धनराशि का सम्बन्ध है, वह सिंचाई तथा कृषि के किसी शीर्ष के अन्तर्गत आती है । अभी तक हमने बाढ़ों से रोकथाम की विस्तृत आवश्यकताओं पर विचार नहीं किया है। जहां तक बाढ़ से होने वाली हानि का संबंध है, वह तो सरकार द्वारा सामान्य व्यय का विषय है और सामान्य सरकारी दायित्वों में वृद्धि के रूप में ही इसे योजना के अन्तर्गत लाया जा सकता है।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या मैं जान सकती हूं कि मुद्रास्फीति का रुझान एक संकटपूर्ण स्थिति तक न बढ़ जाए इसके लिये क्या विशेष परित्राण या प्रतिबन्ध सोचे गए हैं ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : इस समय तो हम ने घाटे की अर्थव्यवस्था के बारे में सोचना सर्वथा छोड़ दिया है । सरकार रुपये के संसाधनों में जो भी वृद्धि करेगी वह केवल करंसी की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिये होगी जो कि लगभग 500 करोड़ रुपये है ।

Shri Ram Sewak Yadav : May I know whether any special attention has been paid to the backward areas of the country, particularly those which have been neglected under the Second and Third Plans? Has any decision been taken in this regard? If so, the decision taken?

अध्यक्ष महोदय : पिछड़े क्षेत्रों के लिये क्या विशेष व्यवस्था की गई है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : एक मद में हमने पिछड़ी जातियों के कल्याण का उपबन्ध करने का प्रयास किया है : पिछड़े क्षेत्रों के कल्याण का प्रश्न तो किसी न किसी बड़ी योजना में संलग्न करना पड़ेगा ।

श्री रंगा: क्या उस योगदान का अनुमान लगाने का कोई प्रयत्न किया गया है जो कृषक राज्यों तथा केन्द्र के स्तर पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के रूप में राजस्व में देते हैं जो मेरे विचार में उस कुल आवंटन का एक चौथाई है जो चतुर्थ योजना में कृषि के विकास के लिये किया जाना है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : जैसा कि मैंने बताया है हमने लगभग 3000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन जुटाने हैं जो कि हमारे कार्यकारी दल में पूर्वकल्पित संसाधनों के इलावा होंगे । इसमें से कितना राज्य क्षेत्र से आयेगा इस पर कार्यकारी दल फैसला करेगा अथवा वे उप-समितियां जो हमने हाल ही में बनाई हैं । इसमें सन्देह नहीं कि योजना में राज्य द्वारा कोई भी योगदान, जो पहले से सोचे गये योगदान के अतिरिक्त हो, अधिकतर कृषि क्षेत्र में सुधार होने से ही होगा ; माननीय सदस्य महसूस करेंगे कि सरकार ने विगत मूल्यों के आधार पर हाल ही में मूल्यों में जिस वृद्धि की घोषणा की है उससे कृषि क्षेत्र में प्रति वर्ष लगभग 200 करोड़ रुपया आयेगा । प्रश्न यह है कि कृषि क्षेत्र अपने विकास के लिए योजना के संसाधनों में योगदान के रूप में इसमें से बचत अथवा अन्य तरीकों से कितना देगा । इस बात की तो जांच करनी होगी ।

श्री रामनाथन् चेट्टियार : खाद्य संभरण की भीषण स्थिति तथा खाद्यान्नों के अधिक आयात की आवश्यकता को देखते हुए क्या सरकार का विचार आयात के लिये अधिक विदेशी मुद्रा आवंटित करने का है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : हमारे प्रारंभिक प्रयासों में कृषि तथा सिंचाई के लिये जो बहुत बड़ी राशि रखी गई है वह लगभग 3400 करोड़ रुपये है । यह हमें खाद्यान्नों के आयात के दायित्व से छुटकारा दिलाने के लिये है । अत: हम चौथी योजन में अधिक खाद्यान्नों के आयात के लिये उपबन्ध करने की बजाय आयात को बन्द कर देना ही पसन्द करेंगे ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know whether there were any differences between the hon. Finance Minister and the Deputy Chairman of the Planning Commission on the matter of the total provision made for the Fourth Plan ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : योजना के व्यय के प्रश्न पर योजना आयोग के सदस्यों तथा इस विषय से सम्बन्ध रखने वाले सरकार के सदस्यों के बीच बड़े विस्तार से बातचीत हो चुकी हैं । बातचीत के दौरान कई सुझाव रखे गये हैं । मैं समझता हूं कि उन समितियों में किसी बात पर यदि कोई दो व्यक्ति सहमत थे, या बहुत हद तक सहमत थे तो उपाध्यक्ष के साथ सहमत होने का गर्व मुझे प्राप्त है ।

श्री रा० गि० दुबे : राज्य स्तर या अखिल भारतीय स्तर पर सरकार की दृष्टि में गैर-उत्पादक व्यय की कौन सी मदें हैं और इस तरह के व्यय को घटाने के लिये कौन से विशेष उपाय किए जाते हैं ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : उत्पादिता और व्यय के आपसी सम्बन्ध के अनेक अर्थ निकाले जा सकते हैं। एक संकीर्ण दृष्टिकोण से देखें तो सामाजिक मदों पर किया गया व्यय उत्पादिता नहीं बढ़ाता परन्तु अन्ततः इससे उत्पादिता अवश्य बढ़ती हैं। शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और इसी तरह जल संभरण उत्पादिता के माध्यम हैं। और बातों को छोड़ दीजिये, किसी एक व्यक्ति को पानी लेने के लिये अपने घर से तीन या चार मील दूर नहीं जाना पड़ता, घर के पास ही उसे पानी मिल जाता है, तो उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। इसलिये सामाजिक मदों पर किये गये किसी व्यय को एक संकुचित दृष्टिकोण से प्रत्यक्षतः उत्पादक नहीं माना जा सकता। परन्तु जहां तक योजना के व्यय का सम्बन्ध है, प्रत्येक आवंटित राशि का एक उत्पादक लक्ष्य होता है।

श्री नाथ पाई : एकीकृत मजूरी, मूल्य तथा रोजगार नीति के हेतु चौथी योजना में वह कौन से उपाय सोच रहे हैं ताकि जब रोजगार बढ़े, जैसाकि आज उन्होंने वचन दिया है, रुपये का वास्तविक मूल्य न गिरे तथा करोड़ों व्यक्तियों के पास जो रुपया है उसकी क्रय शक्ति घटती न जाय जैसाकि पिछली तीन योजनाओं में होता आया है?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : चतुर्थ योजना के सम्बन्ध में योजना आयोग तथा सरकार द्वारा किये जा रहे विशेष प्रयत्नों के इलावा हम अब एक आय, मजूरी तथा मूल्य और उपभोग नीति बनाने के प्रश्न की जांच कर रहे हैं। न केवल चतुर्थ योजना के बल्कि अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से भी यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हमने एक ऐसा विभाग बनाया है जिसमें रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय और योजना आयोग एक ऐसी नीति बनाने में सहयोग दे रहे हैं जिसे चतुर्थ योजना की क्रियान्विति के सम्बन्ध में सारी की सारी अथवा आंशिक रूप से अपनाया जा सके।

श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या तीसरी योजना से प्राप्त अनुभव को देखते हुए, विशेषतः कृषि विकास सिंचाई और बिजली उत्पादन के बारे में, तथा इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि बड़े उद्योगों के लिये आवंटित बड़ी बड़ी धनराशियों का इस्तेमाल नहीं किया जा सका, चतुर्थ योजना को नया रूप दिया जा रहा है? इसमें हमारे राष्ट्रीय विकास को क्योंकि दो तरह से हानि हुई है, चतुर्थ योजना को कैसा नवीन रूप दिया जा रहा है?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं माननीय सदस्य तथा सभा का ध्यान चतुर्थ योजना के आकार की ओर दिलाना चाहता हूं। इस योजना का आकार पिछली तीनों योजनाओं में किये गये कुल विनियोजन से कुछ अधिक है। अतः दृष्टिकोण भी कुछ बदलना होगा। अब तक की योजनाओं से यह योजना काफी बड़ी है। आयोजन को और अधिक सुचारु बनाना एक मुख्य लक्ष्य है जिसे प्राप्त करना है। अन्तिम मसौदा सभा में पेश करने से पहले सादा ब्योरा तैयार करना है ताकि इस प्रयोजन के लिये अपनायी जाने वाली कार्य-विधि के विभिन्न पहलुओं पर सोचा जा सके।

श्री अ० प्र० जैन : सामान्यतः यह डर है कि तीसरी योजना के लक्ष्यों की पूर्ति में भारी कमी रह जाएगी जो कुल योग में 20 प्रतिशत तक हो सकती है। क्या कमी के कारणों का विश्लेषण किया गया है तथा चौथी योजना में कमियों को दूर करने के लिये क्या योजनायें बनाई गई हैं?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : जहां तक तीसरी योजना की सफलताओं में कमी रह जाने का सम्बन्ध है, उस पर लगातार विचार होता रहता है । यह दुर्भाग्य की बात है कि सफलताओं में कमी रह गई है परन्तु व्यय में कोई कमी नहीं हुई, वह बढ़ता ही जाता है । जैसाकि मैंने पहले कहा था, अब शायद यह कहा जाए कि पिछली योजना को चलाने में हमने पहले की योजनाओं में हुई विफलताओं को ध्यान में नहीं रखा । फिर भी, अब सभा, देश, योजना आयोग तथा सरकार को पूरी तरह पता है कि चौथी योजना के आकार को देखते हुए हमें काफी बड़ा प्रयास करना होगा और मेरा विचार है कि चौथी योजना आरम्भ करने से पहले योजना आयोग केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों का ध्यान तीसरी योजना की उन त्रुटियों की ओर अवश्य दिलायेगा जिन्हें चौथी योजना चालू करने से पहले दूर किया जाना है ।

अध्यक्ष महोदय : अभी 25 से 30 सदस्य और हैं जो प्रश्न पूछना चाहते हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : प्रश्न भी तीन हैं ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, इस ज्ञापन पत्र की प्रतियां दोबारा छापी जा रही हैं और मुझे आशा है कि कोई दो सप्ताह में हम माननीय सदस्यों को प्रतियां दे सकेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : वह ज्यादा अच्छा होगा । तब हम उस पर नियमित रूप से चर्चा कर सकेंगे ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : इससे उन्हें चौथी योजना की कार्य-विधि का मोटे तौर पर पता चल जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : तब हम अगला प्रश्न लेंगे ।

चिकित्सा संस्थायें

\+

*109. **श्री विभति मिश्र :**
श्री क० ना० तिवारी :
श्री दे० द० पुरी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री धर्मलिंगम :
श्री यु० सिं० चौधरी :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार देश में ऊंची चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान के लिये चार और संस्थायें स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इन संस्थाओं को स्थापित करने के लिये स्थान किस आधार पर छांटे गये हैं; और

(ग) इनको स्थापित करने के लिये कौन-कौन से स्थान छांटे गये हैं अथवा छांटे जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) जी हां ।

(ख) मुदालियर समिति की सिफारिशें, उपलब्ध स्थानीय सुविधायें और ऐसी सुविधायें जिनको देने का राज्य सरकारों ने वचन दिया था तथा कतिपय उन्नति अधिस्नातक विभागों की मौजूदगी ही वे प्रमुख तत्व थे जिनके आधार पर इन संस्थाओं के लिये स्थान छांटे गये हैं ।

(ग) दिल्ली, चण्डीगढ़ और कलकत्ता में पहले से ही अधिस्नातक संस्थायें हैं जिनका और आगे विकास किया जा सकता है । हैदराबाद, बम्बई, मद्रास और पाण्डिचेरी में भी इसी प्रकार की संस्थायें खोलने का विचार है ।

Shri Bibhuti Mishra : Keeping in view the Article of the Constitution regarding social justice, does government consider to set up such medical institutes at places where people are poor and mostly sick because they are most essential there ?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar) : Sir, there institutes are being run to provide higher training and turn out specialists. It is therefore, essential to run them at places where best training can be imparted.

Shri Bibhuti Mishra : Is it a fact that Patna Medical College is better provided with medicines and other medical equipment than other Colleges? If so, whether Government propose to make such arrangements in Patna ?

Dr. Sushila Nayar : Sir, we have a scheme to have one post-graduate institute in each State in the long run. But initially only such places would be selected where they can function immediately easily and smoothly.

Shri K.N. Tiwary : All arrangements for higher study in Patna Medical College had been finalised in the Third Plan but they were not implemented. If this is a fact, what are the reasons and when the work is likely to start ?

Dr. Sushila Nayar : I have no information regarding Patna. It may be a Scheme of the State Government. If the hon. Member gives a separate notice, I can collect the information from the State Government.

Shri Yashpal Singh : Shri Bibhuti Mishra has asked whether hospitals would be opened at those places where the number of sick persons is large. I want to know whether hospitals would be started at those places also where the people are healthy so that they do not fall sick.

Mr. Speaker : Why should hospitals be started there ?

Dr. Sushila Nayar : It is not a question of opening hospitals, the point is to give education.

Shri Bibhuti Mishra : Is it not a fact that the institutes at Calcutta, Bombay, Madras, Delhi and Chandigarh are more useful for the local people than those in the far-flung areas? In view of the assurance regarding Social justice given in the Constitution, is Government thinking of opening such institutes in backward States like Madhya Pradesh, Rajasthan, Bihar etc.?.

Dr. Sushila Nayar : Sir, these institutes will admit 50 percent students from the local area and 50 percent from the rest of the country. The boys and girls of Bihar would also get education in these institutes.

श्री दे० द० पुरी : इस बात को देखते हुए कि चण्डीगढ़ की संस्था बहुत सन्तोषजनक काम कर रही है क्या सरकार अन्य क्षेत्रों में भी उन्हीं संसाधनों का प्रयोग करने पर नहीं सोचेगी ?

डा० सुशीला नायर : पंजाब सरकार ने इच्छा व्यक्त की है कि उस संस्था को भारत सरकार अपने हाथ में ले ले क्योंकि उनके लिये यह बोझ बड़ा भारी है और इस संस्था पर, उन्हें जो खर्च करना पड़ता हैं उसके परिणामस्वरूप उन्हें अपने अन्य मेडिकल कालेजों की मांगों को अधूरा छोड़ना पड़ता है जो उन्हें पसन्द नहीं है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इस बात का ध्यान रखते हुए कि खनन तथा ईंधन अनुसन्धान संस्था धनबाद में है, क्या सरकार उस क्षेत्र में एक और मेडिकल अनुसन्धान संस्था खोलना सम्भव समझती है ?

डा० सुशीला नायर : इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

Shri Y.S. Chaudhary : Would the professors be taken from our own country or is there any proposal to invite foreigners also ?

Dr. Sushila Nayar : Sir, professors would be taken both from our own country and abroad. The fact is that some of the best institutes of other countries have expressed the desire that one of our institutes should be affiliated with them, *i.e.*, our people should go there and they should come here. In that way we are trying to raise the standards of all our institutes to the level of other countries in the shortest possible time.

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार को पता है कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की खोजें तथा सुविधायें ही बढ़ती हुई जनसंख्या की विश्वव्यापी समस्या की जड़ हैं और यदि हां, तो इन परियोजनाओं का परित्याग कर हम इस रोग को जड़ से ही क्यों नहीं उखाड़ फेंकते ?

श्री नम्बियार : लोगों को मार देना चाहिये और वह भी सामूहिक रूप से ।

श्री कपूर सिंह : यह सभा माननीय मंत्री से कुछ जानने के लिये उत्सुक है ।

डा० सुशीला नायर : दो पहलू हैं, एक तो जन्मदर को घटाना तथा दूसरा मृत्युदर को कम करना । माननीय सदस्य तो चाहेंगे कि हम जन्मदर को घटाने के लिये कुछ न करें । मैं नहीं समझती कि कोई माननीय सदस्य या देश के लोग उनसे सहमत होंगे । सरकार तो इससे सर्वथा सहमत नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : वह चाहते हैं कि लोगों को मारने के लिये कीटाणु फैला दिये जायें ।

श्री नम्बियार : वह आत्मघाती नीति है ।

Shri Ram Sewak Yadav: The hon. Minister has stated that it is proposed to start such institutes in almost all the States. What is the persent position ? Have all the States been consulted or sounded in this regard ? How many States have responded favourably and where these institutes are proposed to be set up ?

Dr. Sushila Nayar : As stated by the hon. Deputy Minister, such institutes are working at Delhi, Chandigarh and Calcutta. We propose to expand them Apart from this, there is a fairly good number of post-graduate departments at Hyderabad, Bombay and Madras. We propose to integrate them in an institute. The Government of India has started a well-equipped medical College in Pondicherry and we have decided to set up another such institute there in memory of our beloved leader Panditji.

डा० सरोजिनी महिषी : चिकित्सा की अधिस्नातक शिक्षा देने के लिये चिकित्सा संस्थाओं की संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण की अवधि को तथा हाऊस सर्जनों और इन्टर्न्स के पारिश्रमिक को एक रूप बनाने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

डा० सुशीला नायर : जिस श्रेणी की हम चर्चा कर रहे हैं हाऊस सर्जन उसमें नहीं आते। हाऊस सर्जन की पढ़ाई अधिस्नातक अध्यापन से पहले होती है। जहां तक अधिस्नातक शिक्षा को एक स्तर पर लाने का सम्बन्ध है, हम 23 तारीख से एक मेडिकल शिक्षा सम्मेलन कर रहे हैं और इस विषय पर बातचीत करने और सिफारिशें करने के लिये सारे देश से विशेषज्ञ दिल्ली आ रहे हैं।

Shri Kashi Ram Gupta : Female trainees are not given training in Surgery. Would this institute provide them with this facility so that more and more women can become surgeons ?

Dr. Sushila Nayar : There is no discrimination. If girls want to learn surgery, they are given opportunities for that. Generally, most of the girls go in for obstatrics and Gynaecology and surgery is a part of them. They are inclined more towards paediatrics but they are going in for surgery also and they are given the same facilities which are being given to boys.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Would Government impose some restriction upon them that after getting the training they should join Government service and not start private practice ?

Dr. Sushila Nayar : We would certainly expect them to work in district hospitals for sometime and serve the villages because we give them scholarships.

राष्ट्रीय योजना परिषद्

\+

*110. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हेम राज :
श्री ओझा :
श्री उटिया :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चिचार राष्ट्रीय योजना परिषद् स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस परिषद् के कृत्य क्या होंगे; और

(ग) इस परिषद् के सदस्य कौन-कौन होंगे ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग). राष्ट्रीय आयोजन विकास परिषद् गठन करने का विचार है। इसके पन्द्रह से बीस तक सदस्य होंगे जिनमें विख्यात वैज्ञानिक,

इंजीनियर, अर्थ-शास्त्री, प्रशासक और अन्य विशेषज्ञ होंगे और यह योजना आयोग को उन समस्याओं पर सलाह देगी जो इसे भेजी जायेंगी । इस परिषद् का वास्तविक गठन विचाराधीन है ।

श्री स० चं० सामन्त : इस नई परिषद् के बन जाने से राष्ट्रीय विकास परिषद् का क्या होगा ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : राष्ट्रीय विकास परिषद् एक ऐसा निकाय है जिसमें विभिन्न मंत्रालयों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है । यह तो पूर्णतः विशेषज्ञों की सलाहकार परिषद् है जो योजना आयोग द्वारा निर्दिष्ट विशिष्ट समस्याओं पर विचार करेगी ।

श्री स० चं० सामन्त : ऐसी परिषद् के गठन का सुझाव किसने दिया था ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, यह सुझाव प्रधान मंत्री ने दिया था ।

श्री सुबोध हंसदा : अब जबकि यह नई योजना परिषद् बनाई जा रही है, योजना आयोग में योजना अनुभागों का क्या होगा ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : यह निकाय योजना आयोग को सलाह देगा और योजना आयोग के उपाध्यक्ष इस परिषद् के अध्यक्ष होंगे । कदाचित् यदि कोई महत्वपूर्ण चर्चा हुई तो योजना आयोग के अन्य सदस्य भी इसका साथ देंगे । इस तरह की परिषद् के बनाये जाने के लिये योजना आयोग का होना अनिवार्य है ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या विशेषज्ञ विभिन्न राज्यों से लिए जायेंगे तथा क्या वे सलाहकारों के रूप में काम करेंगे अथवा उनके निर्णय अन्तिम माने जायेंगे ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : जैसा कि मैं कह चुका हूं यह पूर्णतः सलाहार निकाय है । विशिष्ट समस्याओं पर जो कुछ भी सलाह वह देगा, योजना आयोग उसकी पड़ताल करेगा और जहां तक वांछनीय होगा उसे स्वीकार कर लेगा । सलाहकार देश के विभिन्न भागों से लिये जायेंगे । मैंने परिषद् के मोटे स्वरूप के बारे में बता दिया है ।

श्री ओझा : इस बात को देखते हुए कि इस समय भी योजना आयोग के कुछ सदस्य विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस राष्ट्रीय योजना परिषद् की स्थापना के बाद योजना निकाय के गठन में भी परिवर्तन होगा या वह वैसा ही रहेगा ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : जहां तक योजना आयोग के पुनर्गठन का सम्बन्ध है, यह कठिन बात है । जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि वे विशेषज्ञ हैं, मान लीजिये कि योजना आयोग के पांच या छः सदस्य हैं और विषय कई हैं जिन्हें शायद पन्द्रह या बीस शीर्षों के अन्तर्गत लाया जा सकता है और उन पर हमें सलाह देने वालों की जरूरत है । मैं नहीं समझता कि इससे योजना आयोग के अस्तित्व में किसी भी तरह का हस्तक्षेप है; यह तो वर्तमान योजना आयोग का केवल एक सहायक निकाय है ।

श्री नाथ पाई : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पहले ही अनेक सलाहकार समितियां, परिषदें आदि हैं और संविधान के अधीन योजना आयोग भी एक सलाहकार समिति है, क्या मैं जान सकता हूं कि यह नई समिति बनाने की आवश्यकता क्यों हुई और क्या इससे दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम वाली बात नहीं होगी क्योंकि अनेक सलाहकार समितियां सलाहकार योजना आयोग को सलाह देंगी ।

एक माननीय सदस्य : यह तो पार्किन्सन का कानून लागू हो रहा है ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं समझता हूं कि क्योंकि यह अनुभव किया गया कि इन तदर्थ निकायों में काम का केन्द्रीयकरण पर्याप्त नहीं है इसलिए प्रधान मन्त्री का कहना है कि इस प्रकार की परिषद् की आवश्यकता है । इस विषय में मैं उनके विचार सम्बन्धी उद्धरण पढ़ कर सुनाना चाहता हूं । वह उद्धरण इस प्रकार है :—

> "उन्होंने यह अनुभव किया कि योजना आयोग को बाहर के संसार के साथ निकट सम्पर्क रखना चाहिये और उसे उन लोगों के विचार पता होने चाहियें जो विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ हैं । उन्होंने यह अनुभव किया कि जब कोई व्यक्ति पदाधिकारी बनता है तो उसका बाह्य जगत से सम्पर्क सीमित हो जाता है । इसलिए दस या पन्द्रह ऐसे सदस्यों के निकायों की आवश्यकता है जिन्हें ध्यानपूर्वक चुना जाए और जिनका बाह्य जगत् से निकट सम्पर्क हो उनके और योजना आयोग के सदस्यों के बीच निकट सम्पर्क होना चाहिये और उसके लिए कम से कम दो मास में एक बार कभी कभी बैठक होनी चाहिये । उनका विचार था कि इस निकाय के समक्ष विशिष्ट समस्याएं रखनी चाहिएं और सदस्यों के समक्ष व्यक्तिगत रूप में या निकाय के सदस्यों के समूह के रूप में समस्याएं रखी जाएं और एक या दो मास में बैठक करें और समस्याओं पर भली प्रकार विचार करके अपने मत बताएं । योजना आयोग का उपाध्यक्ष इस निकाय का अध्यक्ष होगा ।"

श्री नाथ पाई : एक व्यवस्था का प्रश्न है । एक बात का उत्तर नहीं दिया गया । मैंने पूछा था कि यह सलाहकार निकाय जो सलाह देगा उसकी स्थिति क्या होगी ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : इस समय उनकी जो स्थिति है वही रहेगी ।

श्री भागवत झा आजाद : हमने इस विषय में प्रधान मन्त्री का भाषण पढ़ा है जिसका उद्धरण अभी पढ़ कर सुनाया गया है किन्तु इससे हमें यह पता नहीं लगा कि तीन योजनाओं में जबकि अर्थ-शास्त्रियों और अन्य विशेषज्ञों का योजना आयोग के साथ सम्पर्क था तो सरकार को क्या कठिनाइयां अनुभव हुई थीं। अतः हम जानना चाहते हैं कि क्या कठिनाइयां अनुभव हुई थीं और कैसे ये समितियां उन आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकीं जिन्हें पूरा करने के लिए इस परिषद् का सुझाव दिया जा रहा है ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मेरे लिए यह बताना तो बहुत कठिन है कि क्या कठिनाइयां थीं किन्तु ऐसा हुआ है । इन परिषदों में से कुछ का सदस्य होने के नाते मैं जानता हूं कि हम एक या दो दिन के लिए समस्याओं पर विचार करने के हेतु बैठक करते हैं । उसमें कुछ लोग होते हैं और उनमें से हर कोई बोलना चाहता है और आखिर हम कोई निर्णय किये बिना ही बैठक समाप्त कर देते हैं । इस योजना परिषद् का उद्देश्य है कि जो लोग किसी विशेष विषय को जानते हैं या उस क्षेत्र में काम करते हैं वे आकर दिल्ली में बैठक करेंगे । वे योजना आयोग के सदस्य नहीं होंगे क्योंकि वे तो बाहर के लोग होंगे और वे अपना काम नहीं छोड़ सकते । प्रधान मन्त्री ने अपने भाषण में बताया है कि देश में विशेषज्ञों की संख्या अधिक नहीं है और उन्हें और काम करना होता है । किन्तु जिन लोगों को और काम करना है और वे हर दो मास बाद एक सप्ताह इस काम के लिए देने के लिए तैयार हैं तो वे अन्य लोगों के साथ या योजना आयोग के साथ बैठ कर किसी विशेष समस्या पर विचार करें और विशेष

ढंग से सलाह दें तो वह उपयोगी सिद्ध हो सकती है। इसी कारण हमारे पुराने अनुभव को ध्यान में रखते हुए प्रधान मन्त्री ने यह विचार व्यक्त किया कि इस प्रकार के निकाय की आवश्यकता है जो यहां कुछ समय ठहर कर इस काम को करे। चाहे वे एक सप्ताह या पन्द्रह दिन के लिए बैठक करें या वर्ष में दो बार यह इस बात पर निर्भर करता है कि विषय क्या है और चुने गये सदस्यों की विशेष रुचि क्या है।

Shri Gulshan: The last three plans have rendered no good to the backward classes. Will the National Planning scheme take into consideration the plight of these classes and will it have representatives of the backward classes as well.

अध्यक्ष महोदय : वे इसका उत्तर दे चुके हैं।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं इसका उत्तर दे चुका हूं किन्तु माननीय सदस्य को यह बता देना चाहता हूं कि उपाध्यक्ष और हम में से कुछ का यह विचार है कि योजना से सम्बन्धित सामाजिक समस्याओं को अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया और अब योजना के सामाजिक पहलुओं में पिछड़े वर्गों के प्रश्न को विशेष महत्व दिया जाएगा और इसकी ओर उचित ध्यान दिया जायेगा।

श्री हेम बरुआ: क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री ने यह सलाह दी है कि कुछ विशेष परियोजनाओं की गति धीमी कर दी जाए और वर्तमान योजनाओं को अधिक दक्षतापूर्वक चलाए जबकि सरकार के अन्य सदस्यों का विचार है कि हर हालत में औद्योगीकरण के सम्बन्ध में नेहरू के दृष्टिकोण को अपनाया जाए। इस प्रसंग में क्या राष्ट्रीय योजना परिषद् का निर्णय अन्तिम होगा या योजना आयोग का या सरकार उनके मतभेद के बारे में निर्णय देगी।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पहला और दूसरा प्रश्न आपस में मेल नहीं खाते और माननीय सदस्य से निवेदन कर दूं कि उनके प्रश्नों की आधारभूत धारणा गलत है। प्रधान मन्त्री ने यह नहीं कहा कि कुछ परियोजनाओं को धीमे चलाया जाए। उनका विचार केवल यह है कि नई परियोजनायें आरम्भ करने से पहले उन परियोजनाओं को पूरा किया जाए जो आरम्भ की जा चुकी हैं। नई परियोजनाओं को आरम्भ करने की बजाए जिनका फल देर में मिलेगा, परियोजनाओं को पूरा करना निस्सन्देह लाभदायक है क्योंकि उससे लाभ प्राप्त होने लगेगा।

जहां तक राष्ट्रीय योजना परिषद् का सम्बन्ध है...

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार के ऐसे सदस्य हैं जो औद्योगीकरण के बारे में नेहरू की रीति अपनाना चाहते हैं।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : जब प्रश्न का आधार ही गलत है। जब कोई मतभेद है ही नहीं तो अन्य लोगों के मत का प्रश्न नहीं उठता। प्रधान मन्त्री का विचार न तो परस्पर विरोधी है न सरकार के स्वीकृत विचारों के विपरीत वे तो केवल यह कहते हैं कि नयी परियोजनाएं आरम्भ करने से पहले पुरानी परियोजनाएं पूरी करनी चाहियें। विवेकशील व्यक्ति इस पर आपत्ति नहीं कर सकता।

श्री नाथ पाई : वह सरकार के विचारों के अनुकूल है या उससे सहमत।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : राष्ट्रीय योजना परिषद् को तो योजना आयोग को सलाह ही देनी है। इसे योजना आयोग पर थोपा नहीं जा रहा। इसकी चर्चा की अध्यक्षता योजना आयोग के उपाध्यक्ष करेंगे। अतः मतभेद का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री नाथ पाई : जिस बात से आप असहमत हैं उससे प्रधान मन्त्री सहमत हैं या उससे सहानुभूति रखते हैं

अध्यक्ष महोदय : दोनों के बीच में हैं ।

श्री हेम बरुआ : उन्होंने यह शब्द प्रयोग किया था कि वे सहानुभूति रखते हैं ।

श्री नाथ पाई : इसमें असहमति निहित है ।

दामोदर घाटी निगम की नौवहन नहर

*112. **श्री दे० द० पुरी :**
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री हेडा :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल विधान परिषद् में 8 अक्तूबर, 1964 को पश्चिम बंगाल सरकार के सिंचाई तथा जलमार्ग मन्त्री द्वारा दिये गये इस आशय के वक्तव्य की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि दामोदर घाटी निगम की नौवहन नहर के प्रबन्ध को पश्चिम बंगाल द्वारा लेने का कार्य इस कारण रुका पड़ा है कि इस नहर के चालू किये जाने की सम्भावना नहीं है क्योंकि दामोदर घाटी निगम ने इस नहर में इतना पानी नहीं छोड़ा है जिससे इसमें नौवहन हो सके; और

(ख) वास्तविक स्थिति क्या है और नहर के कब चालू किये जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी हां ।

(ख) अपेक्षित सूचना का एक विवरण सभा पटल पर रखा है ।

विवरण

पश्चिमी बंगाल सरकार ने सूचना दी है कि 4 अक्तूबर, 1964 को राज्य विधान परिषद् में पश्चिमी बंगाल के सिंचाई व जलमार्ग मन्त्री द्वारा दिये गए बयान का तात्पर्य यह था कि दामोदर घाटी निगम नौपरिवहन नहर में नौपरिवहन से सम्बद्ध मामला विशेषज्ञों के विचाराधीन था और विशेषज्ञों की रिपोर्ट की प्राप्ति तक राज्य सरकार ने दामोदर घाटी निगम से "नौपरिवहन" नहर को उसके प्रचालन तथा रखरखाव के लिये नहीं लिया था ।

नहर सर्वथा पूर्ण है परन्तु व्यापार के लिये इसके चालन का काम राज्य सरकार ने करना है । नहर को व्यापार के काम में लाने की सम्भावना की जांच करने के लिये राज्य सरकार ने जल परिवहन बोर्ड स्थापित कर दिया है । जल उपलब्धि के प्रश्न पर केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग और पश्चिमी बंगाल के मुख्य अभियन्ता ने विचार किया है, इसका निष्कर्ष निम्नलिखित है :

(1) यदि जलपाश 16 घंटे काम करें तो नहर में मार्च तक नौपरिवहन किया जा सकेगा और लगभग 70,000 एकड़ भूमि की रबी की फसल के लिए सिंचाई सुविधा मिल सकेगी ।

(2) परिवहन सुविधा सारा साल ही उपलब्ध हो, इसकी सम्भाव्यता का अन्वेषण करने के लिये नहर प्रणाली की वास्तविक क्षतियों के सम्बन्ध में अवलोकन करना

आवश्यक होगा । किन्तु पश्चिमी बंगाल सरकार ने सूचना दी है कि इस मामले पर उनके द्वारा स्थापित की गई बिशेषज्ञ समिति अब भी विचार कर रही है ।

श्री दे० द० पुरी: विवरण से यह स्पष्ट है कि नहर के वाणिज्यिक प्रयोग की सम्भावना का अभी पता नहीं लगाया गया । यह कब किया जायेगा ?

डा० कु० ल० राव: जल सम्भरण की सम्भावना का तो पता लगाया जा चुका है । यह नहर पूर्णत: नौवहन योग्य है और पश्चिम बंगाल के माननीय मन्त्री ने इसे स्वीकार कर लिया है । अब वे केवल इस प्रश्न की जांच कर रहे हैं कि वाणिज्यिक दृष्टि से नहर को नौवहन योग्य बनाना लाभदायक होगा या नहीं ।

श्री दे० द० पुरी : यही तो मेरा प्रश्न है । वाणिज्यिक उपयोग की सम्भावना का अनुमान कब लगा लिया जायेगा ।

डा० कु० ल० राव : उस पर पश्चिम बंगाल सरकार विचार कर रही है । उन्होंने कोई निश्चित समय नहीं बताया । इस सम्बन्ध में जल्दी निर्णय करने के लिए मैं यहां परिवहन् मन्त्रालय से भी अनुरोध कर रहा हूं ।

डा० रानेन सेन : क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार के इंजीनियरों ने पहले ही बता दिया है कि चूंकि सारा वर्ष नहर में पानी नहीं रहेगा अत: वाणिज्यिक दृष्टि से नहर को नौवहन योग्य बनाने का कोई लाभ नहीं होगा ? यदि ऐसा है तो इस बारे में सरकार की क्या प्रक्रिया है ?

डा० कु० ल० राव : जैसा मैंने पहले निवेदन किया है पश्चिम बंगाल सरकार ने ऐसा नहीं कहा । उन्होंने यह नहीं कहा कि पानी न होने के कारण यह नहर नौवहन योग्य नहीं हो सकती । सारा वर्ष पानी उपलब्ध करने की बात इस पर निर्भर करती है कि सरकार उसे कितने समय के लिए चलाती है । यदि इसे 16 घंटे चलाएं तो पानी 9 मास के लिए उपलब्ध हो सकता है, यदि नहर 12 घंटे चलाई जाए तो पानी सारा साल उपलब्ध होगा । पश्चिम बंगाल के मन्त्री ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि वे पानी के बारे में विचार नहीं कर रहे वे तो केवल यह विचार कर रहे हैं कि इस में नौवहन से आर्थिक लाभ होगा ।

श्री हेडा : योजना बनने के बाद किन बातों के बदल जाने के कारण सरकार को नहर के वाणिज्यिक पहलू पर पुनर्विचार करना पड़ रहा है ?

डा० कु० ल० राव : मैं स्पष्ट समझ नहीं सका कि माननीय सदस्य क्या पूछना चाहते हैं किन्तु स्थिति यह है कि 1959 में ही नहर नौवहन के लिए तैयार हो चुकी थी । पश्चिम बंगाल सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया जा चुका है और उन्होंने पश्चिम बंगाल के परिवहन निकाय को इस प्रश्न पर विचार के लिए नियुक्त किया है और वह सरकार उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रही है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

विदेशी मुद्रा के रिजर्व

***111. श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की विदेशी मुद्रा के रिजर्व इस समय किस स्थिति में हैं ; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार का भावी दृष्टिकोण क्या है ।

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : (क) भारत की विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि (फारेन एक्सचेंज रिज़र्व्स) में, भारतीय रिजर्व बैंक के पास के सोने को छोड़कर, 6 नवम्बर, 1964 को, यानी जिस अन्तिम तारीख की सूचना उपलब्ध है उस तारीख को, 124.18 करोड़ रुपये के बराबर की रकम थी।

(ख) अनुमान किया जा सकता है कि देश को निर्यात से होने वाली आय अगले कुछ महीनों में बढ़ जायगी, क्योंकि ये महीने निर्यात के लिए अपेक्षाकृत अनुकूल रहते हैं। फिर भी, बड़ी बड़ी अदायगियों को देखते हुए, जिनमें विदेशी ऋणों को चुकाने के लिए और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भारतीय रुपये फिर से खरीदने के लिए की जाने वाली अदायगियां शामिल हैं, अनुमान किया जाता है कि विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि पर दबाव बना रहेगा।

बैंक दर में वृद्धि

*113. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री यशपाल सिंह :
श्री हेडा :
श्रीमती रेणुका राय :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने 1 अक्तूबर, 1964 से बैंक दर को $4\frac{1}{4}$ प्रतिशत से बढ़ा कर 5 प्रतिशत कर दिया है ; और

(ख) बैंक दर में की गई इस वृद्धि का देश की वर्तमान मूल्य स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : (क) जी हां। 26 सितम्बर, 1964 से बैंक दर बढ़ा कर 5 प्रतिशत कर दी गयी थी।

(ख) बैंक-दर कुछ दूसरे फैसलों के सिलसिले में बढ़ायी गयी थी और उन फैसलों का उल्लेख उस समय सभा में दिये गये एक विवरण में भी कर दिया गया था। यह नहीं कहा जा सकता कि बैंक-दर के कारण ही आज मूल्य-स्तर में बढ़ने की प्रवृत्ति पैदा हुई है। आशा की जाती है कि आगे चल कर, कुछ सीमा तक, इसका उलटा असर पड़ेगा।

सिंचाई परियोजनायें

*114. **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री बागड़ी :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
डा० महादेवा प्रसाद :

क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से उन की बड़ी और मध्यम वर्तमान सिंचाई परियोजनाओं का पुनर्विलोकन करने के लिये कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं।

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) :(क) जी, हां। सितम्बर, 1963 में, सभी राज्यों का दौरा करने के लिए तथा वृहत् एवं मध्यम सिंचाई स्कीमों की प्रगति के पुनरावलोकन के लिये दो दल बनाए गए थे। प्रत्येक दल का नेतृत्व केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के सदस्य ने किया। राज्य सरकारों से प्रार्थना की गई कि वे उनकी इस पुनरावलोकन में सहायता करें। पुनरावलोकन अब पूर्ण हो चुका है।

(ख) विवरण सभा पटल पर रखा है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी० 3407/64**]

स्वर्गीय प्रधान मंत्री की चिकित्सा व्यवस्था

*116. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :

क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या उनका ध्यान समाचार पत्रों में प्रकाशित इस आशय के कुछ समाचारों की ओर दिलाया गया है कि 26 मई, 1964 की रात्रि को स्वर्गीय प्रधान मन्त्री की चिकित्सा उतनी नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी ;

(ख) क्या यह जानने के लिए कोई जांच की गई है कि इन समाचारों का आधार क्या है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) से (ग) ऐसी कोई रिपोर्ट ध्यान में नहीं आई है। तथ्य इस प्रकार हैं कि स्वर्गीय प्रधान मन्त्री 26 तारीख की रात को जब सोने गये थे तो उनकी हालत बहुत सन्तोषजनक थी। यह घातक दुर्घटना 27 मई की सुबह के घण्टों में घटी।

आपात्कालीन उपचार के लिये सभी प्रबन्ध साथ वाले कमरे में हमेशा तैयार रहते थे। प्रधान मन्त्री का जो भी उपचार बतलाया गया वह किया गया परन्तु दुर्भाग्य से वह सब व्यर्थ रहा।

WATER POLLUTION IN DELHI

*117. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Yashpal Singh :
Shri Bibhuti Mishra :
Shri K.N. Tiwary :
Shri Bagri :
Shri Vishram Prasad :
Dr. P. Srinivasan :
Shri D.C. Sharma :

Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(*a*) the date upto which the water contamination which took place in Delhi last time continued ;

(*b*) whether there were some reasons other than floods, for this contamination; and

(*c*) the arrangements being made to prevent such contamination of water in future ?

Minister of Health (Dr. Sushila Nayar) : (*a*) The increase of chloride content which started in the first week of September continued till the 13th of October.

(*b*) Floods were the only reason for this.

(*c*) Temporary bunds were constructed to stop flow of polluted water in the river Yamuna upstream of the Intake Works at Wazira bad. Permanent measures for preventing contamination in the future are being devised and will be put through by the Delhi Administration and the Delhi Municipal Corporation.

बर्ड एण्ड कम्पनी

*118. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री दाजी :

क्या **वित्त** मन्त्री 24 सितम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 375 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के कथित उल्लंघन के मामलों के लिये, जिनकी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच की जा रही है, बर्ड एण्ड कम्पनी के विरुद्ध मुकदमे दायर किये गये हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : (क) और (ख). जांच पड़ताल करने के परिणामस्वरूप प्रवर्तन निदेशक ने दिनांक 22 अक्तूबर, 1964 के अपने न्याय-निर्णयादेश में मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी (प्रा०) लिमिटेड, कलकत्ता, और उनकी सहयोजित फर्म मैसर्स उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता पर 67,000 रु० का जुर्माना लगाया है। इस सम्बन्ध में फर्मों के विरुद्ध कोई अभियोग नहीं चलाये गये हैं।

भविष्य निधि की जमा राशि पर ब्याज

*120. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री केप्पन :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भविष्य निधि की जमा राशि पर ब्याज की क्या दर है ;

(ख) क्या हाल में, बैंक दर में वृद्धि किये जाने के परिणामस्वरूप सरकार का विचार अपने कर्मचारियों की जमा भविष्य निधि राशि पर ब्याज की दरों में परिवर्तन करने का है ; और

(ग) ब्याज की दर कितनी बढ़ाने का विचार है और यह दर कब से लागू होगी ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राघवेश्वर साहू) : (क) चार प्रतिशत प्रतिवर्ष ।

(ख) जी नहीं । अभी ऐसा कोई विचार नहीं है ।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

परिवार नियोजन

*121. **श्रीमती शारदा मुकर्जी :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :

क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) सितम्बर, 1963 में चालू किये गये पुनर्गठित परिवार नियोजन कार्यक्रम को राज्य, जिला तथा ग्राम स्तर पर लागू करने के लिये क्या ठोस कदम उठाये गये हैं ;

(ख) क्या एक शासकीय मूल्यांकन दल ने विभिन्न राज्यों में परिवार नियोजन सम्बन्धी प्रगति का अध्ययन कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो कार्यक्रम के कार्यवहन के बारे में दल की क्या राय है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) इस कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिए राज्य सरकारें कार्यवाही कर रही हैं । और आगे भारत सरकार को भेजे बिना इन स्वीकृत योजनाओं की क्रियान्विति के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति दे दी गई थी । इस विषय में विभिन्न राज्यों की स्थिति का एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

(ख) जी हां ।

(ग) परिवार नियोजन कार्यक्रम मूल्यांकन एवं योजना समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबन्ध निदेशक

*122. **श्री दे० द० पुरी :**
श्री सं० ब० पाटिल :
श्री कपूर सिंह :
श्री प्र० के० देव :
श्री सोलंकी :
श्री बूटा सिंह :
श्री गुलशन :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विकासशील देशों की आर्थिक प्रगति के लिये आवश्यक पूर्व अपेक्षाओं के रूप में मुद्रा विषयक और वित्तीय स्थिरता के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबन्ध निदेशक श्री पीयरे-पाल शवाइजर द्वारा व्यक्त विचारों पर ध्यान दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार इस बात से सहमत है कि अर्थ-व्यवस्था के विकास की गति को और अधिक तेज किया जाना चाहिए और साथ ही मुद्रा-बाहुल्य से भी बचना चाहिए । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह जरूरी है कि कर लगा कर, उधार लेकर और सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के अधिशेषों के द्वारा और अधिक साधन जुटाये जायं, तथा उत्पादन को बढ़ाने और वितरण का विनियमन करने के लिए निरन्तर सही मुद्रा नीतियों का पालन किया जायें और विशेष उपाय किये जायं ।

बैनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड

*123. **श्री ओझा :**
श्री रा० गि० दुबे :
श्री यशपाल सिंह :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री जय बहादुर सिंह :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्ज़ बैनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड, बम्बई के मामले में समवाय अधिनियम के अन्तर्गत जांच-पड़ताल की गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो कथित जांच के अनुसरण में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : (क) जी, हां । जांच पड़ताल अभी हो रही है ।

(ख) निरीक्षक की अन्तरिम रिपोर्टों में व्यक्त की गयी अनियमितताओं के आधार पर समवाय अधिनियम की धारा 388 (ख) और 398 के अधीन दो याचिकाएं समवाय न्यायाधिकरण में दायर की गयी हैं । कम्पनी के मामलों में अन्तरिम प्रबन्ध के लिए न्यायाधिकरण पहले ही आदेश दे चुका है ।

इसके अतिरिक्त, समवाय अधिनियम की धारा 408 के अधीन दो सरकारी भाषित व्यक्तियों को भी कम्पनी के बोर्ड में निदेशकों के रूप में 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त कर दिया गया है ।

कृष्णा-गोदावरी जल-विवाद

*125. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री 10 सितम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 99 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कृष्णा-गोदावरी नदियों के पानी के बटवारे के प्रश्न पर मैसूर, आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों के बीच विवाद को सुलझाने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मैसूर के मुख्य मंत्रियों और सिंचाई मंत्रियों के साथ 19 अगस्त, 1964 को एक बैठक की गई थी। 29 अक्तूबर, 1964 को जो वार्तालाप जारी रखा जाना था, श्री दासप्पा की शोकमय मृत्य के कारण स्थगित करना पड़ा। इस वार्तालाप को दिसम्बर के तीसरे सप्ताह में अब पुनः चालू करने का विचार है।

यूनिट ट्रस्ट की यूनिटें

*126. **श्रीमती रेणुका राय :**
श्री जय बहादुर सिंह :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री मा० ल० जाधव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक यूनिट ट्रस्ट की यूनिटों की बिक्री से कुल कितनी धनराशि एकत्र की गयी है;

(ख) अन्य छोटी बचत योजनाओं की प्रत्याभूतियों का धन लेकर ये यूनिट किस हद तक खरीदे गये हैं; और

(ग) इन यूनिटों की अधिक बिक्री सुनिश्चित करने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : (क) 21 नवम्बर, 1964 तक बेचे गये यूनिटों के कुल मूल्य का ब्योरा तैयार किया जा रहा है और आवश्यक जानकारी देने वाला एक विवरण सभा की मेज़ पर रख दिया जायेगा।

(ख) यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि विभिन्न अल्प बचत योजनाओं में लगाये गये धन में से रकमें निकाल कर इन यूनिटों में लगायी गयी हैं।

(ग) इस योजना के अन्तर्गत पहले ही 1,27,000 आवेदनपत्र प्राप्त हो चुके हैं, इसलिए जान पड़ता है कि मांग सन्तोषजनक है। फिर भी, सरकार ने विभिन्न तरीकों से बचत करने को, जिसमें 'यूनिट' खरीदना भी शामिल है, लोकप्रिय बनाने के उपायों पर विचार करने और उन्हें अमल में लाने के लिए एक बचत संग्रह बोर्ड (सेविंग्स मोबिलाइज़ेशन बोर्ड) बनाया है।

छोटे नगरों का आर्थिक विकास

*128. श्री हेम राज :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रा० बरुआ :
श्री यु० सिं० चौधरी :

क्या स्वास्थ्य मंत्री 17 सितम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 238 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या पर्वतीय तथा सीमा क्षेत्रों के छोटे नगरों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिये सरकार द्वारा स्थापित समिति ने इस बीच अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसने क्या निर्णय लिये और क्या उसकी प्रति सभा-पटल पर रख दी जायेगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख). समिति को आशा है कि वह अपनी रिपोर्ट को शीघ्र ही अन्तिम रूप दे देगी। रिपोर्ट की एक प्रति उपलब्ध होते ही संसद् के पुस्तकालय में रख दी जायेगी।

योजना आयोग का पुनर्गठन

*129. श्री हेम बरुआ :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री गुलशन :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री रा० बरुआ :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री ह० च० सोय :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार योजना आयोग का पुनर्गठन करने का तथा उसमें एक सलाहकार संस्था बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो पुनर्गठन योजना तथा प्रस्तावित सलाहकार संस्था के कार्यों की मुख्य बातें क्या हैं

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). राष्ट्रीय आयोजन परिषद् के नाम से एक संस्था गठित करने का विचार है। इसमें वैज्ञानिक, इंजीनियर, अर्थ-शास्त्री, प्रशासक तथा अन्य विशेषज्ञ होंगे और यह योजना आयोग को उन समस्याओं पर सलाह देगा जो इसे भेजी जायेंगी। पुनर्गठन से सम्बन्धित विचारों को अभी वास्तविक रूप नहीं दिया गया है।

दिल्ली में बाढ़

*130. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री हेडा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री गुलशन :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री बाल्मीकी :
श्री मुरली मनोहर :
श्री राम हरख यादव :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में वर्षा तथा नालों में दरारें पड़ने के कारण आई बाढ़ से कितनी हानि हुई है;

(ख) बाढ़ से जिन लोगों को हानि हुई है उनको किस प्रकार की तथा कितनी सहायता दी गई थी;

(ग) क्या पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान की राज्य सरकारों के परामर्श से भविष्य में ऐसी स्थिति का मुकाबला करने के लिये कोई विस्तृत योजना बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) दिल्ली राज्य में बाढ़ों द्वारा लगभग 1,13,000 एकड़ भूमि जलप्लावित हुई है। बाढ़ द्वारा प्रभावित कृषि अधीन क्षेत्र 46,681 एकड़ है और उन ग्रामों की संख्या जो बाढ़ द्वारा प्रभावित हुए हैं, 120 है। सूचना मिली है कि लगभग 5000 पक्के घरों और 25,000 कच्चे घरों को या तो हानि पहुंची या वे सर्वथा नष्ट हो गये हैं। कुल आर्थिक हानि, उन घरों की कीमतों को निकाल कर जिन को या तो हानि पहुंची है या वे नष्ट हो गये हैं, के 1.25 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

(ख) प्रति व्यक्ति को 25 रुपये के हिसाब से मुफ्त अनुदान दिया जा रहा है, किन्तु किसी भी परिवार को 100 रुपये से अधिक नहीं मिलता है। पात्र व्यक्तियों को राशन मुफ्त दिया जा रहा है। सहायता शिविर चलाये जा रहे हैं। सीमेंट की खाली बोरियां, सुर्खी, बांस, बल्लियां, तम्बू, टीन की चादरें और कई अन्य वस्तुएं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीणों को दी

गई थीं। ग्रामीणों को उनकी सहुलियत के लिये तथा उनके यातायात में शीघ्रता लाने के लिये मिलिट्री की 'डक्स' और किश्तियां दी गई थीं।

(ग) दिल्ली संघीय प्रदेश तथा उसके सहवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ समस्या का अध्ययन करने के लिये विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई है, और उनके सुझावों की रोशनी में ही कार्यवाही की जायेगी। दिल्ली में एवं पंजाब तथा राजस्थान के सहवर्ती क्षेत्रों में समेकित आयोजन, शीघ्र कार्यान्वयन के लिए एकीकृत नियंत्रण एवं निदेशन और प्रभावकारी रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिये एक बाढ़ नियंत्रण बोर्ड भी निर्मित किया गया है।

(घ) यह पैरा (ग) के उत्तर में कथित विशेषज्ञ समिति के सुझावों पर विचार करेगा। अन्तर्राज्यीय नालियों अथवा नदियों के बाढ़ नियंत्रण कार्यों की सूचियां तैयार करने, उनके कार्यान्वयन और पैसा लगाने की समस्या का अध्ययन करने, उनके चालन और रखरखाव में अन्तर्राज्यीय नियंत्रण तथा समन्वयन की समस्याओं पर विचार करने तथा दरारों को बन्द करने और बाढ़ सहायता कार्यों के लिए संगठनों के बनाने पर विचार करने के लिए मुख्य मंत्रियों और सिंचाई मंत्रियों की एक बैठक 27 नवम्बर, 1964 को हो रही है।

लोदी हाउस होस्टल, नई दिल्ली

*131. **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री बागड़ी :

क्या निर्माण और आवास मंत्री 10 सितम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 108 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच विचार कर लिया है कि लोदी हाउस होस्टल, नई दिल्ली की वर्तमान प्रबन्ध व्यवस्था को बदल दिया जाये;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस परिवर्तन के कारण क्या हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) से (ग). मामला अभी तक विचाराधीन है।

टोक्यो में विश्व बैंक की बैठक

*132. **श्री रामनाथन् चेट्टियार** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टोक्यो में हाल में ही हुई विश्व बैंक की बैठक में भारत ने भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो भारतीय दल में कौन कौन व्यक्ति थे; और

(ग) इस बैठक में किन विषयों पर चर्चा हुई थी और उसके क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : (क) जी, हां।

(ख) वित्त मंत्री इस प्रतिनिधिमण्डल के नेता थे। अन्य सदस्यों के नाम ये हैं :

(1) श्री एस० भूतलिंगम, वित्त सचिव

(2) श्री पी० सी० भट्टाचार्य, गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक

(3) श्री बी० के० मदान, डिप्टी गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक

(4) श्री सी० एस० कृष्णमूर्ति, संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय

(5) श्री आई० जी० पटेल, अतिथि प्राध्यापक (विजिटिंग प्रोफेसर), दिल्ली विश्वविद्यालय

(ग) बैंक और उसकी सम्बद्ध संस्थाओं--अन्तर्राष्ट्रीय वित्त नियम और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की वार्षिक रिपोर्टों पर आम बहस के अलावा इस बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य किये गये :

(1) यह निश्चय किया गया कि अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की वास्तविक आय में से 5 करोड़ डालर की रकम अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ को अनुदान के रूप में दी जाय। बैंक की शेष वास्तविक आय बैंक की प्रारक्षित निधियों में डाल दी गयी।

(2) यह स्वीकार किया गया कि बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के करार की शर्तों में उचित संशोधन किये जायं ताकि निगम अपने कार्यों के लिए बैंक से ऋण ले सके।

(3) यह भी निश्चय किया गया कि ऐसी सुविधाएं देने और कार्य-प्रणालियां जारी करने के लिए एक अभिसमय (कनवेनशन) तैयार किया जाय, जो करार करने वाले राज्यों और करार करने वाले अन्य राज्यों के राष्ट्रजनों के बीच निवेश सम्बन्धी विवादों को, ऐच्छिक तौर पर, समझौते और पंच-निर्णय के आधार पर हल करने के लिए काम में लाया जाय।

दिल्ली में उपभोक्ता वस्तुओं के भाव

*133. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) **क्या सरकार का ध्यान राष्ट्रीय उपभोक्ता सेवा सर्वेक्षण की ओर दिलाया गया है** जिस में बताया गया है कि दिल्ली में भावों को नियंत्रण में रखने के सरकार के सभी प्रयत्नों के बावजूद भी सितम्बर, 1964 की तुलना में अक्तूबर में अधिकांश उपभोक्ता वस्तुओं के भाव बढ़े हैं ;

(ख) यदि हा, तो तेल, घी, दूध, चाय ब्लेड, साबुन, गुड़, दालों, तथा अनाज के भाव कितने बढ़े हैं ; और

(ग) क्या नवम्बर, 1964 में ये भाव और बढ़े हैं और यदि हा, तो किस सीमा तक ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : (क) और (ख) राष्ट्रीय उपभोक्ता सेवा (नेशनल कंज्यूमर सर्विस) ने सरकार को सूचना दी है कि उसने ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं निकाली। फिर भी, सभा की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है जिसमें प्रश्न में उल्लिखित वस्तुओं के सितम्बर और अक्तूबर 1964 में दिल्ली में प्रचलित औसत उपभोक्ता मूल्य, राष्ट्रीय उपभोक्ता सेवा (नेशनल कंज्यूमर सर्विस) की मासिक समीक्षाओं से लेकर दिये गये हैं। इनमें से अधिकांश वस्तुओं के भाव बढ गये और वे कितने बढ़े, इसे विवरण में देखा जा सकता है।

(ग) नवम्बर महीने के तुलनात्मक आकड़े महीने के अन्त में मिल सकेंगे। बहुत सी वस्तुओं, खासतौर से अनाज और दालों के भावों का बढ़ना रुक गया है।

सिंचाई क्षमता

*134. श्री हेम बरुआ :
श्री कोल्ला वेंकैया :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरी योजना के अन्त में सिंचाई क्षमता उस से और कम हो जायेगी जितनी का एक वर्ष पहले अनुमान लगाया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी कमी होने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) मध्य-योजना अनुमान (1963 का उत्तरार्ध) के समय, 231.6 लाख एकड़ की सिंचाई शक्यता उत्पन्न होने की सम्भावना थी । केन्द्रीय सिंचाई दलों द्वारा परियोजनाओं की प्रगति के हाल ही में किये गये पुनरवलोकन के परिणामस्वरूप, अब ऐसा अनुमान है, तृतीय योजना के अन्त तक 196.2 लाख एकड़ की सिंचाई शक्यता उत्पन्न हो जायेगी ।

बैंक आफ चाइना

*135. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हेम बरुआ :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री सोलंकी :
श्री बूटा सिंह :
श्री गुलशन :
श्री कपूर सिंह :
श्री किशन पटनायक :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री रा० बरुआ :

क्या वित्त मंत्री 17 सितम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 235 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक आफ चाइना के कार्यों की जांच इस बीच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो मुख्य उपपत्तियां क्या हैं ; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, हां ।

(ख) जांच की रिपोर्ट के अनुसार, यह बैंक अदायगियां करते समय हमेशा ही निर्धारित कार्यप्रणाली का पालन नहीं करता था । जांच करने वाले अधिकारी के अनुसार, यह बैंक कुछ चीनी संस्थाओं को, विशेष कर कलकत्ते और कलिम्पोंग की संस्थाओं को, विशेष सुविधाएं भी प्रदान करता था और इस के बहुत से कर्मचारी गुप्त सूचनाएं इकट्ठी करते थे या भारत-विरोधी कार्रवाइयां करते थे ।

(ग) जासूसी या अन्य अवांछनीय कार्रवाइयां करने वाले कर्मचारियों को, जब कभी आवश्यक समझा गया देश से बाहर निकाल दिया गया । दिसम्बर, 1962 में बैंक का परिसमापन कर दिया गया और चीन से भरती किये गये इस बैंक के सभी कर्मचारी अब इस देश से चले गये हैं ।

क्षय रोगियों को सहायता

258. **श्री कोट्टेकाट्ट :**
श्री अ० व० राघवन :
श्री केप्पन :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष केरल में क्षय रोगियों को सहायता देने के लिए कितने प्रार्थनापत्र मिले हैं ;

(ख) कितने प्रार्थनापत्रों पर अब तक कार्यवाही की गई है ;

(ग) अब तक कितनी राशि दी गई है ; और

(घ) विचाराधीन प्रार्थनापत्रों को शीघ्र निबटाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (घ) केरल में क्षय रोगियों को सहायता देने की कोई योजना नहीं है किन्तु क्षय रोग से ग्रस्त व्यक्तियों के चार प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए हैं । एक व्यक्ति को स्वास्थ्य मंत्री के स्वविवेक अनुदान की राशि में से 100 रुपये गये हैं । अन्य व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है ।

बागमती नदी

259. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि ढांग और बैरागनिया के बीच बागमती नदी के पानी को रेलवे पुल में से नये मार्ग की बजाय पुराने मार्ग से पानी का बहाव ले जाने में सफलता मिली है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : बिहार सरकार ने रिपोर्ट दी है कि बागमती नदी के बहाव को नये मार्ग से हटा कर पुराने मार्ग पर ले जाने के लिए जो प्रयोगात्मक नाली खोदी गयी थी उस में कम बहाव के समय 40 से 60 प्रतिशत और अधिक बहाव के समय 70 से 75 प्रतिशत पानी बहता है ।

औद्योगिक विकास बैंक

260. **श्री रामनाथन् चेट्टियार :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक विकास बैंक चालू हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस के निदेशक बोर्ड और प्रबन्ध व्यवस्था का स्वरूप क्या है ; और

(ग) कितने स्थानों पर इसकी शाखाएं खोलने का विचार है और ये शाखाएं कब चालू हो जायेंगी ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग) भारत के औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 के अधीन भारत का औद्योगिक विकास बैंक 1 जुलाई, 1964 को स्थापित हो गया था और उसका काम आरम्भ हो गया था ।

उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसार विकास बैंक के निदेशकों के बोर्ड में वही लोग होंगे जो रिज़र्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड के निदेशक हैं । विकास बैंक के वर्तमान निदेशकों की एक सूची सभा पटल पर रखे विवरण [पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 3410/64] में दी गई है । रिज़र्व बैंक का गवर्नर और एक डिप्टी गवर्नर विकास बैंक के क्रमश: अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं ।

जहां तक प्रबन्ध व्यवस्था का सम्बन्ध है महाप्रबन्धक मुख्य कार्यकारी अधिकारी है जो प्रशासन का प्रभारी है और उपाध्यक्ष के आदेश के अनुसार नित्य प्रति का कार्य संचालन करता है । महाप्रबन्धक आर्थिक सलाहकार व उपमहाप्रबन्धक है और एक अन्य उप-महाप्रबन्धक है जो विकास बैंक के विभिन्न विभागों की देख रेख का काम करता है । विकास बैंक का मुख्यालय बम्बई रिज़र्व बैंक की ईमारत में है । इस समय विकास बैंक की कोई शाखाएं नहीं और निकट भविष्य में शाखाएं खोलने का विचार नहीं ।

बंगलौर के लिये जल-संभरण योजना

261. **श्री राम हरख यादव :**
श्री मुरली मनोहर :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि

(क) क्या बंगलौर के लिए जल सम्भरण की एक बड़ी व्यापक योजना बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर कितने खर्च का अनुमान है ; और

(ग) परियोजना में केन्द्रीय सरकार कितना अंशदान देगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां ।

(ख) परियोजना का अनुमित व्यय 25 करोड़ रुपये है ।

(ग) बंगलौर के लिए जल सम्भरण की व्यापक योजना की कार्यान्विति की मंजूरी राष्ट्रीय जल सम्भरण और सफाई कार्यक्रम (शहरी) के अन्तर्गत दी गई है और उसमें केन्द्रीय सहायता 100 प्रतिशत ऋण के आधार पर है ।

भारत सरकार ने 1964-65 में इस परियोजना पर खर्च के लिए 1·5 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है । यह सहायता उस सहायता के अलावा है जो राज्य को पहले बताई जा चुकी है और जो 1964-65 के स्वीकृत योजना व्यय के लिए है और 100 प्रतिशत ऋण के आधार पर होगी ।

दामोदर घाटी निगम का चन्द्रपुर बिजली घर

262. **श्री राम हरख यादव :**
श्री मुरली मनोहर :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दामोदर घाटी निगम चन्द्रपुर बिजली घर में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या बिजली घर तैयार होने वाला है और चालू हो जायेगा ;

(ग) इस में कितनी बिजली का उत्पादन करने की क्षमता होगी ; और

(घ) इसके निर्माण में अब तक कितना खर्च हुआ है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (ग) चन्द्रपुर बिजली घर में तीन प्रजनन एकक स्थापित किए जायेंगे जिनमें से प्रत्येक में 140 मेगावाट बिजली के उत्पादन की क्षमता होगी । तीन एककों की पूरी क्षमता 420 मेगावाट होगी और स्थिर क्षमता 260 मेगावाट होगी ।

पहला एकक स्थापित हो चुका है और वह प्रयोगात्मक रूप में चल रहा है । आशा है उसे शीघ्र ही वाणिज्यिक तौर पर चालू किया जा रहा है । दूसरे एकक की स्थापना का काम प्रगति पर है और आशा है कि उसकी स्थापना मार्च, 1965 के आखिर तक पूरी हो जायेगी और तब इसे प्रयोगात्मक रूप में चालू कर दिया जायेगा । तीसरे एकक के सम्बन्ध में इंजीनियरिंग का काम और संयंत्र प्राप्त करने का काम प्रगति पर है । आशा है कि प्रायः जून 1967 के आखिर तक इस एकक का काम पूरा हो जायेगा और वह चालू हो जायेगा ।

(घ) बिजली घर पर अब तक 25 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है ।

उड़ीसा में स्वर्णकार

263. **श्री रामचन्द्र मल्लिक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से ऋण मांगा है ताकि स्वर्णकारों को लघु उद्योग स्थापित करने के लिए दिया जा सके ; और

(ख) यदि हां तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) नहीं श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

उड़ीसा में परिवार नियोजन केन्द्र

264. **श्री रामचन्द्र मल्लिक** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) इस समय उड़ीसा राज्य में शहरों और गांवों में अलग अलग कितने परिवार नियोजन केन्द्र काम कर रहे हैं , और

(ख) 1 अप्रैल, 1956 से 31 मार्च, 1957 तक प्रतिवर्ष राज सहायता और ऋण के रूप में उन्हें कितनी वित्तीय सहायता दी गई ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) उड़ीसा में शहरों और नगरों में जितने परिवार नियोजन केन्द्र काम कर रहे हैं व इस प्रकार हैं :—

शहरी	देहाती	कुल
46	71	117

(ख) वर्ष 1961–62 तक राज्य सरकारों को चुकता रकम के रूप में अनुदान दिये जाते थे। इसलिए उस काल तक उड़ीसा सरकार को कितना अनुदान दिया गया यह नहीं बताया जा सकता। 1962–63 में राज्य सरकार को परिवार नियोजन के लिए जो अनुदान दिया गया उस का ब्वौरा इस प्रकार है :

वर्ष	राशि (लाख रुपयों में)
1962–63	2.83
1963–64 . (अस्थायी)	3.83

उड़ीसा में स्वयंसेवी संगठनों और स्थानीय निकायों को निम्नलिखित अनुदान दिये गये :

वर्ष	मंजूर की गई राशि (लाख रुपयों में)	
	स्वयंसेवी संगठन	स्थानीय निकाय
1962–63 .	5.87	..
1963–64 .	0.94	1.03
कुल .	6.81	1.03

कृषि परियोजनाओं को विश्व बैंक की सहायता

265. श्री रामेश्वर टांटिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक ने भारत की कृषि परियोजनाओं में सहायता देना स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां तो विश्व बैंक ने किस प्रकार की सहायता का आश्वासन दिया है ;

(ग) विश्व बैंक ने क्या शर्तें लगाई हैं ; और

(घ) केन्द्रीय सरकार उस ऋण का किस प्रकार प्रयोग करेगी ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) हाल ही में आर्थिक विकास में ऋण देकर कृषि को महत्व देने की जो आम नीति स्वीकार की गई है उसके अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था ने (जो विश्व बैंक की सम्बद्ध संस्था है) उत्तर प्रदेश की नलकूप योजना और पंजाब जल निस्सारण और खाद्य संरक्षण योजना (ऐसी कृषि योजनाओं के अलावा जिन्हें भारत में पहले सहायता दी जा चुकी है) की आगे की प्रगति में वित्तीय सहायता देने के बारे में विचार करना स्वीकार किया है।

(ख) से (घ) यहां उल्लिखित ब्यौरे का तभी पता लगेगा जब उपर्युक्त परियोजनाएं पूरी तैयार हो जायेंगी और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था के साथ उन के बारे में बातचीत होगी।

सरकारी अधिकारियों की विदेश यात्रा

267. **श्री रा० गि० दुबे** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) भारत के विभिन्न राज्यों के विभिन्न सरकारी अस्पतालों के किन किन अधिकारियों को भारत सरकार ने, विदेशों में व्यावसायिक और तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने के लिए सरकारी खर्च पर भेजा, उन्हें 1 अप्रैल 1963 से 30 सितम्बर, 1964 के बीच किन तारीखों पर भेजा गया और वे कब कब लौटे ; और

(ख) अन्य अधिकारियों के नाम और पद क्या हैं (अन्य व्यावसायिक तथा अन्य में से) जिन्हें उपरोक्त अवधि में विदेश भेजा गया और उन पर कुल कितना खर्च हुआ ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रखी जायेगी।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रादेशिक समिति

268. **श्री र० गि० दुबे** :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रादेशिक समिति ने 1966 के लिए कोई कार्यक्रम बनाया है जिस पर 60 लाख रुपया खर्च होगा ; और

(ख) इस निधि में से दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के लिए कितना कितना नियत किया गया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां।

(ख) रकम का विस्तृत ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

देश का नाम	निर्धारित रकम
	यू० एस०
1. अफगानिस्तान	492,316
2. बर्मा	386,248
3. श्रीलंका	215,523
4. भारत	1,306,914
5. इण्डोनेशिया	1,005,639
6. मालदीव द्वीपसमूह	55,959
7. मंगोलिया	132,278
8. नेपाल	393,441
9. थाईलैण्ड	390,274
10 अन्तर्देशीय परियोजनाएं	333,697
जोड़	4,712,289
निम्नलिखित खर्च जोड़िये—	
(क) प्रादेशिक कार्यालय (ख) प्रादेशिक परामर्शदाता ; और (ग) विश्व स्वास्थ्य संघ प्रतिनिधि	1,309,932
कुल जोड़	6,022,221

Smuggling

269. **Shri Vishram Prasad :**
Shri Bagri :

Will the **Minister of Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that contraband gold worth rupees 55 lakhs, 2000 watches and foreign and Indian currency notes and coins were seized on the 1st September, 1964; from 1"Shaktisadan", B-Block, Co-operative Housing Society, Bombay];

(b) if so, the details thereof : and

(c) the action being taken by Government in the matter?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) Gold, watches, foreign and Indian currency were seized from a building named Shaktisadan at Tardeo, Bombay, on 14th September, 1964 :

(b) Gold 34000 tolas.

	Rs.
Value at international rate	21,25,000
Indian currency	5,00,000
Foreign currency and travellers' cheques	1,00,000
2000 watches . . .	2,00,000
2 Cars	25,000
TOTAL	29,50,000

(c) The matter is still under investigation.

दिल्ली के लिये संक्रामक रोग एकक

270. **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री बागड़ी :
श्री ब्रजराज सिंह कोटा :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या राजधानी में संक्रामक रोगों के अध्ययन और उन को रोकने के उपायों पर एक संक्रामक रोग एकक स्थापित करने के बारे में सरकार का विचार है ;

(ख) क्या यह सच है कि लन्दन काउण्टी कौंसिल प्रयोगशाला के समान एक आधुनिक जल परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने की भी योजना है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) (i) संक्रामक रोग एकक ।

यह विचार है कि छूत रोग इंस्टीट्यट, दिल्ली के तकनीकी सहयोग से दिल्ली नगर निगम के अधीन एक संक्रामक रोग एकक स्थापित करने का विचार है :

(1) संक्रामक रोग और महामारी की जांच के लिये ।

(2) क्षयरोग, डिप्थेरिया, और टीटेनस और इनफेक्सस हेपाटीटस सम्बन्धित परिभाषित समस्याओं की जांच ।

(3) नियंत्रक उपायों की योजना, और

(4) नियंत्रक उपायों को व्यवस्थित रूप देने के लिये उन के परिणामों का महत्व निर्धारित करना ।

(ii) जल परीक्षण प्रयोगशाला ।

जल परीक्षण प्रयोगशाला और कार्य-विधि को विश्व की आधुनिकतम प्रयोगशालाओं और कार्य विधियों के समानान्तर रूप देने के लिए दिल्ली नगर निगम ने यह प्रार्थना की है कि जल परीक्षण

निदेशक, मेट्रोपोलिटन वाटर बोर्ड, लन्दन की सेवाएं प्राप्त की जाएं। उनकी सेवाएं कोलम्बो योजना के अन्तर्गत प्राप्त करने का प्रश्न विचाराधीन है।

Construction of Cinema Houses in New Delhi

271. **Shri M.L. Dwivedi :**
Shrimati Savitri Nigam :
Shri Subodh Hansda :
Shri S. C. Samanta :

Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether the new Delhi Municipal Committee has sought the sanction of his Ministry for the construction of eight new cinema houses near about Connaught Place, New Delhi ; and

(b) if so, Government's reaction to the proposal?

The Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna) :

(a) No.

(b) Does not arise.

कोपिली नदी घाटी परियोजना

272. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोपिली नदी घाटी परियोजना के लिए एक उपयुक्त वैकल्पिक स्थान का निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कहां और परियोजना की लागत और आकार-प्रकार का पुनरीक्षित ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस योजना को कार्यान्वित करने की दिशा में और क्या कदम उठाये गये हैं और यह परियोजना कब तक पूरी होगी ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) एक उपयुक्त वैकल्पिक स्थान निर्णीत करने के बारे में अध्ययन किया जा रहा है।

(ख) अध्ययन पूरा होने पर ही उपरोक्त ब्यौरा विदित होगा।

(ग) इस समय प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि विस्तृत अध्ययन अभी प्रगति पर है और पहले उसे पूरा किया जायेगा।

नकली 'प्रवर्तन गिरोह' †

273. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आशय की रिपोर्ट की ओर आकृष्ट हुआ है कि पांच व्यक्तियों के गिरोह ने बम्बई में घाटकोपर में एक धनी व्यापारी के घर छापा मारा। यह बताते हुए कि

†Fake Enforcement Gang.

वे (एन्फोर्समेंट डाइरेक्टोरेट) प्रवर्तन निदेशालय के व्यक्ति हैं और मामले को रफादफा करने कि लिये 40,000 रुपये रिश्वत ली ; और

(ख) यदि हां, तो प्रवर्तन निदेशालय से सम्बन्धित व्यक्तियों के नाम पर इस प्रकार शरारती व्यक्तियों द्वारा छापे रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि जो लोग उनके पास आयें वे आवश्यक अधिकार प्राप्त एवं उपयुक्त परिचय पत्रों सहित हों ।

आयुर्वेदिक अध्ययन और गवेषणा संस्था, जामनगर

274. **श्री श्री नारायण दास :**
श्री रा० गि० दुबे :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि जामनगर स्थित आयुर्वेद अध्ययन तथा गवेषणा इंस्टीट्यूट को स्नातकोत्तर और वैज्ञानिक आधार पर गवेषणा कार्य के लिये सुविधायें जुटाने की दृष्टि से पुनर्गठित किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में प्रस्तावों का यथार्थ स्वरूप क्या है ;

(ग) क्या प्रस्तावित पुनर्गठन की वित्तीय अन्तर्ग्रस्तताओं का अध्ययन कर लिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (घ) आयुर्वेद अध्ययन तथा गवेषणा संस्था, जामनगर की प्रशासी निकाय ने गवेषणा तथा स्नातकोत्तर इंस्टिट्यूट के रूप में इस संस्था को पुनर्गठित करने का सुझाव दिया है जहां पर अवर स्नातक आयुर्वेद शिक्षा भी दी जायेगी । इस समिति की शीघ्र बैठक होगी और वह प्रशासी निकाय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे ।

Prime Minister's Residence

275. **Shri Jagdev Singh Siddhanti :** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether some extension work is being done at the Janpath residence of the Prime Minister ;

(b) if so, the area of the same and whether some bungalows around it have been got vacated; and if so, the number thereof;

(c) the expenditure to be incurred on the new construction;

(d) whether some other good buildings were suggested for the residence of the Prime Minister ; and

(e) if so, the reasons for not selecting any of those buildings and for undertaking the new construction?

Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna) (a) and (b). Shri Lal Bahadur Shastri has been living in No. 1, Motilal Nehru Place for quite some time. When he became Prime Minister, the adjoining House No. 10, Janpath, was made available for his official work and entertainment of official guests.

(c) As additions and alterations are still being carried out, the amount of the expenditure incurred cannot be indicated.

(d) and (e) A couple of other houses were suggested but the Prime Minister preferred to stay on in the very house where he was living as Minister without Portfolio.

Hindi Typewriters in C.P.W.D.

276. **Shri Vishram Prasad :**
Shri Bagri :

Will the Minister for **Works and Housing** be pleased to state :

(a) the number of circles and divisional offices of the C.P.W.D. situated in Hindi speaking areas, not having Hindi typewriters ; and

(b) the arrangements being made to provide Hindi typewriters in these offices ?

Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) 93.

(b) At present, the volume of Hindi correspondence in the circle and Divisional offices of the Central Public Works Department is small. As it increases, steps will be taken to provide Hindi typewriters.

विदेशी फर्म के विरुद्ध जांच

277. **श्री न० रा० लास्कर :** क्या **वित्त** मंत्री 10 सितम्बर, 1964 को तारांकित प्रश्न संख्या 112 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कलकत्ता में विदेशी फर्म के विरुद्ध जांच के क्या परिणाम निकले हैं जहां अपराध सिद्ध करने वाले कुछ दस्तावेज़ प्राप्त किये गये थे;

(ख) विदेशी विनिमय विनियमों का कथित उल्लंघन करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) उक्त फर्म का क्या नाम है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) फर्म द्वारा विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने की बात पायी गई थी और प्रवर्तन निदेशालय ने न्यायनिर्णयन कार्यवाही के दौरान इस फर्म और इसके द्वारा प्रबंधित समवायों पर 19,000 रु० का कुल जुर्माना किया था ।

(ग) मैसर्स बी० एन० इलियास एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड तथा अन्य प्रबंधित समवाय ।

गर्भ निरोधक का निर्माण

278. श्री न० रा० लास्कर :
श्री दलजीत सिंह :

क्या स्वास्थ्य मंत्री गर्भ निरोधकों के बारे में 1 अक्टूबर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1636 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत रबड़ के गर्भनिरोधक निर्मित करने के निर्णय को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर कुल कितना खर्च होगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) इस प्रस्ताव का ब्यौरा अभी तैयार किया जा रहा है ।

Night Shelters

279. **Shri Naval Prabhakar :**
Shri Yashpal Singh :
Shri P.G. Sen :
Shri Ram Sewak :

Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether the arrangements for providing night shelters to five thousand persons in Delhi have been made ;

(b) the number of night shelters at present;

(c) the number of persons living thereunder ;

(d) the number of more night shelters required ; and

(e) the agency to whom the work of constructing night shelters has been entrusted ?

Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna): (a) to (d). The Delhi Municipal Corporation and the Bharat Sevak Samaj have so far provided 23 night shelters for about 2,100 persons in Delhi. Arrangements for providing shelters for another 2,200 persons would be completed shortly. More night shelters will be provided, if necessary. About 750 persons are at present utilising the night shelters.

(e) The Delhi Municipal Corporation and the Bharat Sewak Samaj.

Delhi Development Authority

280. **Shri Naval Prabhakar :** Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) the number of residential plots auctioned by Delhi Development Authority on the 18th and 25th October, 1964 respectively ;

(b) the lowest and highest rates per square yard which plots of different sizes could fetch in their respective bids ; and

(c) whether these plots have been auctioned at no-profit no-loss basis ?

Minister of Health : (Dr. Sushila Nayar) : (a) 32 and 30 respectively.

(b) The lowest and the highest rates in respect of plots auctioned in the Safdarjang Residential Scheme Block 'B' (Part—II) South of Nala are given below :—

Date of auction	Size of plots	Lowest rate per sq. yd.	Highest rate per sq. yd.
		Rs.	Rs.
18-10-1964 . . .	199—300	65·19	75·63
18-10-1964 . . .	301—500 & above.	58·10	70·33
25-10-1964 .	199—300	62·64	73·37
25-10-1964 .	301—500 & above.	46·24	59·91

(c) No.

Najafgarh Lake, Delhi

281. Shri Naval Prabhakar : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether water has been dischared from the area flooded by the Najafgarh lake in Delhi ;

(b) if not, the reasons therefor; and

(c) when it is likely to be discharged ?

Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) and (b) The highest level attained by the Najafgarh Jheel during this monsoon was 695·6. A substantial part of it has already been discharged into the Yamuna. The present level at Kakola is 691·90. Efforts are continuing to improve the flow conditions in the Najafgarh drain to further expedite the discharge of the flood waters into the Yamuna.

(c) In about a month's time the level is expected to go down to 690·00.

विद्युद्‌णु सम्बन्धी (इलेक्ट्रानिक) मशीनें

282. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री मन्नुलाल द्विवेदी :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेष रूप से भारत की विभिन्न प्रयोगशालाओं में सेकने, मालिश करने और चीर फाड़ कार्यों के लिये खून की जांच के लिये इलेक्ट्रानिक मशीनें प्रयुक्त की गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो व्यवहृत और मूलभूत समस्याओं की जांच में अब तक कितनी सफलता मिली है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) और (ख) अधिकांश जनरल अस्पतालों में विशेष रूप से सेकने (शुष्क गर्मी) मालिश की फिजियो थेरापी विभागों में बिजली की मशीनें प्रयुक्त की जाती हैं। रक्त संचालन, परीक्षण आदि चीर-फाड़ के प्रबन्ध में तथा प्रयोगशालाओं में इस प्रकार के उपकरण प्रयुक्त किये जाते हैं। यह उपकरण सामान्य समस्याओं की जांच के लिये नहीं वरन् चिकित्सा के विशिष्ट प्रयोजनों अथवा परीक्षण के लिये प्रयुक्त किये जाते हैं।

Accommodation to Government Employees

283. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether Government accommodation has been provided to all those Government servents in the Capital who have put in ten years service and applied for such accommodation ;

(b) if not, the number and the category of such employees on the waiting list ; and

(c) the reasons therefor and when they are likely to get government accommodation ?

Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna) :

(a) No.

(b) It is likely to run into many thousands. The time and labour which, will therefore, be involved to collect this information will not be commensurate with the results to be achieved.

(c) Against a demaned of about 1·14 lakhs houses, the availability in the General Pool is only about 35 thousand. It will take many years before the gap can be filled.

ग्राम्य क्षेत्रों के लिये बिजली

284. **श्री श० ना० चतुर्वेदी :**
श्री मा० ल० जाधव :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्राम्य क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई को वित्तीय सहायता देने का निर्णय कर लिया है ताकि इसकी प्रति यूनिट दर कम की जा सके; और

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक और किन किन प्रयोजनों के लिये ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

दिल्ली में पानी के नलों में जीवित कीटाणु

285. श्री भागवत झा आजाद :
श्री वारियर :
श्री दाजी :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर और अक्टूबर, 1964 में दिल्ली में नल के पानी में जांच के नमूनों में जीवित कीटाणु प्राप्त हुए;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में चालू महीने में कोई जांच की गई; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रतिदिन इस आशय के परीक्षण किये जाते हैं कि नल के पानी में जीवित कीटाणु उद्गम स्थल पर मिले हैं अथवा वितरण के मध्य मिश्रित हुए हैं किन्तु उसमें कीटाणु नहीं मिले हैं ।

रिज़र्व बैंक के नियंत्रणाधीन सहकारी बैंक

286. श्री ओझा :
श्री यशपाल सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी बैंकों को रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया के अनुशासन के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसकी कार्यप्रणाली क्या होगी ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). सहकारी बैंकों की जमा और कार्यकारी रकम अब इतनी बढ़ गई है कि यह जनहित में वांछनीय होगा कि बैंकिंग समवाय अधिनियम, 1949 और रिजर्व बैंक आफ इण्डिया अधिनियम, 1934 के अधिक महत्वपूर्ण उपबंध इन बैंकों पर लागू किये जायें । इन अधिनियमनों के उपबन्धों में उपयुक्त संशोधन करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

South Avenue Dispensary

287. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Omkar Singh :

Will the Minister of **Health** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that eight year old injections are being kept in the South Avenue Dispensary of New Delhi for use of the Members of Parliament ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) when these medicines awere checked last ; and

(d) the official, who checked them?

Minister of Health (Dr. Sushila Nayar) : (a) No.

(b) Does not arise.

(c) The drugs held in stock were checked on 21-9-64 and again on 26-10-64.

(d) The Medical officer Incharge of the dispensary ?

All India Institute of Medical Sciences

288. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Gulshan :

Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) whether Government had added a new outpatient Block in the All-India Institute of Medical Sciences, New Delhi.

(b) If so, the number of persons that can be treated in this department;

(c) the expenditure involved ; and

(d) the brief outline of the scheme?

Minister of Health (Dr. Sushila Nayar) : (a) Yes.

(b) 2,000 patients per day.

(c) Rs. 60 lakhs.

(d) The new Out Patient Block is a modern 6-Storey building with common services like registration, arrangement for injections, dietetic consultation, a pharmacy, a fully equipped X-ray department and laboratory services on the ground floor and various specialised clinics on the upper 5 floors. Nine main departments function every day and 17 speciality clinics per week are held in the afternoons. Each patient is examined by a doctor in privacy in a separate cubicle. There are facilities for minor surgery and dressing in the out-patient clinics. It will also be a receiving centre for cases referred from the rural clinics being run by the All India Institute of Medical Sciences in the Ballabhgarh Community Block.

This modern out-patient department aims at providing facilities for specialised medical care of pateints, for the teaching of under-graduate and post-graduate students, as well as for research.

The whole outpatient Department is an integral part of the Hospital Ward Block of 750 beds which is nearing completion.

Central Council for Ayurvedic Medicine

290. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Gulshan :
Shri Omkar Singh :

Will the Minister **of Health** be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up a Central Council for Ayurvedic Medicine on the lines of the Medical Council of India to regulate and supervise Ayurvedic education ; and

(b) if so, the broad details of the scheme and when it is likely to be set up?

Minister of Health (Dr. Sushila Nayar) : (a) and (b) The Government of India have at present no proposal to set up a Central Council of Ayurvedic Medicine on the lines of the Medical Council of India.

रिहंद बांध

291. **श्री हिम्मत सिंहका :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने रिहन्द बांध के लिये अतिरिक्त विद्युत् संयंत्र स्थापित करने का उत्तर प्रदेश सरकार का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस अतिरिक्त संयंत्र से कितनी बिजली और मिलने की संभावना है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने केन्द्र से विदेशी मुद्रा की इजाजत मांगी है;

(घ) यदि हां, तो कितनी मंजूरी दी गई है; और

(ङ) क्या विदेश से कोई मशीन खरीदी जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) योजना आयोग ने रिहन्द बिजलीघर के छठे बिजली यूनिट की प्रस्थापना का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया है ।

(ख) 50 मेगावाट ।

(ग) जी हां ।

(घ) 44.57 लाख रुपये के मूल्य की विदेशी मुद्रा ।

(ङ) जी हां, ब्रिटेन से ।

Displaced Pensioners

292. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the second increase has been given by Government to all pensioners with effect from 1st October, 1963 ;

(b) If so, whether the displaced pensioners have also been given this increase; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Finance (Shri T.T. Krishnamachari) :(a) The Central Government pensioners in receipt of small pensions have been sanctioned *ad-hoc* increase in pension with effect from 1st October, 1963.

(b) & (c). Those of the displaced pensioners whose pensionary liability is that of the Government of India and who are in receipt of small pensions are covered by the orders referred to in part (a). Similar displaced pensioners whose pensionary liability is that of the Government of Pakistan have also been granted the aforesaid benefit with effect from 1st September, 1964.

Displaced Pensioners

293. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government increased the pension of all pensioners with effect from 1st April 1958 ;

(b) whether it is also a fact that displaced pensioners have been sanctioned this increase with effect from 1st June, 1963 ; and

(c) if so, the reasons for such discriminatory treatment meted out to the displaced pensioners ?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) No, Sir. Temporary increase at enhanced rates was sanctioned from 1st April, 1958 in respect of small pensions only.

(b) & (c). Those of the displaced pensioners whose pensionary liability is that of the Government of India and who are in receipt of small pensions have been sanctioned the increase referred to in part (a) of the question. Displaced pensioners whose pensionary liability is that of the Government of Pakistan and who are being paid their pensions in India on behalf of that Government are not entitled to the aforesaid increase, but in order to relieve hardship the Government of India, have at their own cost sanctioned on *ex gratia* basis enhanced rates of temporary increase from 1st June, 1963. There was thus no question of giving retrospective effect to this concession.

हृदय में अपर्याप्त रक्त संचार

294. **श्री वारियर :**
श्री दाजी :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि पश्चिम जर्मनी में हृदय में अपर्याप्त रक्त संचार के इलाज के लिये कोई नई औषधि तैयार की जा रही है जिसे 'परसेन्टीन' कहते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस औषधि को भारत में मंगाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख). 'परसेन्टीन' जिसका सामान्य नाम 'डी पीरिडोमोल' है कोरोनरी आर्टरी रोग माइकोर्डियल इन फार्केसन और हृदय गति रुक जाने आदि के लिये काम में लाई जाती हैं। यह औषधि हृदय में रक्त प्रवाह वाली नालियां अधिक समय तक क्रियाशील रखती हैं और उसके निर्माताओं का यह दावा है कि वह रक्त के प्रवाह में वृद्धि करती है जिससे 'माइकार्डियम' को आक्सीजन अधिक मात्रा में मिलती है। इस औषधि का निर्माण पश्चिम जर्मनी के मैसर्स सी० एच० बीहरिंगर सोन द्वारा किया जाता है।

इस औषधि का हमारे देश के औषधालयों में प्रयोग किया गया था और इन परीक्षणों के आधार पर तथा विदेशों में अनुभव के आधार पर यह माना जाता है कि यह औषधि हृदयगति रुक जाने में उपयोगी है। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय ने औषधि नियमों के नियम 30 के अन्तर्गत अप्रैल, 1964 में मैसर्स जर्मन रेमेडीज़ प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई को, जिन्होंने इसके वाणिज्यिक आधार पर आयात के लिये प्रार्थनापत्र दिया था, आयात करने की अनुमति प्रदान की थी। मैसर्स

जर्मन रेमेडीज़ प्राइवेट लिमिटेड प्राविधिक विकास महानिदेशालय में रजिस्टर्ड है इसलिये उन्हें उपरोक्त औषधि नियमों के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त करने के अतिरिक्त उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत अपने उत्पादों की संख्या बढ़ाने के लिये अनुमति प्राप्त करना पड़ता है।

मानव मस्तिष्क सम्बन्धी गवेषणा

295. **महाराजकुमार विजय आनन्द** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में मानव मस्तिष्क के सम्बन्ध में गवेषणा करने की सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो संस्थाओं में किस सीमा तक सुविधाएं उपलब्ध हैं; और

(ग) किन किन संस्थाओं में यह सुविधाएं उपलब्ध हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (ग). भारतीय औषधि अनुसंधान परिषद् ने अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली के फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में न्यूरे फिजियोलाजी रिसर्च यूनिट स्थापित किया है। इस यूनिट में मस्तिष्क के सम्बन्ध में अध्ययन करने के लिये आवश्यक उपकरण और प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली के चिकित्सा बॉय केमिस्ट्री विभाग और कलकत्ता विश्वविद्यालय के और मेडिकल कालेज, वैलोर के बायोकेमिस्ट्री विभाग की मस्तिष्क में होने वाली केमिकल तथा बायोकेमिकल प्रतिक्रियाओं के सम्बन्ध में कार्य कर रहे हैं।

मानव मस्तिष्क में प्रयोगात्मक प्रविधियों को लागू करना बहुत कठिन है इसलिये उसके सम्बन्ध में अप्रत्यक्ष रूप से ही अध्ययन किया जाता है। ऐसे अध्ययन के लिये उन पशुओं को काम में लाया जाता है जो वानर जाति से सम्बन्धित हैं क्योंकि यह समझा जाता है कि इन पशुओं के मस्तिष्क की बनावट मानव जाति से मिलती जुलती है। मस्तिष्क के कार्य के लिये अधिकतर बन्दर का ही प्रयोग किया जाता है। इस क्षेत्र में देश के अनेक चिकित्सा केन्द्रों में काम हो रहा है। मेडिकल कालेज, वेल्लोर, अखिल भारतीय मानसिक स्वास्थ्य संस्था, बंगलौर, पोस्ट ग्रेजूएट मेडिकल इंस्टीट्यूट, कलकत्ता, जे० जे० अस्पतालों का ग्रुप और के० ई० एम० मेडिकल कालेज, बम्बई के न्यूरोलॉजी और न्यूरो सर्जरी विभाग एवं कलकत्ता विश्वविद्यालय का बायो केमिस्ट्री विभाग इसके महत्वपूर्ण केन्द्र हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त देश में अनेक केन्द्रों में मस्तिष्क प्रणाली से सम्बन्धित रोगों के सम्बन्ध में अनुसंधान हो रहा है विशेष रूप से अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली के माइक्रो बायलाजिकल डिपार्टमेंट और वाइरस रिसर्च सेन्टर, पूना में।

इन सब केन्द्रों में ये गवेषणाएं करने के लिये पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध हैं।

Family Planning

296. **Shri Ram Sevak Yadav :**
Shri Hem Raj :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :

Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that sterilisation has become very popular in various parts of India from the point of view of family planning ;

(b) if so, the number of men and women so far sterilised throughout the country ;

(c) the number amongst them belonging to different communities separately ;

(d) Whether it is also a fact that persons belonging to the minority community have not evinced any interest in this direction ; and

(e) if so, the steps being taken to check the increase in the population of the minority community to avoid their becoming a majority community ?

Minister of Health (Dr. Sushila Nayar) : (a) Yes.

(b) Sterilization operation conducted from 1956 to October, 1964 are given below :

Males :	4,48,561
Females	2,46,823
Total	6,95,384

(c) The detailed statistics by communities is not available.

(d) & (e) The Family Planning Programme steers clear of religious and political controversies. It is a socio-economic problem and if conducted in its right perspective religious and political considerations will not arise. Social backwardness, lack of education, customs, manners, beliefs, etc., are factors which impede the implementation of this programme.

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग का मैसूर कलेक्टोरेट

297. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय आबकारी विभाग के मैसूर क्लेक्टोरेट में युद्ध सेवा वरिष्ठता निश्चित करने के कितने मामले विचाराधीन हैं ; और

(ख) उनको निपटाने में कितना समय लगेगा ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) कोई नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कर वसूली

298. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1963–64 में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से कितनी राशि प्राप्त हुई ;

(ख) राष्ट्र निर्माण के कार्यों और अन्य कार्यों पर अलग अलग कितनी राशि व्यय की गई, (1963–64) ; और

(ग) 1963–64 में उत्पादन एवं अनुत्पादन कार्यों पर अलग अलग कितनी राशि व्यय की गई ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग). 1963–64 के लेखे अभी तक समाप्त नहीं हुए हैं। 1963–64 के पुनरीक्षित प्राक्कलन बताने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

	आर० ई० 63–64. (रुपये करोड़ों में)
(क) कर वसूली	
प्रत्यक्ष कर	5,26
अप्रत्यक्ष कर	10,44
योग .	15,70
(ख) राजस्व व्यय	
राष्ट्र निर्माण	3,76
अन्य (प्रतिरक्षा, ऋण प्रभार और राज्यों को हस्तांतरित राजस्व को छोड़कर)	3,39
योग .	7,15
पूंजी व्यय	
उत्पादन कार्य	12,65 (लगभग)
अनुत्पादन कार्य	2,73 (लगभग)
योग .	15,38

डेन्यू* बुखार

299. **डा० प० श्रीनिवासन** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास नगर में डेन्यू बुखार ने महामारी का रूप धारण कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इस बुखार से कुछ व्यक्ति मर भी गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो कितने ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) इस समय नहीं। मद्रास नगर में डेन्यू जैसी कोई बीमारी महामारी के रूप में हुई थी।

(ख) यह बीमारी चिकुन गुन्या कीटाणुओं के कारण हुई थी जो मच्छरों के द्वारा इधर-उधर ले जाये जाते हैं। इस रोग में बुखार होता है और जोड़ों में दर्द रहता है। बुखार एकदम चढ़ता है और सामान्यतया तीन-चार दिन तक रहता है और टेम्परेचर 102 डिग्री से 104 डिग्री तक हो जाता है। अनेक मामलों में कुछ दिनों के बाद एक दो दिन के लिये उसकी पुनरावृत्ति होती है। इस रोग का अभी तक कोई निश्चित इलाज नहीं निकला है।

(ग) लाखों व्यक्ति इस रोग से ग्रस्त हुए हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् की रिपोर्ट के अनुसार इससे सत्रह व्यक्ति मरे।

इन्द्रावती घाटी का प्रौद्योगिक-आर्थिक सर्वेक्षण

300. **श्री विद्याचरण शुक्ल :**
श्री उइके :
श्री चाण्डक :
श्री बड़े :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बाकलीवाल :
श्री वाडिवा :
श्री सूर्य प्रसाद :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इन्द्रावती घाटी के प्रौद्योगिक-आर्थिक सर्वेक्षण के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : इन्द्रावती घाटी का प्रविधार्थिक मूल्यांकन करने के लिये एक समिति नियुक्त की गई है। यह समिति सिंचाई, बिजली, वन-संसाधन, खनिज-पदार्थ और उद्योग—विस्थापित व्यक्तियों के बड़े पैमाने पर पुनर्वास की संभावनाओं को निर्देश करते हुए—विकास क्षमता निर्धारित करेगी। दीर्घ-कालीन और अल्प-कालीन उपायों के

*Dengue Fever.

सम्बन्ध में सामग्री एकत्र करने का काम समिति ने पहले ही प्रारम्भ कर दिया है। ज्योंही सामग्री तैयार होगी, समिति नदीघाटी क्षेत्र देखकर रिपोर्ट को अन्तिम रूप देगी।

कोठागुडियम तापीय संयंत्र

301. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में कोठागुडियम तापीय संयन्त्र के सम्बन्ध में मैसर्स ईवबैंक्स **एण्ड** पोर्टनर्स आफ यूनाइटेड किंगडम द्वारा किये गये कार्य का क्या स्वरूप है ?

(ख) उपरोक्त परामर्श कार्य के लिये 1964 में अक्टबर के अन्त तक उन्हें कितनी रकम दी गई है ; और

(ग) क्या उपरोक्त फर्म में ट्रेनिंग के लिये डेपूट किये गये इंजीनियर लौट आये हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी बताने वाला विवरण सभापटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी-3411/64]**

परिवार नियोजन कार्यकर्त्ताओं के लिये भत्ते

302. **श्री राम सेवक यादव** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम से सम्बन्धित कर्मचारीवर्ग को भत्ते देने की वाञ्छनीयता पर विचार करने के लिये केन्द्रीय परिवार योजना बोर्ड की सिफारिश के अनुसार एक समिति नियत की है ; और

(ख) यदि हां, तो समिति अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करेगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)। (क) जी हां।

(ख) इस समिति की रिपोर्ट मार्च, 1965 तक उपलब्ध होने की आशा है।

कांजीरप्पुझा सिंचाई योजना

303. **श्री पु० कुन्हन** :
श्री नम्बियार :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री मह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964–65 में केरल राज्य में पालाघाट जिले में कांजीरप्पुझा सिंचाई योजना को क्रियान्वित करने में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इस अवधि में कितनी रकम खर्च की गई है ; और

(ग) इस योजना के पूरा होने की अनुमानित तारीख क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) मिलाने वाली सड़कें, क्वार्टरों का निर्माण, ड्रिलिंग, जांच आदि प्राथमिक कार्य ही किये जा रहे हैं।

(ख) मार्च, 1964 तक 13 लाख रुपये खर्च किये गये थे। इस परियोजना के लिये 1964-65 के लिये वार्षिक योजना में केवल 2 लाख रुपये का उपबन्ध है। इसमें से कितना वास्तविक खर्च हुआ उसकी जानकारी राज्य सरकार से प्राप्त की जा रही है।

(ग) चौथी योजना अवधि के दौरान उस योजना के पूरी होने की आशा है ।

सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में मजूरी

304. **श्री पु० कुन्हन :**
श्री नम्बियार :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की यह नीति है कि एक ही उद्योग में सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में समान वेतन बनाये रखने की सरकार की नीति है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). भारत सरकार द्वारा नियत वेतन बोर्डों के अन्तर्गत सरकारी उद्योग क्षेत्रों के कर्मचारियों के वेतन सरकार द्वारा स्वीकृत बोर्डों की सिफारिशों के अनुसार हैं ।

अन्य कर्मचारियों के बारे में समय-समय पर सरकारी नौकरियों में प्रचलित वेतनों की मोटी रूपरेखा के समान ही वेतन निर्धारित किये जाते हैं ।

विदेशी बैंकों की पूंजी

305. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री उमानाथ :
श्री इम्बीचिबावा :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1963-64 में भारत में विदेशी बैंकों की प्रदत्त पूंजी कितनी है ; और

(ख) 1963-64 में उन्होंने कितना लाभ कमाया है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमचारी) : (क) विदेशी बैंक जो आजकल भारत में काम कर रहे हैं, उन्हें नकद या अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में रिजर्व बैंक के पास जमा करना पड़ता है।

(क) प्रत्येक मामले में 20 लाख रुपये और ;

(ख) भारत में किये जाने वाले व्यापार के बारे में प्रत्येक वर्ष प्रत्येक बैंक के लाभ के 20 प्रतिशत के समान रकम। रिजर्व बैंक के पास दिसम्बर, 1963 के अन्त तक जमा की जाने वाली रकम 3.12 करोड़ रुपये थी। अनुमोदित प्रतिभूतियों का प्रत्यक्ष मूल्य जो वास्तव में जमा की गई वह 4.84 करोड़ रुपये है ।

(ख) भारत में काम कर रहे चौदह विदेशी बैंकों की शाखाओं द्वारा पत्री वर्ष 1963 में अर्जित लाभ 1.87 करोड़ रुपये हैं ।

ग्राम्य गृह निर्माण योजना

306. **श्री बी० के० दास** : क्या **निर्माण तथा आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना के पहले तीन वर्ष में ग्राम्य गृह निर्माण परियोजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों को कितनी रकम मंजूर की गई है ।

(ख) क्या राज्यों से इस रकम को उपयोग करने की रिपोर्टें प्राप्त हो गई हैं ;

(ग) क्या निर्धारित रकम किसी भी राज्य द्वारा प्रयुक्त नहीं की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) से (घ). तीसरी योजना के पहले तीन वर्षों में ग्राम्य गृह निर्माण परियोजना योजना के अधीन राज्य सरकारों को आवंटित और उनके द्वारा प्रयुक्त रकम नीचे दी गई है :—

वर्ष	आवंटित रकम	ली गई रकम
	(लाख रुपयों में)	
1961–62 . .	127.80	55.41
1962–63	152.38	80.29
1963–64 . . .	56.58	47.37
कुल	337.76	183.07

अधिकांश राज्य सरकारें आवंटित रकम को पूरी तरह खर्च नहीं कर पाई हैं । सम्पूर्ण आवंटित रकम को प्रयुक्त न करने के कारण राज्य सरकारों ने सामान्यतया इस प्रकार बताये हैं :—

(1) राज्य सरकारें ग्राम्य गृह निर्माण को प्राथमिकता कम देती हैं । ब्लाक के कर्मचारी भी ब्लाक के बजट में सम्मिलित अन्य कार्यक्रमों के समान इस पर ध्यान नहीं देते हैं ।

(2) ग्रामवासियों को स्थान पर ही तकनीकी परामर्श देने के लिये ओवरसीयर जैसे तकनीकी अर्हता प्राप्त कर्मचारियों की कमी और गृह निर्माण करने वाले कुशल श्रमिकों और कारीगरों का अभाव ।

(3) दुर्बल आर्थिक स्थितियों के कारण योजना के अधीन उपलब्ध ऋण की अदायगी करने में अधिकतर ग्रामवासी असमर्थ हैं ।

केन्द्रीय आवास बोर्ड

307. **श्री पोट्टेकाट्ट :**
श्री राघवन :
श्री धर्मलिंगम :

क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय गृह निर्माण बोर्ड की स्थापना के बारे में अन्तिम निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह बोर्ड कब से कार्य प्रारम्भ करेगा ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख). वर्तमान विचारधारा के अनुसार एक केन्द्रीय गृह निर्माण बोर्ड की स्थापना की जायेगी और वह चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में कार्य प्रारम्भ कर देगा।

अस्पतालों सम्बन्धी आयोग

308. **श्री गोकुलानन्द महन्ती :**
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों में अस्पतालों की स्थिति की जांच करने के लिये आयोग नियत कर दिया है ; और

(ख) क्या कुष्ठ रोग 'अग्रिम परियोजनाओं के अन्तर्गत' डिस्पेंसरियों और अस्पताल भी उक्त आयोग के क्षेत्राधिकार में रहेंगे ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

शिमला में सरकारी होटल

309. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **निर्माण तथा आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 23 और 27 अक्टूबर, 1964 के स्टेट्समैन (नई दिल्ली संस्करण) में प्रकाशित उन पत्रों की ओर गया है जिनमें शिमला के सरकारी होटल में सुविधाओं की व्यवस्था तथा खान-पान व्यवस्था सेवा की बात कही गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाने का विचार है ?

निर्माण तथा आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) जी हां।

(ख) मामला विचाराधीन है।

कृषि वित्त निगम

310. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री पें० वेंकटसुब्बया :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि वित्त निगम का कार्य सन्तोषजनक नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) कार्य को सन्तोषजनक बनाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) कृषि पुनर्वित्त निगम ने कुल 17.18 करोड़ रु० के पूंजी व्यय की पांच योजनायें पहले ही स्वीकार कर दिया ह । इस निगम ने इन योजनाओं के लिए औपचारिक ढंग से 2.45 करोड़ रु० की राशि के लिए वायदा कर लिया है और शीघ्र ही वह 11.39 करोड़ रु० की राशि के लिए स्वीकृति दे देगा । इन स्वीकृत योजनाओं के अतिरिक्त 30 करोड़ रु० की लागत की अन्य परियोजनायें भी विचाराधीन हैं । अत: इस निगम की प्रगति को असन्तोषजनक नहीं कहा जा सकता ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

राजस्थान नहर क्षेत्र में बस्तियां बसाना

311. **श्री हेम राज** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मन्त्री 24 सितम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1218 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान नहर परियोजना के लिए बस्ती बसाने की नीति का अन्तिम निर्णय करने की दिशा में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) इसे कब कार्यान्वित किया जायेगा ; और

(ग) इसकी मुख्य विशेषतायें क्या हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) राजस्थान नहर क्षेत्र में बस्ती बसाने सम्बन्धी नीति को अन्तिम रूप देने के प्रश्न पर पंजाब और राजस्थान की सरकारों के परामर्श से विचार किया जा रहा है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

महालनवीस समिति

312. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **वित्त** मन्त्री दिनांक 24 सितम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 390 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महालनवीस समिति ने राष्ट्रीय आय के वितरण के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट का भाग 2 प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी नहीं ।

(ख) रिपोर्ट के भाग 1 में, जो 29 अप्रैल, 1964 को सभा पटल पर रखी गई थी, समिति ने संक्षेप में उन कारणों का उल्लेख कर दिया है जिनके कारण उसने आधी रिपोर्ट ही पेश की। समिति ने महसूस किया कि निर्देश पद की पहली मद, अर्थात् पहली दो पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान रहन-सहन के स्तरों में परिवर्तन, को ठीक ढंग से निबटाने के लिए अधिक समय लगेगा क्योंकि इस विषय से सम्बन्धित व्यापक तथा जटिल आंकड़ों का अधिक अच्छे ढंग से अध्ययन करना होगा । आशा है कि समिति शीघ्र अपना काम समाप्त कर लेगी ।

सोने का तस्कर व्यापार

313. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास हवाई अड्डे पर 28 अगस्त, 1964 को या इसके पास-पास किसी दिन सिंगापुर से हवाई जहाज से आने वाले एक यात्री के पास लगभग 1.60 लाख रु० की कीमत का सोना पकड़ा गया था ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). 28-8-64 को मद्रास हवाई अड्डे पर सिंगापुर से आने वाले एक विमान यात्री के पास से सीमा शुल्क विभाग के अफसरों ने सोने की 64 छड़ें, जिन पर विदेशी चिन्ह थे और 229 पौण्ड सिक्के पकड़े, जिनका मूल्य (अन्तर्राष्ट्रीय दर से) 73,800 रु० था। उस यात्री को गिरफ्तार कर लिया गया था और बाद में उसे जमानत पर छोड़ दिया गया। इस मामले में विभागीय कार्यवाही चल रही है। सीमा शुल्क विभाग के अधिकारी चाहते हैं कि सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 के अधीन उस यात्री पर न्यायालय में भी मुकदमा चलाया जाये।

घड़ियों का तस्कर व्यापार

314. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब, चंडीगढ़ के विशेष सीमा शुल्क अधिकारियों ने सितम्बर, 1964 के प्रथम सप्ताह में घड़ियों के एक स्थानीय व्यापारी के घर पर छापा मारा और 30,000 रु० की कीमत की घड़ियां बरामद कीं, जो तस्कर व्यापार में लाई गई घड़ियां बताई जाती हैं ;

(ख) यदि हां, तो घड़ियों की संख्या क्या थी ; और

(ग) इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) लुधियाना के एक घड़ी व्यापारी के घर पर छापा मारा गया था। पकड़े गये माल की कीमत लगभग 25,000 रु० है।

(ख) 395 घड़ियां ।

(ग) मामले की छानबीन हो रही है ।

पंजाब को वित्तीय प्रावंटन

315. **श्री हेम राज** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65 वर्ष में केन्द्रीय सरकार ने पंजाब सरकार को कितना धन दिया विभिन्न योजनाओं के लिए और उन योजनाओं के नाम क्या हैं ; और

(ख) 1963-64 में कितना धन दिया गया था और उसमें से कितनी राशि का प्रयोग किया गया था ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सरकारी मकानों का अस्थायी अलाटमेंट

316. **श्री रा० गि० दुबे** : क्या **निर्माण तथा आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे सरकारी कर्मचारियों को भी सरकारी मकान उनके निकट सम्बन्धियों के विवाह के प्रयोजन के लिए दिये हैं, जिनके पास सरकारी क्वार्टर नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो यह मकान कितनी अवधि के लिए दिये जाते हैं और ऐसा अलाटमेंट किन शर्तों पर किया जाता है ;

(ग) क्या ऐसे भी कुछ मामले हैं, जिनमें पिछले तीन वर्षों में विवाह के प्रयोजन के लिए तीन महीने से अधिक समय के लिए दिल्ली या नई दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों को मकान अलाट किये गये; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

निर्माण तथा आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) जी हां, यदि कोई मकान इस कार्य के लिए उपलब्ध हो।

(ख) सामान्यतया 7 दिन तक के लिए अलाटमेंट किया जाता है और विशेष मामलों में इस अवधि को 10 दिन तक भी बढ़ा दिया जाता है। किराया बाजार दर से और अग्रिम ले लिया जाता है। अस्थायी सरकारी कर्मचारी को किसी स्थायी सरकारी कर्मचारी की जमानत दिलानी पड़ती है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

किंपिंग ऋण

317. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किंपिंग ऋणों की व्याप्ति बढ़ाने के लिए प्रयत्न किये गये हैं ताकि उसके अधीन भारत के अधिकाधिक उद्योग आ जायें और इस प्रकार ब्रिटेन से मिलने वाली संयुक्त सहायता की राशि बढ़ जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) और (ख). इस समय भी किंपिंग ऋण किसी विशेष परियोजना के लिए संयुक्त रूप में होता है और 40 लाख पौंड का ऋण अनेकानेक उद्योगों में काफी अच्छी मात्रा में बांटा जा सकता है। अत: यह ऋण अधिकाधिक उद्योगों के लिए हो, इस सम्बन्ध में प्रयत्न करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। फिर भी, इसकी व्याप्ति बढ़ाने से भी यह परिणाम नहीं होगा कि हमें अधिक संयुक्त सहायता मिले।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

जम्मू तथा काश्मीर सीमा पर पाकिस्तानी सैनिकों के साथ हुई मुठभेड़ों में भारतीय सैनिकों के लापता होने का समाचार

श्री अ० ना० विद्यालंकार (होशियारपुर) : मैं प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और निवेदन करता हूं कि वह इस संबंन्ध में एक वक्तव्य दें ।

"जम्मू तथा काश्मीर सीमा पर पाकिस्तानी सैनिकों के साथ हुई मुठभेड़ों के फलस्वरूप 9 सैनिकों के लापता होने का समाचार ।"

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : अध्यक्ष महोदय, 25 अगस्त और 23 सितम्बर, 1964 के बीच युद्ध विराम रेखा पर कई घटनायें हुईं जिनमें हमारे बहुत से सैनिक मारे गये । 9 व्यक्ति--2 अफसर तथा शेष सैनिक--लापता हैं । हो सकता है इसमें से कुछ या सब को पाकिस्तानियों ने बंदी बना लिया हो । इन दुर्घटनाओं का ब्योरा इस प्रकार है :—

(एक) 25 अगस्त, 1964 को हमारे सैनिक जब टिठवाल से 4 मील की दूरी पर एक जलाशय के पास थे, तो पाकिस्तानी सैनिकों ने अकारण ही उन पर गोली चलाई । इसमें हमारे दो सैनिक मारे गये और राम अधार मिश्र नाम का हमारा एक सिपाही लापता है ।

(दो) 30 अगस्त, 1964 को पाकिस्तानी सैनिकों ने अपनी चौकी से हमारे सैनिकों के एक दल पर, जो पानी लेने गया था, झागर से $2\frac{1}{2}$ मील दक्षिण-पूर्व की ओर 3–30 म० प० से शाम तक गोली चलाई । इस झगड़े के बाद राइफल मैन रणवीर सिंह रौथान लापता है ।

(तीन) 15 सितम्बर को करीब 5–30 म०प० बजे टुटमारी गली से पूर्व की ओर करीब 4 मील की दूरी पर हमारे क्षेत्र में लगभग तीन मील भीतर की ओर हमारे एक एन० सी० ओ० और दो सैनिकों की मुठभेड़ पाकिस्तानी सैनिकों से हुई । दोनों ओर से गोली चलने के फलस्वरूप हमारे दो सैनिक मारे गये और एक ग़ैर-लड़ाकू सैनिक सभरा राम लापता है ।

(चार) 17 सितम्बर को युद्ध विराम रेखा के हमारी ओर करीब 1000 गज़ की दूरी पर मेंधार के उत्तर-पश्चिम में 9 मील की दूरी पर हमारे चार गश्ती सैनिकों के एक दल पर जिसका नेता एक अफसर था, पाकिस्तान के कब्ज़े वाले काश्मीर के सैनिकों ने छुप कर आक्रमण किया । इसी समय युद्ध विराम रेखा के उस पार से पाकिस्तानियों ने भी गोलियां चलाई । तीन सैनिक मारे गये और अफसर सेकेंड लेफ्टीनेंट बिक्रमसिंह जयकरिया लापता हैं । हमें अब पता लगा है कि पाकिस्तानियों ने उन्हें बन्दी बना लिया है ।

(पांच) 22 सितम्बर को 3–30 म० पू० बजे कानज़लवान के उत्तर-पश्चिम की ओर $3\frac{1}{2}$ मील की दूरी पर हमारे सीमा क्षेत्र में हमारी एक गश्ती टुकड़ी की मुठभेड़ पाकिस्तानी सैनिकों से हो गई। दोनों ओर से खूब गोलियां चलीं जिसमें हमारा एक सैनिक मारा गया और एक अफसर कैप्टन सी० पी० नारंग और तीन सैनिक—राइफल-मैन लाल सिंह, राम दित्ता और प्रताप सिंह—लापता हैं।

(छ) 23 सितम्बर को करीब 4 म० पू० बजे पाकिस्तानी दस्तों ने उड़ी के निकट युद्ध विराम रेखा को पार कर हमारे सीमावर्त्ती गश्ती टुकड़ी पर आक्रमण कर दिया। इस टुकड़ी में सेना व पुलिस के लोग थे। खूब लड़ाई हुई जिसमें हमारी गश्ती टुकड़ी को उन्होंने बुरी तरह घेर लिया और हमारे ये लोग मारे गये :—

(क) 1 जे० सी० ओ०, 8 सैनिक और 1 कान्स्टेबल मारे गये।

(ख) 6 सैनिकों और 1 कान्स्टेबल को चोटें आईं।

(ग) 1 सैनिक, लैंस नायक नारायण मोहिते लापता है।

2. राष्ट्र संघ के सैनिक प्रेक्षक दल के मुख्य सैनिक प्रेक्षक से निवेदन किया गया है कि वह पता लगायें कि हमारे ये सैनिक पाकिस्तान में बंदी हैं या नहीं। हमें अभी तक सेकेंड लेफ्टीनेंट बिक्रमसिंह जयकरिया के बारे में ही पता लगा है कि वह पाकिस्तान में बंदी हैं। अन्य लोगों के बारे में मुख्य सैनिक प्रेक्षक पता नहीं लगा पाये हैं। वैदेशिक कार्य मंत्रालय ने करांची स्थित हमारे उच्चायुक्त को लिखा है कि वह पाकिस्तान सरकार से इस संबंध में जानकारी प्राप्त करें।

3. लापता सैनिकों का पता लगाने के लिए सब प्रयत्न किये जा रहे हैं। जब हमें पता लगता है कि वे पाकिस्तान में बंदी हैं, तो हम भारत में बंदी पाकिस्तानी सैनिकों के साथ उनकी अदला-बदली कर उन्हें छुड़ाने का यत्न करते हैं।

4. जब कोई सैनिक लापता होता है, तो उसके सगे-सम्बन्धियों को सूचित कर दिया जाता है। उसके बाद जो कुछ भी जानकारी मिलती है, वह भी उनके पास भेज दी जाती है। ऐसी स्थिति में कुछ विलम्ब हो ही जाता है। इस प्रकार की खबरों की छानबीन व जांच-पड़ताल भी की जाती है ताकि उनसे अनावश्यक भय या आतंक न फैलने पाये।

श्री अ० ना० विद्यालंकार : विवरण से पता लगता है कि हमारे बहुत से सैनिक लापता हैं। सैनिक प्रेक्षक और वैदेशिक-कार्य मंत्रालय की सहायता लेने के अलावा और क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं, उनका पता लगाने के लिए क्योंकि उनके मित्र तथा सम्बन्धी चिन्तित हैं ?

डा० द० स० राजू : इन दोनों साधनों के अलावा हमारे पास अन्य कोई साधन नहीं हैं। पाकिस्तान रेड क्रास सोसाइटी की सहायता ली जा सकती है परन्तु हमें विश्वास नहीं कि वे हमें सहयोग देंगे।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : यह एक गंभीर मामला है। हम जानना चाहते हैं कि काहिरा से लौटते समय हमारे प्रधान मंत्री प्रेसीडेंट अयूब खां से जब मिले थे, तो क्या उन्होंने यह बात प्रेसीडेंट अयूब खां की जानकारी में लाई थी।

अध्यक्ष महोदय : यह एक गम्भीर मामला है । मैं सरकार से कहूंगा कि वह पता लगाने का प्रयत्न करे कि यह लोग कहां हैं ताकि उनके परिवार वाले जान सकें कि वे कहां हैं ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

समवाय अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मैं समवाय अधिनियम, 1956 की धारा 396 की उपधारा (5) के अन्तर्गत दिनांक 28 सितम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3455 में प्रकाशित विमान समवाय विलय आदेश, 1964 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 3398/64]**

दिल्ली विकास (वृहद् योजना तथा क्षेत्रीय विकास योजना) संशोधन नियम

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : डा० सुशीला नायर की ओर से मैं दिल्ली विकास अधिनियम 1957 की धारा 58 के अन्तर्गत दिनांक 26 सितम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1417 में प्रकाशित दिल्ली विकास (वृहद्योजना तथा क्षेत्रीय विकास योजना) संशोधन नियम, 1964 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 3399/64]**

सीमा शुल्क अधिनियम, आपातकालीन जोखिम (कारखाने) बीमा अधिनियम, और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम और जीवन बीमा निगम (संशोधन) नियमों के अधीन अधिसूचनायें

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक 26 सितम्बर, 1964 की जी० एस० आर० संख्या 1358
(दो) दिनांक 26 सितम्बर, 1964 की जी० एस० आर० संख्या 1361
(तीन) दिनांक 3 अक्टूबर, 1964 की जी० एस० आर० संख्या 1421
(चार) दिनांक 3 अक्टूबर, 1964 की जी० एस० आर० संख्या 1422
(पांच) दिनांक 3 अक्टूबर, 1964 की जी० एस० आर० संख्या 1423
(छः) दिनांक 3 अक्टूबर, 1964 की जी० एस० आर० संख्या 1424
(सात) दिनांक 1 अक्टूबर, 1964 की जी० एस० आर० संख्या 1442

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 3400/64]

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय

उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, 1960 में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक 26 सितम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1359 की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3401/64]**

(3) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत दिनांक 18 जुलाई, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1017 के शुद्धि-पत्र वाली दिनांक 26 सितम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1360 की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3402/64]**

(4) आपातकालीन जोखिम (सामान्य) बीमा अधिनियम, 1962 की धारा 5 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत दिनांक 26 सितम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3453 में प्रकाशित आपातकालीन जोखिम (सामान्य) बीमा (तीसरा संशोधन) योजना, 1964 की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3403/64]**

(5) आपातकालीन जोखिम (कारखाने) बीमा अधिनियम, 1962 की धारा 3 की उप-धारा (7) के अन्तर्गत दिनांक 26 सितम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3454 में प्रकाशित आपातकालीन जोखिम (कारखाने) बीमा (तीसरा संशोधन) योजना, 1964 की एक प्रति।

(6) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत दिनांक 31 अक्तूबर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1568 में प्रकाशित जीवन बीमा निगम (संशोधन) नियम, 1964 की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3405/64]**

राज्य सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश देना है :

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा अपनी 17 नवम्बर, 1964 की बैठक में पास किये गये जन्म तथा मृत्यु का पंजीयन विधेयक, 1964 की एक प्रति इसके साथ भेजने का निदेश मिला है।"

जन्म तथा मृत्यु का पंजीयन विधेयक

सचिव : मैं जन्म तथा मृत्यु का पंजीयन विधेयक, 1964 को, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, सभा पटल पर रखता हूं ।

किसी सदस्य के निधन पर सभा की बैठक स्थगित करने के बारे में प्रक्रिया

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि 18 नवम्बर, 1964 को हुई कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक में सदस्यों तथा मंत्रियों के निधन पर सभा की बैठक स्थगित करने सम्बन्धी परिपाटी पर विचार किया गया था ।

समिति ने यह ठीक समझा कि किसी वर्तमान सदस्य या मंत्री के निधन पर सभा तभी स्थगित की जाये जब यह आवश्यक हो ताकि सदस्य शव-यात्रा में भाग ले सकें ।

यह भी सुझाव दिया गया कि किसी वर्तमान सदस्य की मृत्य होने पर उसके दल के नेता को और यदि दूसरे दलों या समूहों के नेता चाहें तो उनको भी 15 से 20 मिनट तक के भीतर ही निधन सम्बन्धी उल्लेख करने की अनुमति दी जायेगी ।

यदि सभा को स्वीकार हो, तो भविष्य में इस परिपाटी का पालन किया जायेगा ।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां ।

अध्यक्ष महोदय : 'सदस्य' शब्द में मंत्री, उपमंत्री, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सभी सम्मिलित हैं ।

श्री रंगा (चित्तूर) : केवल वर्तमान ही नहीं भूतपूर्व सदस्यों के निधन पर भी उनका निधन सम्बन्धी उल्लेख करने की अनुमति होनी चाहिये । साथ ही जिस दल का वह सदस्य हो, उसके या अन्य किसी दल के प्रवक्ता को श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर देने के अलावा यदि कोई अन्य सदस्य भी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहे, तो उसे भी अवसर दिया जाना चाहिए । 20 मिनट का समय ठीक है परन्तु विशेष मामलों में आप समय बढ़ाकर 30 मिनट कर दिया करेंगे ।

श्री कपूर सिंह (लुधियाना): किसी वर्तमान/भूतपूर्व सदस्य के निधन पर उसको श्रद्धांजलि अर्पित करने का अधिकार केवल उसके दल के नेता तक ही सीमित नहीं होना चाहिए । इस सम्बन्ध में आप को छूट होनी चाहिए कि आप किसी को भी इस बात की अनुमति दें कि वह श्रद्धांजलि अर्पित कर सके ।

अध्यक्ष महोदय : यदि समय सीमा को मान लिया जाये, तो हमें इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है । लेकिन मैं समझता हूं कि बोलने वालों की संख्या बहुत अधिक हो जायेगी । सभा में तो केवल निधन का उल्लेख होता है । वैसे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम जब चाहें सेन्ट्रल हॉल में बैठक कर सकते हैं ।

20 मिनट की सीमा मान लेने पर हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है ।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : I want to know whether the House will be adjourned for an hour or two or for the next day ?

Mr. Speaker : We shall look into that.

समिति के लिये निर्वाचन

ELECTION TO COMMITTEE

राजघाट पर समाधि समिति

निर्माण तथा आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"राजघाट समाधि अधिनियम, 1951 की धारा 4 की उप-धारा (1) (घ) के अनुसरण में लोक-सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, अपने में से राजघाट समाधि समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये हर हाईनेस महारानी विजयराजे सिंधिया आफ ग्वालियर के स्थान पर जिन्होंने राजघाट समिति की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है, एक सदस्य चुनें।"

अध्यक्ष महोदय प्रश्न यह है :

"राजघाट समाधि अधिनियम, 1951 की धारा 4 की उप-धारा (1) (घ) के अनुसरण में लोक-सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, अपने में से राजघाट समाधि समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये हर हाईनेस महारानी विजयराजे सिंधिया आफ ग्वालियर के स्थान पर जिन्होंने राजघाट समिति की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है, एक सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खाद्य निगम विधेयक—जारी

FOOD CORPORATIONS BILL—*contd,*

अध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री चि० सुब्रह्मण्यम द्वारा 20 नवम्बर, 1964 को पेश किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी, अर्थात्—

"कि अनाज तथा दूसरे खाद्य पदार्थों के व्यापार के लिये खाद्य निगमों की स्थापना करने तथा तत्सम्बन्धी और आनुषंगिक विषयों के सम्बन्ध में व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

इसके लिए 5 घण्टे का समय है। 35 मिनट लिये जा चुके हैं और 4 घण्टे 25 मिनट शेष हैं। श्री दाण्डेकर अपना भाषण जारी रखें।

श्री नारायण दान्डेकर (गोंडा): अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी शंका प्रकट कर रहा था कि यह निगम एकाधिकारवादी बन जायेगा और इससे उत्पादक तथा उपभोक्ता दोनों के हितों की उपेक्षा होगी।

एकाधिकार पूर्ण होता है और अर्द्ध भी होता है। जब कोई एक संस्था किसी वस्तु का 30 से 40 प्रतिशत तक का व्यापार अपने हाथ में ले लेती है, तो यह अर्द्ध एकाधिकार होता है। जब कोई संस्था 80 प्रतिशत से अधिक व्यापार पर नियंत्रण कर लेती है, तो इसे पूर्ण एकाधिकार

[श्री नारायण दान्डेकर]

कहते हैं। यदि इस मामले में सरकार किसानों को उचित मूल्य देकर उनसे गल्ला लेगी और उचित मूल्य पर ही गल्ला उपभोक्ताओं को भी मिल पायेगा, तो इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है क्योंकि इस प्रकार की नीति से उत्पादक को जहां लाभ होगा, वहां उपभोक्ता को भी कठिनाई नहीं होगी।

परन्तु मुझे शंका है कि सरकार पूर्ण एकाधिकार स्थापित करना चाहती है। मेरी शंका का आधार व्यापार तथा उत्पादक के सामने उत्पन्न होने वाली तीन कठिनाइयां हैं। पहली बात यह है कि यह निगम अनिवार्य रूप से खाद्यान्नों का समाहार करेगा। और चूंकि खरीदने वाला केवल यह निगम ही होगा अतः इस बात का भय है कि उत्पादक को उचित मूल्य नहीं मिलेगा बल्कि निगम जो मूल्य देगा, वही उत्पादक को स्वीकार करना होगा।

जैसाकि मैंने पहले कहा कि यदि उत्पादक और उपभोक्ता दोनों को इससे लाभ हो, तो कोई आपत्ति की बात नहीं है परन्तु जैसाकि मैंने शंका प्रकट की इस अनिवार्य समाहार से उत्पादकों को उचित मूल्य नहीं मिल पायेगा।

दूसरी बात यह है कि अनाज को एक प्रान्त या जिले से दूसरे प्रान्त या जिले में लाने ले जाने पर भी इस निगम का एकाधिकार होगा। खाद्य मंत्री द्वारा कही गई बातों के आधार पर हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि राज्य खाद्यान्न निगम और राज्यों के खाद्यान्न निगम ही खाद्यान्नों के लाने ले जाने के सम्बन्ध में पूरा अधिकार रखेंगे।

तीसरी बात यह है कि कई बार कहा गया है कि रेल द्वारा खाद्यान्न लाने ले जाने का एकाधिकार भी राज्य खाद्यान्न निगम के पास होगा।

अतः न तो उत्पादकों को ठीक मूल्य मिलेगा और इस निगम द्वारा लाभ कमाये जाने पर उपभोक्ता को भी अधिक मूल्य पर सामान मिलेगा, परन्तु देश के भीतर खाद्यान्नों के उत्पादन पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। माननीय सदस्यों को पता है कि जिन देशों में खाद्यान्नों के एकाधिकार का प्रयोग किया गया है, उनमें खाद्यान्नों के उत्पादन का संकट पैदा हो गया है। यूगोस्लाविया, पोलैण्ड और हंगरी में इसे छोड़ना पड़ा और रूस में भी इसको अंशतः छोड़ना पड़ा। चीन में भी इसके कारण खाद्यान्नों के संभरण की स्थिति कितनी खराब हो गई है, यह सब लोग जानते हैं।

मेरी इस शंका का आधार है। सीमेन्ट का राज्य व्यापार उपभोक्ताओं के लाभ के लिए शुरू किया गया था परन्तु पहले 5 वर्षों के आंकड़ों का मैंने अध्ययन किया है और प्रशुल्क आयोग के सामने मैंने कहा था इस एकाधिकार के कारण राज्य व्यापार निगम ने बहुत अधिक लाभ कमाया है। मैंगनीज़ अयस्क के व्यापार के सम्बन्ध में भी राज्य व्यापार निगम ने जब से अपना हाथ डाला है, हमारा मैंगनीज़ अयस्क का निर्यात व्यापार बिल्कुल नष्ट हो गया है। हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स ने भी बहुत लाभ कमाया है। अतः मेरी शंका ठोस तथ्यों पर आधारित है।

दूसरी बात यह है कि यह निगम 100 करोड़ रुपये की पूंजी से काम करेगा। आगे चल कर इसे 3,000 करोड़ रुपये का व्यापार अपने हाथ में लेना होगा। देश में लगभग 50,000 बाजार गांवों और कस्बों में हैं अतः गल्ला इकट्ठा करने, भंडार बनाने और विभिन्न साधनों से उसका वितरण करने के लिए इस निगम को बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारी रखने होंगे। निगम

को अनेक प्रकार का लेन-देन करना होगा । उसका बहुत सा ऋण दिया हुआ धन फंस जायेगा । वितरण तथा क्रय की बड़ी पेचीदगियां पैदा हो जायेंगी । अतः इसका सारा काम गड़बड़ी में पड़ जायेगा ।

मैं यह बातें कल्पना के आधार पर नहीं कह रहा हूं । बिल के उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में कहा गया है कि सरकारी नीति के अन्तर्गत व्यापारिक ढंग पर खाद्यान्नों का व्यापार इस निगम का कार्य होगा । हम सीमेन्ट के मामले में, पेनिसीलिन के मामले में और उर्वरकों के मामलें में राज्य व्यापार की हालत देख चुके हैं । उस विवरण में आगे कहा गया है कि इसी प्रकार उत्पादक को न्यूनतम मूल्य मिल पायेगा । न्यूनतम मूल्य, न कि पर्याप्त मूल्य ।

मैं चाहता हूं कि उत्पादक को पर्याप्त मूल्य मिले ताकि उसकी लागत निकलने के बाद वह बाजार से अन्य वस्तुयें खरीद सके, अपना ऋण अदा कर सके, कर अदा कर सके ।

इस विवरण में आगे बताया गया है कि इसका उद्देश्य सट्टा बाजार की चढ़ा-उतरी से उपभोक्ता को कठिनाई न होने पाये, पर एकाधिकारवादी व्यापार से उपभोक्ता की रक्षा कैसे हो पायेगी । इसी विवरण में आगे कहा गया है कि निगम रक्षित भण्डार भी बनायेगा। मैं नहीं समझता कि जब देश में खाद्यान्नों की कमी है, तो रक्षित भंडार कैसे बना पायेगा और यदि रक्षित भण्डार बना भी, तो आप समझ सकते हैं कि यह निगम कितना निरंकुश एकाधिकारी बन बैठेगा ।

उद्देश्यों तथा कारणों के पैरा 4 में कहा गया है कि यह निगम देश के भीतर खाद्यान्नों के व्यापार में प्रमुख स्थान प्राप्त कर लेगा ।

खाद्यान्न नीति संबंधी श्वेतपत्र में सरकार की नीयत बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई है । उसमें कहा गया है कि व्यापारिक ढंग पर अनाज के क्रय, भंडार तथा विक्रय के लिए खाद्यान्न व्यापार निगम बनाने का निश्चय किया गया है । इसके बाद कहा गया है कि उत्पादकों तथा व्यापारियों से अनाज लेने के लिए इस निगम को पर्याप्त अधिकार दिये जायेंगे । जैसे इतना ही काफी नहीं है !

आगे कहा गया है कि इस समय सरकार खाद्यान्नों का पूर्ण राज्य व्यापार शुरू कर के निजी व्यापार को समाप्त करना व्यावहारिक नहीं समझती । लेकिन यह निगम जो काम करेगा, उस से अपने आप खाद्यान्नों का पूर्ण राज्य व्यापार हो जायेगा । अतः सरकार की नीयत स्पष्ट मालूम होती है कि वह क्या करने जा रही है ?

इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि इस प्रकार यदि उपभोक्ता और उत्पादक दोनों को लाभ हो, परन्तु बिल तथा नीति के कथन को देख कर मुझे पूरी शंका है कि दो-तीन वर्षों में यह निगम स्थिति को बिल्कुल चौपट कर देगा । यह दूसरी बात है, कि यह सफल या असफल होता है, परन्तु सरकार इसे खाद्यान्नों के समाहार, आवागमन तथा बिक्री के मामले में एकाधिकारी बना कर छोड़ेगी ।

अतः मैं सिद्धान्त की दृष्टि से इस बिल का विरोध करता हूं । मैंने इसकी त्रुटियों को दूर करने के लिए कुछ संशोधन रखे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : बोलने के इच्छुक 26 सदस्यों के नाम मेरे पास आ गये हैं । कुछ और नाम भी आयेंगे । आज ही हमें बिल पास करना है । अतः सामान्य विचार तथा खण्डवार विचार के लिए हम समय निर्धारित कर लें ।

श्री रंगा : यदि आप 1 घण्टे का समय और दें और हम 6 बजे तक बैठें, तो ठीक रहेगा ।

अध्यक्ष महोदय : सभा 6 बजे तक बैठे, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है । इसके अलावा कुछ माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि मतदान कब होगा ताकि वे मतदान के समय उपस्थित रहें ।

श्री नम्बियार : $4\frac{1}{2}$ घण्टा सामान्य चर्चा के लिए $1\frac{1}{2}$ घंटा शेष के लिए काफी होगा ।

अध्यक्ष महोदय : मैं 3.30 म० प० पर माननीय मंत्री को उत्तर देने के लिए कहूंगा ।

श्री अ० प्र० जैन (तुमकुर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय खाद्य मंत्री ने अपना कार्यभार सम्भालते समय कहा था कि या तो वह मुनाफाखोरी का अन्त करेंगे या मुनाफाखोरी उनका अन्त करेगी। उनके इन शब्दों की सराहना की गई। इसके पश्चात् सरकार ने व्यापारियों को अपना आचरण ठीक करने की मुहल्लत दी। परन्तु इसका कोई ठीक नतीजा नहीं निकला । और आज व्यापारियों ने हमें इस कठिनाई में डाल दिया । दूसरे लोगों की भी इस में जिम्मेदारी है परन्तु वर्तमान परिस्थिति के लिए व्यापारी ही बड़ी हद तक ज़िम्मेदार हैं। स्थिति ऐसी आ गई है कि सरकार के सामने राज्य-व्यापार को लाने के सिवाय और कोई चारा नहीं । पूछा जाता है कि क्या प्रस्तावित निगम को एकाधिकार प्राप्त होगा अथवा क्या यह आंशिक रूप से राज्य-व्यापार करेगा । मेरा विश्वास है कि मंत्री महोदय इस निगम का कारोबार केवल उसी हद तक फैलायेंगे जिस हद कि यह व्यापारियों में सद्बुद्धि लाने के लिए आवश्यक हो। यदि आवश्यकता पड़े तो इस निगम को व्यापार का एकाधिकार भी देना होगा । यह सारी बातें परिस्थितियों पर निर्भर करेंगी।

प्राप्त सूचना के अनुसार इस साल चावल की बहुत अच्छी फसल हुई है । लेकिन हुआ क्या ? कीमतें आज भी ऊंची हैं और अनाज की उपलब्धि कम है । जब से 1956 में दक्षिणी खंड बना, वहां किसी तरह की कोई कठिनाई सामने नहीं आई। मुझे यह जानकर बड़ा दुःख हुआ कि दक्षिणी खंड को अब भंग कर दिया गया है और उस खंड के चारों राज्यों को अब अलग अलग अन्न क्षेत्र घोषित किया गया है । यही कारण है कि केरल राज्य में कठिनाई उत्पन्न हो गई है। हमें इन बातों से सबक सीखना चाहिए। एक सबक यह है कि हमें व्यापार पर नियंत्रण लगाना चाहिए ताकि व्यापारी लोग सट्टेबाजी के द्वारा मुनाफाखोरी न कर सकें ।

मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं विशेषकर इसके दो उद्देश्यों का ; अर्थात् यह कि किसान को उसके उत्पादन के लिए न्यूनतम मूल्य दिलवाए जायेंगे । मुझे आशा है कि यह मूल्य न्यून न होकर लाभप्रद होंगे । दूसरा स्वागत योग्य उद्देश्य इसका यह है कि उपभोक्ताओं को व्यापारियों की सट्टा प्रवृत्ति से मुक्ति मिलेगी। हमें यह देखना है कि इन उद्देश्यों की पूर्ति कैसे होती है। इस निगम को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने से पूर्व व्यापारियों से प्रतियोगिता करनी होगी। हमें देखना यह है कि क्या कानून में ऐसी व्यवस्था रखी गई है जिस से कि यह प्रतियोगिता का मुकाबला कर सके।

माननीय मंत्री ने कहा था कि उत्पादकों के लिए फसल के बाज़ार में आने से पूर्व ही मल्य घोषित किये जायेंगे और खाद्य व्यापार निगम को इस बात का अधिकार होगा कि वह व्यापारियों से पूर्व घोषित कीमत पर अनाज प्राप्त करें । लेकिन इसके लिये विधेयक में कोई उपबन्ध नहीं रखा गया है। मुझे मालूम नहीं कि मंत्री जी अपना उद्देश्य कैसे प्राप्त कर सकेंगे । यदि निगम को व्यावसायिक आधार पर कार्य करना है तो इसे प्रतियोगिता दामों पर अनाज खरीदना होगा। विधेयक में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं जिस से कि यह पता चले कि उस चरण पर कीमतों का कोई विनियमन होगा।

इसके अतिरिक्त कई और गैर-सरकारी और अर्ध-सरकारी संस्थाएं हैं जोकि अनाज का व्यापार कर रही हैं। इस निगम का उन संस्थाओं के साथ क्या सम्बन्ध रहेगा? माननीय मंत्री को सारी

योजना का एक व्यापक और पूर्ण चित्र दे देना चाहिए। हम यह भी जानना चाहते हैं कि क्या निगम अनाज के वितरण का कार्य भी अपने हाथ में ले लेगा ?

खंडों के सम्बन्ध में सरकार की नीति यह है कि प्रत्येक राज्य को एक अलग खंड मान लिया जाये। राज्य सरकारें ही उसका फैसला करती हैं कि उस राज्य में कितना फालतू अनाज है और इसमें से कितना अन्य राज्यों को अथवा केन्द्रीय खाद्य मंत्रालय को दिया जाना चाहिए। इस नीति से कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं। राज्यों के मुख्य मंत्री केवल अपने राज्य की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं उन्हें दूसरे कमी वाले राज्यों की ज़रा भी परवाह नहीं होती है। इस नीति से गुजरात, महाराष्ट्र, और केरल जैसे कमी वाले राज्यों की कठिनाइयां बढ़ गई हैं। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि भविष्य में अन्तर्राज्य व्यापार का क्या रूप रहेगा। क्या यह काम राज्य के हाथ में रहेगा अथवा निगम के हाथ में। निगम और राज्य के आपसी संबंध क्या होंगे ?

यदि इस निगम को व्यावसायिक आधार पर कार्य करना है तो इसके पास सम्भरण के श्रोत्र भी होने चाहिएं, नहीं तो इस बात की आशंका है कि यदि राज्य सरकारें अनाज के संभरण के सम्बन्ध में अपने वचन पूरे न करेंगे तो निगम टूट जायेगा। मुनाफाखोरी का अन्त होगा भी या नहीं यह मैं कह नहीं सकता हूं।

आयात किये गये खाद्यान्नों का भी सवाल है। इस समय उन्हें सस्ते अनाज की दुकानों द्वारा बेचा जाता है। क्या निगम के बनने के बाद भी वह व्यवस्था जारी रहेगी ? यदि हां, तो क्या इस से हमारी वितरण व्यवस्था और भी पेचीदा नहीं बन जायेगी क्योंकि देश में वसूल किया गया अनाज निगम द्वारा बांटा जायेगा और आयात किया गया अनाज सस्ती दुकानों द्वारा बेचा जायेगा ?

इस विधेयक की एक और त्रुटि यह है कि राज्य सरकारों को किसी भी अवस्था पर इस निगम के कार्यों के साथ सम्बद्ध नहीं रखा गया है। यदि आप राज्यों पर जिम्मेवारी डालते हैं तो उन्हें अपनी राय देने का भी अधिकार होना चाहिए। यदि राज्य सरकारों को इस निगम के कार्य-संचालन से अलग रखा गया और इसके साथ ही उन पर अनाज वसूल करने की जिम्मेदारी डाली गई तो इस से दोनों में झगड़ा उत्पन्न होने की सम्भावना बढ़ेगी। मंत्री महोदय को इस विषय पर विचार करना चाहिये।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या यह निगम अधिक अनाज वाले क्षेत्रों में भी वितरण का काम अपने हाथ में लेगा या क्या यह केवल कमी वाले क्षेत्रों में ही कार्य करेगा ? यदि यह अधिक अनाज वाले क्षेत्रों में कार्य करेगा तो कोई कारण नहीं कि क्यों न उन राज्यों को अपने अपने क्षेत्रों में इस निगम के कार्य संचालन में प्रभावी अधिकार हो।

निगम के कार्य संचालन के लिये वित्तीय वर्ष अप्रैल से लेकर मार्च तक रखा गया है। भारत में कृषि-वर्ष फसली वर्ष होता है, जोकि 30 जून को समाप्त होता है। मेरा सुझाव यह है कि इस निगम का वित्तीय वर्ष फसली वर्ष के समनुरूप हो।

मुझे इस बात पर खेद है कि इस निगम का मुख्य कार्यालय मद्रास में रखा गया है। मद्रास देश के एक कोने पर है। इसे बम्बई अथवा हैदराबाद में रखा जाना चाहिये था क्योंकि बम्बई एक बड़ा बन्दरगाह है और हैदराबाद देश के बीच में पड़ता है।

श्री मे० क० कुमारन् (चिरयिन्कील): मैं इस विधेयक का हार्दिक समर्थन करता हूं यद्यपि इसमें कुछ त्रुटियां भी हैं।

[श्री मे० क० कुमारन]

अभी कुछ दिन पहले हम केरल के खाद्य संकट पर चर्चा कर रहे थे। हमें मालूम है कि सरकार की ढुलमुल नीति के कारण ही देश आज तबाही के गड्ढे पर आ खड़ा हुआ है। हमें खुशी है कि सरकार अब स्थिति के प्रति जागरूक हुई है और उसने यह विधेयक सभा में पेश किया है।

देश में वर्तमान खाद्य संकट के लिए जमाखोर, सट्टेबाज और मुनाफाखोर ज़िम्मेदार हैं। यदि हम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना चाहते हैं तो सरकार का खाद्य स्थिति पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिये। स्थिति का सामना करने के लिए यह विधेयक काफी नहीं। इसमें कई त्रुटियां हैं।

देश के खाद्य व्यापार में निगम की प्रधान स्थिति होनी चाहिये, अन्यथा केरल जैसी स्थिति और जगहों पर भी उत्पन्न होगी।

निगम के कार्य-संचालन में राज्य सरकारों का भी हाथ होना चाहिये, नहीं तो इसके काम में कठिनाइयां उत्पन्न होंगी। निगम राज्यों के सहयोग के बिना अधिक अनाज वाले क्षेत्रों से अनाज वसूल नहीं कर सकता है।

केरल की खाद्य स्थिति सारे देश के लिए एक चेतावनी है। यदि हम मुनाफाखोरों और सट्टेबाज़ों को इस तरह से छूट देते रहेंगे तो देश में और अधिक दुर्भिक्ष और खाद्य संकट होंगे। भारत सरकार को स्थिति पर नज़र रखनी चाहिये और मुनाफाखोरों और सट्टेबाजों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करनी चाहिये। वह लोग लाखों लोगों की मुसीबतों का फायदा उठा रहे हैं। सरकार को उनके बारे में सतर्क और सावधान रहना चाहिये।

[श्री तिरुमल राव पीठासीन हुए
Shri Thirumala Rao *in the Chair.*]

स्थगन प्रस्ताव पर बोलते हुए खाद्य मंत्री ने केरल के बारे में जो कुछ कहा था, हम उसके लिये उनके आभारी हैं। परन्तु हमें खेद है कि प्रधान मंत्री ने उस तरह के हमदर्दी के शब्द नहीं कहे। मैं सरकार और प्रधान मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह केरल की जनता और सारे देश की जनता को यह आश्वासन दे कि इस तरह की बातें नहीं होने देंगे। उन्हें यह भी कह देना चाहिये कि यदि इस तरह की कठिन स्थिति दुबारा उत्पन्न हो जाये, तो वह इस्तीफा दे देंगे।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि वह विधेयक की त्रुटियों को दूर करके निगम को शक्तिशाली बनाये ताकि वह देश में मुनाफाखोरों और सट्टेबाजों से निपट सके।

Shrimati Laxmi Bai (Vicarabad) : Mr. Chairman, while it is essential to have a corporation to deal in foodgrains it is equally essential that more attention should be paid to the question of greater food production. There should be farmers' representatives on the Board of Directors of the proposed Corporation so that the interests of the agriculturists are well-protected. There should be at least four representatives from farmers on the Corporation. The farmers should be given greater facilities and incentives in States like Andhra Pradesh so that they could multiply their production.

The affairs of the proposed corporation should be entrusted to the people who have sympathy with farmers and who would take every care to see that not a grain of food perished in their custody. We need food not only to feed our growing population but also for developing our cattle-wealth, poultry farming etc. Farmers should be ensured a good price for foodgrains so that they do not prefer cash crops to foodgrains while cultivating their lands.

Farmers should be given adequate representation even upto the extent of fifty per cent on the State Corporations.

The former princely States of Hyderabad, Bhopal etc. should be helped to develop their agriculture. They are backward and neglected areas and deserve sympathy from the Central Government.

The headquarters of the proposed Corporation should be located at Hyderabad, Vizag or Vijayavada.

The wheat consuming people in Andhra Pradesh should be supplied with wheat ; they are facing a great difficulty on that account.

Adequate funds should be kept at the disposal of the State Corporations. The proposed limit of rupees ten crores for a State Corporation was not enough; it should be raised.

Shri Bibhuti Mishra (Motihar) : Mr. Chairman, I support the Bill notwithstanding its shortcomings. Theore is no provision in the Bill to provide for an integrated remunerative price to the farmer to which all of us here were committed. The Bill is also silent in regard to farmers' representation on the price fixation body. The Congress Party had taken decisions in regard to both the things and it was only proper that they should be implemented.

The proposed Corporation should not confine its activities to foodgrains alone. It should bring within its purview all the agricultural commodities. The Bill should be entitled "Agricultural Produce Corporation Bill" instead of "Food Corporation Bill". Government should not approach the problem of agriculture in a piece-meal fashion. Any piece-meal approach would only create difficulties.

The headquarters of the Corporation should be located at some Central place so that the farmers had no difficulty in approaching it.

Farmers should be given representations on the Corporation. People who are familiar with Indian agriculture and its problems should find a place on it.

The farmers though constituting eighty per cent of our total population do not have any organized institution of their own. There should be an organization on the lines of INTUC to represent the cause of the farmers and to fight for their interests. The farmers should get representation on the price fixation body.

Seventy five per cent profits of the proposed Corporation should be spent on the betterment of the farmers and the agricultural development. Money should be advanced to the farmers free of interest. The Corporation should work not only in the 'public interest' as has been provided in the Bill, but also in the 'farmers' interest'. 'Public interest' is a wide term and it might conflict with 'farmers' interest.

[Shri Bibhuti Mishra]

In Japan Government ensures that farmers get all the essential requirements for farming at reasonable rates. Similar arrangements should be made in this country as well so that agriculture gets a fillip. We should strengthen the position of the farmer ; then alone he would be in a position to produce more. Government should have announced the incentives that they were going to give to the farmers. The present measure should be suitably amended so as to safeguard the interests of the farmers. If they get proper incentives, they would increase production. Government should also set its administrative machinery right because it is felt that it is the present administrative machinery that comes in the way of greater production.

Shri Kashi Ram Gupta (Alwar) : Mr Chairman, there could be hardly any objection to the need for the proposed corporation, though opinions might differ about the purpose that it should serve. To my mind it is as much necessary for the Corporation to serve the interests of the consumer as is for them to serve the interests of the farmer. The first thing the Corporation should do is to provide foodgrains to the towns having a population of five lakhs or more; that could be done by resorting to imports and internal procurement. Supplies should be rushed to the big towns and cities and other areas might be left open. If it is not done it might lead to complications.

The Bill provides for setting up of similar corporations in States ; I am opposed to it. There is no need for having separate Corporations in the States. One Central Corporation would do. The States should not be provided with an additional handle to pursue their narrow selfish ends. The State Corporations will only prove a hindrance rather than a help.

The Food Minister has been saying time and again that the Corporation would have monopoly in rail transport so far as movement of foodgrains is concerned. But to our dismay there is no such provision in the Bill.

The Bill provides that the Corporation would be run on commercial lines. In the circumstances it is necessary that the House should be told about the expenditure and the proposed margin of profit of the Corporation. It is quite possible that the administrative expenditure of the Corporation might go up with the result that the consumers might get foodgrains at higher rates or that the Government might run into a loss.

It appears that Government would complete with the private trade in the matter of procurement of foodgrains. The Bill provides that money would be advanced to the grower after having entered into an agreement with him. I don't think such a provision is necessary. What is needed is that the trader should be restrained from advancing money to the grower, because he deprives the latter from the benefits of the market value of foodgrains. Advancing more and more money to the grower would only add to the inflationary spiral.

The Bill provides that the Corporation would invest its funds in Government securities. That is really surprising. There is no need for such investment ; the corporation's money should remain fluid.

The Corporation should not entangle itself in unnecessary jobs; it should confine its activities to what is absolutely necessary. It should decide its priorities after careful consideration. The rents of warehouses etc. should be settled.

While building up the buffer stock it should be seen that old stock does not remain undisposed of. The old stock should be replaced by the new systematically.

There should be two representatives from the Kisans and two from the consumers on the Board of Directors.

The Corporation should be kept aloof from the influence of the political parties. I feel that State Corporations were being set up purely on political considerations although there is no need for such Corporations.

Some of the hon. Members have already drawn the attention of the Government to the short comings of the Bill. I too have referred to some of the lacunae. They should be removed.

There was no need to mention in the Bill the name of the place where the headquarters of the Corporation would be located. The location could have been decided later on. The hon. Minister should explain the reasons that have led him to choose Madras as the headquarter of the Corporation.

श्री खाडिलकर (खेड़) : श्रीमन्, सरकार पहली बार खाद्य के सम्बन्ध में एक अखिल-भारतीय नीति निर्धारित करने का प्रयत्न कर रही है। मुझे इस सम्बन्ध में कुछ आशंकाएं हैं। कारण यह कि माननीय मंत्री ने कई बार स्पष्ट शब्दों में अपना इरादा प्रकट किया लेकिन हर बार उन्हें दबाव के सामने झुकना पड़ा। दूसरे यह कि खाद्य मंत्रालय आपातिक आधार पर काम करता रहा है। जब भी कहीं कोई कठिनाई या संकट उत्पन्न हुआ यह सहायता के लिए आया लेकिन ऐसा लगता था कि एक दीर्घकालीन नीति निर्धारित करने में इसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं थी। जब केरल में अन्न संकट पैदा हुआ, मंत्री महोदय को अपनी ज़िम्मेदारी मान लेनी पड़ी क्योंकि सभा में उनकी दशा दयनीय थी; चारों ओर उनकी आलोचना हो रही थी। खाद्य के सम्बन्ध में सरकार की तदर्थ नीति ने हमें कठिनाई में डाल दिया है। परिस्थिति का दुर्भाग्यपूर्ण भाग यह रहा है कि जो भी मंत्री आता गया वह अपनी नीति बदलता गया और यदि नीति असफल रही तो उसके लिये किसी की ज़िम्मेदारी नहीं होती थी क्योंकि अपनी पुरानी गलतियों से बचने के लिए मंत्री इस्तीफा दे देता था और नया मंत्री मौके पर आ जाता था। यदि सरकार अपनी नीतियों में ढुलमुल न रह कर दृढ़ रहेगी तो मुझे जरा भी संदेह नहीं कि जनता उनका पूर्ण समर्थन करेगी, सरकार की नीति को यदि कोई खतरा है तो वह या तो राज्यों के मुख्य मंत्रियों से हो या व्यापारियों और समृद्ध किसानों के गठजोड़ से। ये दो तत्व निगम को नाकाम बनाने की कोशिश करेंगे।

इस निगम को व्यापार का एकाधिकार प्राप्त नहीं होगा, यह बात इस से स्पष्ट है कि इसकी पूंजी केवल 100 करोड़ रुपये होगी जब कि देश में अनाज का 1500 करोड़ रुपये का व्यापार होता है। दूसरे इसका उद्देश्य केवल क्रय और वितरण नहीं अपितु किसान को प्रोत्साहन और सहायता देना भी है। मुझे मालूम नहीं कि वे कृत्य क्यों निगम को सौंपे गये हैं। यह निगम पहले दक्षिण भारत में कार्य शुरू करेगा। वहां कृष्णा-गोदावरी डेल्टा के किसानों को एक तरह का एकाधिकार प्राप्त होगा। वह निगम के कार्य में रुकावटें डालने की कोशिश करेंगे। ऐसी स्थिति में हम जानना चाहते हैं कि इस निगम की कार्य विधि क्या होगी। एक सौ करोड़ रुपये की पूंजी से इस को खाद्यान्न के व्यापार में प्रधान स्थिति प्राप्त होगी, यह असम्भव है। पैसे वाले लोग पहले ही अपना जाल फैला रहे हैं। यह पहली जनवरी तक ही आधे से ज्यादा फालतू अनाज किसानों से वसूल कर पायेंगे। समृद्ध किसान अपने अधिकारों के बारे में सजग हो गये हैं, उन में व्यापारियों की हिसाबी बुद्धि आ गई है और उन्होंने व्यापारियों और सट्टेबाजों की मदद से अपनी स्थिति मजबूत की है।

[श्री खाडिलकर]

यह निगम अपने कार्य में तभी सफल रह सकता है जब कि खाद्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय एक दूसरे से सहयोग करेंगे और यदि नौकरशाही को इस नीति के समर्थन में संगठित किया जायेगा, इस सम्बन्ध में मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं। खाद्य मंत्रालय को सारे मंत्रिमंडल का पूर्ण समर्थन प्राप्त होना चाहिये। तभी उनकी नीति सफल रह सकती है।

इस देश में और इस सभा में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें इस तरह की कार्यवाही अथवा उपायों पर ऐतराज ह। वह इस में कोई न कोई दोष निकालने की कोशिश करेंगे। उनकी परवाह किये बिना सरकार को अपनी नीति पर दृढ़ता से आगे बढ़ना चाहिये और इसको सफल बनाना चाहिये ताकि एक दीर्घकालीन खाद्य नीति के लिए एक मज़बूत नींव डाली जा सके।

श्री अ० शं० आल्वा (मंगलौर) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मुझे श्री खाडिलकर द्वारा कही गई कुछ बातों पर आपत्ति है, उन्होंने किसानों पर कुछ दोषारोपण किये जो कि उचित नहीं। मैं स्वयं एक किसान हूं और मुझे मालूम है कि किसानों को किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। भूमि सम्बन्धी कानूनों के बन जाने के कारण उनके पास बहुत कम फालतू अनाज रह जाता है। उनका यह विचार भी था कि खाद्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय में विरोध है। मुझे मालूम नहीं कि उन्हें यह सूचना कहां से मिली। यह विधेयक सरकार की ओर से सभा में आया और इसे सरकार का पूर्ण समर्थन प्राप्त है। इस सम्बन्ध में किसी को मतभेद नहीं है।

श्री खाडिलकर ने आशंका प्रकट की कि कहीं यह निगम स्वयं चोरबाजार और दूसरी बुराइयों को प्रोत्साहन न दे। इस विधेयक के खंड 6 उप-खंड (2) को देखते हुए यह आशंका निराधार है। यह निगम ईमानदारी से और लोकहित में अनाज का व्यापार करेगा। इसके साथ ही इसे अनाज के व्यापार का एकाधिकार भी प्राप्त नहीं होगा। और लोग भी इस व्यापार में आ सकते हैं। केरल की खाद्य स्थिति पर चर्चा करते समय हमें मालूम हुआ कि व्यापारियों का रवैया सहयोग का नहीं है। इसलिये यह ज़रूरी हो गया कि सरकार इस निगम के द्वारा अनाज का व्यापार करे।

श्री जैन ने कहा कि अनाज के रेलगाड़ियों द्वारा लाये ले जाने पर इस निगम का एकाधिकार होना चाहिये। वास्तव में अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अन्तर्गत सरकार को बहुत से अधिकार प्राप्त हैं। वह उन शक्तियों को प्रयोग में ला सकते हैं। खाद्य मंत्री ने इस सम्बन्ध में कई बार अपनी नीति स्पष्ट की है। तो जिस तरीके से यह निगम व्यापार शुरू कर रहा है, उस पर किसी को आपत्ति नहीं होगी चाहिये।

श्रीमती लक्ष्मीबाई ने कहा कि निगम के बोर्ड पर किसानों का भी एक डायरेक्टर होना चाहिये। इसके लिए कोई रोक नहीं। सरकार यह कर सकती है।

विधेयक में सलाहकार समितियों के बारे में उपबन्ध रखा गया है। यह समितियां अत्यन्त आवश्यक हैं। इन से मश्वरा लेते रहना चाहिये।

निगम का कार्यक्षेत्र व्यापक हो जिससे कि यह जनहित और व्यापार के हित में काम कर सके और सरकार की नीतियों को भी व्यक्त करता रहे। इस सम्बन्ध में नौकरशाही

रवैया नहीं अपनाया जाना चाहिये। यह अच्छी बात है कि निगम को उर्वरक वितरण और किसानों को प्रोत्साहन देने का काम सौंपा जा रहा है। हमें मालूम है कि उर्वरक किसानों तक नहीं पहुंच रहे हैं।

मद्रास में इस निगम का मुख्यालय सम्भवतः इसलिये रखा जा रहा है कि दक्षिणी राज्यों में विशेषकर मैसूर और केरल में जहां कि अनाज की कमी है अनाज जल्दी २ पहुंचाया जा सके। इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिये। सरकार इसका मुख्यालय किसी और स्थान पर भी रख सकती है।

निगम को इस बात की ओर ध्यान देना चाहिये कि सहकारी समितियां और व्यापारी लोग बेकार न होने पायें। सभी व्यापारी बेईमान नहीं। निगम को क्रय और विक्रय के लिए सहकारी समितियों, व्यापारियों आदि को अपना एजेंट नियुक्त करना चाहिये ताकि उन्हें बेकारी का सामना न करना पड़े। मुझे भरोसा है कि सरकार अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अन्तर्गत इस आशय के नियम बनायेगी कि यदि व्यापारियों का रवैया ठीक नहीं रहा तो सरकार उन से अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुएं वसूल कर सकेगी। यदि सरकार को अनाज के व्यापार का एकाधिकार भी प्राप्त करना पड़े तो इस में कोई बुराई नहीं। यदि यह निगम कोई मुनाफा कमायेगा तो वह लोकहित पर ही खर्च होगा। इसके अलावा निगम का लेखा जोखा संसद् में भी पेश होगा जहां कि इस पर चर्चा हो सकती हो।

मुझे भरोसा है कि जब राज्य निगम स्थापित किये जायेंगे तो यह निगम राज्य सरकारों से भी सलाह मश्वरा लेता रहेगा।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मुझे भरोसा है कि यद्यपि इसकी पूंजी केवल एक सौ करोड़ रुपया होगी, फिर भी इसका कारबार इस से कहीं अधिक होगा। यह व्यापारियों पर निगाह रखेगा और इस से व्यापारी लोग स्वयं सही मार्ग पर चलते रहेंगे।

Shri Y. S. Chaudhary (Mahendragarh) : Mr. Chairman. One does not find anything in the Bill to assure us that the difficult food situation as also the problem of rising prices could be solved or that a fair deal could be assured to the cultivators. The main problem before the country is that of greater production and efficient and smooth distribution. It is alleged that traders are not behaving and that they are indulging in hoarding and profiteering. Some of the Members have brought in the name of cultivators as well. It has been said that there is a collusion between the farmer and the trader and that is why prices are not coming down. I was really surprised to hear that allegation. I come from Punjab and I know that the Punjab farmer is better off as compared to his counterparts in other States. I am not prepared to accept that farmer is responsible for all the trouble. I do not know what vested interest is there which has brought about this so-called farmer trader collusion. It is not possible and I do not know how Shri Khadilkar has made such a statement. It is good that his statement has been refuted by Members from his own party.

We do not find anything in this Bill which goes on to suggest that the interests of the farmers would be safeguarded by the proposed Corporation. It is also not known how consumers' interests would be safeguarded. The Bill provides mainly for appointment etc. of directors. It does not lay down any concrete suggestion or plan of action which would be followed. The Corporation, when it enters the market, would have to face the day to day

[Shri Y. S. Chaudhary]

problems relating to trade. What is their solution ? What is the agency through which the Corporation would make procurement etc. ? A broad outline of all that should have been given in the Bill.

The fact is that farmer has all along been exploited by the middleman and the trader. In this context it would be unfortunate if anybody suggests that there is collusion between the farmer and the trader. If that is the attitude of some of the people towards the farmer, then we are afraid the problem of production would never be solved in this land of ours.

How the proposed Corporation would keep itself in touch with the farmer and how it would carry on its operations nobody knows. The Bill is silent on the issue. There should be farmer representatives on the Board of Directors of the Corporation ; otherwise it would not serve the purpose which the Government has in view. It must have liaison with the producer and the consumer and it must protect their interests. The Bill should be amended to provide for farmers' representation on the Board of Directors of the Corporation.

A question has been raised about the part that the State Governments would have to play in the functioning of the Corporation. I do not think that Corporation could work smoothly without taking the State Governments into confidence. A solution can be found to the problem by arriving at some understanding with the State Governments on a certain point. There has to be co-operation in this matter between the State Governments and the Corporation.

Certain dissenting voices have been raised about locating the headquarters of the Corporation at Madras. I do not know why it should be objected to. Heavens are not going to fall if it remains in Madras. Those who are opposing it are led by parochial considerations. They do not help the cause of nationalism by raising such frivolous objections.

I have grave doubts about the implementation part of the whole scheme. The Corporation, it is apprehended, might only keep itself busy with paper work with the result that the farmers might not get any real benefit from its operations. The farmer may have again to seek refuge with the trader, for the disposal of his produce and for his cash requirement. If that happens the hon. Minister would have to wind up the proposed Corporation after some time.

श्री पु० र० पटेल : मैं विधेयक का समर्थन करता हूं और मैं यह चाहता हूं कि इसमें जो उद्देश्य बताये गये हैं उनकी पूर्ती हो। यह विधेयक कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिये उत्तम है। इससे उपभोक्ताओं को लाभ होगा। इससे कृषकों को न्यूनतम मूल्य की गारंटी भी मिल जायेगी और उपभोक्ताओं के हितों की सट्टेबाजी से रक्षा हो सकेगी। यह बड़े दुःख की बात है कि यद्यपि हमने किसानों को लाभप्रद मूल्य देने के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है परन्तु विधेयक के उपबन्धों में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है। मेरे विचार में यदि इस विधेयक में इस बात का उल्लेख कर दिया जाता तो अच्छा होता।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे खाद्य तथा कृषि मंत्री कृषि मूल्य आयोग बनाने में कुछ हिचकिचा रहे हैं। उन्हें शीघ्र इसे मनोनीत करना चहिये। इस के साथ ही मैं उन्हें

प्रधान मंत्री द्वारा राष्ट्र को दिया गया वह वचन याद दिलाना चाहता हूं कि इस आयोग में किसानों के प्रतिनिधि भी रखे जायेंगे ।

[डा० सरोजिनी महिषी पीठासीन हुई ।]
[**Dr. Sarojini Mahishi** *in the chair.*]

मुझे आशा है कि माननीय मंत्री उस वचन को पूरा करेंगे और इस प्रकार अपने इस महान् कृत्य में किसानों का सहयोग प्राप्त करेंगे । मैं उनकी कठिनाइयों को जानता हूं । माननीय मंत्री जल्दी से जल्दी महाखण्डों को खत्म करना चाहते थे जिससे राज्यों के बीच अनाज का स्वच्छन्द आवागमन हो सके, परन्तु कुछ राज्यों और कुछ मुख्य मंत्रियों ने इसका विरोध किया और इसलिये वह ऐसा नहीं कर सके । मैं चाहता हूं कि उनकी बात सब मानें । परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि केन्द्र और राज्यों के बीच खींचतान चल रही है और सब राज्य अपने लोगों के हितों की रक्षा करते हैं, सारे देश के हित को नहीं देखते । मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार से खाद्य निगम सफल हो सकेगा ।

आखिर खाद्य निगम को तो राज्यों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा और यदि राज्य इस प्रकार से व्यवहार करेंगे तो क्या खाद्य निगम सफल होगा । मंत्री महोदय इस पर विचार करें ।

इस विधेयक में हम देखते हैं कि एक संचालक मण्डल होगा, एक प्रबन्धक मण्डल होगा और कई अन्य बोर्ड तथा सलाहकार होंगे । माननीय मंत्री को यह स्पष्ट रूप से इस विधेयक में उपबन्ध कर देना चाहिये कि इन मण्डलों के कम से कम आधे सदस्य किसानों के प्रतिनिधि होंगे । मुझे आशा है कि माननीय मंत्री ऐसा आश्वासन दग ।

इस देश में कई लोग ऐसे हैं और उन में पढ़े लिखे लोग भी हैं जो यह समझत हैं कि किसान लोग व्यापारियों के साथ मिल कर अन्न को छिपा लेते हैं । लेकिन उन की यह धारणा गलत है । ऐसे किसान आधे प्रतिशत से भी कम होंगे जिनमें अनुचित संग्रह करने का सामर्थ्य है । यदि कुछ लोग ऐसे हैं भी तो इसमें बुराई क्या है ? परन्तु दुर्भाग्य से आजकल किसानों को गाली देना कुछ फैशन सा बन गया है ।

प्रशासन वाले समझते हैं कि बाहर के लोग दुष्ट और मुनाफाखोर तथा चोरबाजारी हैं और बाहर के लोग प्रशासन वालों को भ्रष्ट तथा अनैतिक कहते हैं । इस प्रकार दोनों में खींचतानी चल रही है । जब तक दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगे तब तक कोई योजना सफल नहीं हो सकेगी । यदि माननीय मंत्री कृषक वर्ग पर भरोसा करेंगे तो वे कृषि मंत्री के रूप में अवश्य सफल होंगे ।

मैं जानता हूं कि इस मंत्रालय में कइयों की कब्र खुद चुकी है और इसका कारण यह है कि यद्यपि सब से ऊपर का व्यक्ति बहुत अच्छा होता है परन्तु उसके नीचे जो अफसर होते हैं, जो वहां बैठे हैं, उनकी वही नौकरशाही मनोवृत्ति चली आ रही है । इसीलिये हम यह चाहते थे कि सब जगह लोकप्रिय मंत्रिमंडल होने चाहियें ।

श्री अल्वारेस : एक व्यवस्था का प्रश्न है । क्या प्रकोष्ठ में बैठे अफसरों की ओर इशारा करके यह कहना उचित है कि वे कब्र खोदने वाले हैं ?

सभापति महोदय : आप सामान्य रूप से उनका उल्लेख करें परन्तु दीर्घा में बैठे अफसरों की ओर विशेष रूप से निर्देश न करें।

श्री पु० र० पटेल : मेरा यह निवेदन है कि हम पहले किसानों और उनकी कठिनाइयों को समझें और तब वे हमारी मदद करेंगे। इस विधेयक का एक मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ाना है, परन्तु इस विधेयक में किसानों की आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए निगम के किसी पदाधिकारी पर जिम्मेदारी नहीं डाली गई। यह बड़ी अजीब चीज है।

एक और चीज़ विधेयक में यह कही गई है कि यह अनाज का व्यापार व्यावसायिक तरीके से करेगा। व्यावसायिक तरीके से ये शब्द अस्पष्ट हैं। व्यापारिक या व्यावसायिक समवाय लाभ कमाते हैं। मैं यह स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि इस निगम का कुल लाभ 6 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। इससे उपभोक्ताओं को लाभ होगा। परन्तु यदि यह लाभ निगम के संचालकों, सलाहकारों आदि कर्मचारियों की सेना ही खा जायेगी तो इससे उपभोक्ताओं को क्या लाभ होगा ?

Shri Rameshwaranand : This would provide some relief to some of the educated unemployed.

श्री पु० र० पटेल : किसानों को कैसे लाभ होगा ? सरकार को इस पर विचार करना चाहिये। यदि हम एक रुपये पर एक आना लाभ कमायेंगे तभी हम व्यापारियों का मुकाबला कर सकेंगे और लोगों के सामने एक उदाहरण उपस्थित कर सकेंगे।

खण्ड 40 बड़ा अजीब है। इस में लिखा है कि निगम का कोई कर्मचारी अच्छी नीयत से किये गये किसी काम के लिये उत्तरदायी नहीं ठहराया जायेगा। व्यवहार प्रक्रिया संहिता में ऐसा खण्ड है। यह अंग्रेज़ों की देन है कि राजा कोई गलती नहीं कर सकता और इसलिये उसका नौकर भी कोई गलती नहीं कर सकता।

मैं यह कहना चाहता हूं कि अब यह सिद्धान्त पुराना हो गया है और हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने भी इस सिद्धान्त को अस्वीकार कर दिया है। परन्तु हम निगम के कर्मचारियों के बारे में इस खण्ड को इस विधेयक में रख रहे हैं। सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिये।

श्री करुथिरमण (गोबी चेट्टिपलयम) : मैं खाद्य निगम विधेयक का समर्थन करता हूं। यदि यह विधेयक न आता तो किसानों को आजकल की कीमतें न मिलती। यदि यह निगम न बनाया जाता तो व्यापारी स्थिति से लाभ उठाते और नियत मूल्य उत्पादकों के लिये लाभप्रद न होता। हमारी यह कामना है कि खाद्य निगम सफल हो।

इस विषय में दो महत्वपूर्ण चीज हैं। पहली तो इस से किसका सम्बंध है ? वे किसान हैं। दूसरे अनाज को खरीदने का तरीका। सबसे पहले तो उत्पादकों को उचित मूल्य मिलना चाहिये। उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में यह लिखा है कि इस विधेयक का उद्देश्य उत्पादकों को न्यूनतम मूल्य दिलाना है, जो कि समय समय पर निर्धारित किया जाये। यह भ्रामक है। कृषि आयोग में किसानों का एक भी प्रतिनिधि नहीं है।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह तो अभी बना ही नहीं है।

श्री करुथिरमण : उन्होंने तदर्थ मूल्य तो निर्धारित कर दिये हैं। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री उत्पादकों के प्रतिनिधित्व का ध्यान रखेंगे ।

अगस्त में कुछ मूल्य निर्धारित किये गये थे। धान का मूल्य अगस्त में 40–44 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था। परन्तु नवम्बर में इसे 5 रु० प्रति क्विंटल घटा दिया गया। ऐसी हालत में किसानों को सुरक्षा कैसे रहेगी ?

सरकार ने जो उचित मूल्य निर्धारित किया है उसके लिये मैं उसे बधाई देता हूं। परन्तु मैं यह नहीं कह सकता कि यह उत्पादक के लिये लाभप्रद मूल्य है। हमारी पंचवर्षीय योजनायें हैं। उत्पादकों के लिये कम से कम पंचवर्षीय आधार पर लाभप्रद मूल्य निर्धारित किये जायें। तभी वे खाद्य उत्पादन बढ़ा सकेंगे। यदि आप दो महीने के अन्दर 5 रु० प्रति क्विंटल दाम घटा देंगे तो वे अपने आप को सुरक्षित अनुभव नहीं करेंगे ।

मूल्य नीति जिस प्रकार से लागू की जा रही है उससे किसान यह समझते हैं कि उनके साथ न्याय नहीं किया जा रहा है। इन परिस्थितियों में उनके लिये उत्पादन बढ़ाना असम्भव है।

खाद्य निगम अनाज का राज्य व्यापार व्यावसायिक सिद्धांतों के आधार पर करेगा। अनाज की वसूली पदाधिकारी करेंगे। मैं पुराने अनुभव के आधार पर यह कहना चाहता हूं कि पदाधिकारियों द्वारा अनाज की वसूली ठीक नहीं है और न्यायसंगत नहीं होगी। उपलब्ध फालतू अनाज निगम ले लेगा। यह उपलब्ध फालतू अनाज क्या है ? कोई पदाधिकारी मनमाने ढंग से यह निर्धारित कर देगा कि उपलब्ध फालतू अनाज कितना है। इस प्रकार किसी किसान से अधिक लिया जायेगा किसी से कम ।

यदि आप उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो वसूली की प्रणाली उप-शुल्क के सिद्धांत अर्थात, प्रति एकड़ फसल पर आधारित होनी चाहिये ।

उपलब्ध फालतू अनाज दो तरीकों से वसूल किया जाना चाहिये—एक तो खाद्य निगम द्वारा और दूसरे स्वच्छंद व्यापार द्वारा। मेरे विचार में वर्तमान पदाधिकारी वसूली का काम अच्छी तरह कर नहीं सकेंगे। इसका हमें कटु अनुभव है। वसूली समान आधार पर की जानी चाहिये। यदि किसी के पास एक एकड़ भूमि है तो उसे एक बोरा धान या चावल देना चाहिये और दो एकड़ वाले को दो बोरे और इसी प्रकार दस एकड़ के स्वामी को दस बोरे। यदि कोई अधिक दे तो निगम को उसे प्रति क्विंटल धान या चावल पर 5 रुपये बोनस देना चाहिये। यदि आप इस प्रकार से प्रोत्साहन देंगे तो बड़े बड़े किसान जो अनाज को जमा करके रखते हैं, अपना अनाज निगम को स्वयं देंगे। आप प्रत्येक गांव या जिले के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित कर दें और उतना अनाज वसूल कर लें, तो कोई कठिनाई नहीं होगी ।

यदि धान या चावल को अच्छी प्रकार से रखा न जाये तो यह खाने लायक नहीं रहता। यदि आप यह काम पदाधिकारियों को सौंपेंगे तो वे परवाह नहीं करेंगे। इसी कारण व्यापारियों के पास हमें अच्छा चावल मिलता है ।

यदि निगम वसूली आरम्भ करेगा तो यह तुरन्त दाम दे सकेगा और 24 घंटे के अन्दर माल उठा लेगा। उदाहरणार्थ मैं जब तंजौर में था तो एक सज्जन ने 3,000 बोरे चावल देने का प्रस्ताव किया था, परन्तु समाहार करने वाले पदाधिकारियों ने उन्हें नहीं उठाया ।

हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि यह विधेयक उत्पादकों और उपभोक्ताओं के लिये लाभप्रद है। परचून व्यापार को भी निगम को अपने हाथ में ले लेना चाहिये जिससे इसकी बुराइयां खत्म हो जायें। उत्पादकों को लाभप्रद और उचित मूल्य मिलना चाहिये। वसूली के लिये उप-शुल्क (लेवी) प्रणाली अपनायी जाये ।

श्री उमानाथ (पुट्टकोटै) : सत्तारूढ़ दल इस विधेयक को बड़ी धूमधाम से लाया है जैसे कोई बड़ी चीज़ आने वाली हो। स्वतंत्र दल ने भी इस विधेयक की बड़ी सुनहरी तस्वीर खींची है।

हमारा यह अनुमान है कि इस विधेयक से यह पता लगता है कि भुखमरी के बावजूद भी सरकार अपनी वर्तमान विनाशकारी खाद्य नीति में कोई आमूल परिवर्तन करने को तैयार नहीं है।

खाद्य को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिये ऐसी नीति अपनानी चाहिये जिससे ये जमींदारों और थोक व्यापारियों के चगुंल से छूट जायें। परन्तु सरकार की नीति इसके विपरीत रही है और वह उन पर भरोसा करती रही है। सितम्बर को संकट के समय श्री सुब्रह्मण्यम ने इस बात को माना था कि जमींदार और थोक व्यापारी अनाज को जमा किये हुए हैं। हमने मार्च के वाद-विवाद के समय इसकी चेतावनी दे दी थी। परन्तु तत्कालीन खाद्य मंत्री श्री स्वर्ण सिंह ने उस समय यह आशा प्रकट की थी कि चावल की स्थिति सुधर रही है और यह इन पर भरोसा करके ही कहा गया था ।

सरकार को अनुचित संग्रह और मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि के कारण होने वाली मुसीबत का मार्च में ही पता लग गया था। श्री स्वर्ण सिंह ने इसका उल्लेख भी किया था। श्री सुब्रह्मण्यम को जमींदारों और थोक व्यापारियों की साजिश का पता लग गया परन्तु फिर भी वे उन पर भरोसा कर रहे हैं ।

हमारी सरकार 17 बरस से तजुर्बे करती रही है कि किसी तरह खाद्य समस्या हल हो जाय लेकिन उसने जमींदारों और थोक व्यापारियों को बने रहने दिया है। अब भी इस विधेयक में यही कहा गया है कि खाद्यान्न निगम द्वारा खाद्यान्न व्यापार में सर्वोपरी स्थान पाने की "आशा" है। सरकार इस प्रकार की अनगिनत आशाएं दिलाती रही है और सदा असफल रही है।

इस निगम के साथ अन्य थोक व्यापारी रहेंगे जिनसे निगम को प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी। सरकार को आशा है कि छोटे और मध्यम वर्ग के किसान निगम को ही अपना अनाज बेचेंगे क्योंकि उन लोगों को ऋण दिया जायगा। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि ऋण लेने में इतनी उलझनें होंगी, देर लगेगी और रिश्वत चलेगी कि किसान साहूकारों से ही ऋण लेंगे और उन्हें अपना अनाज थोक व्यापारियों को ही बेचना पड़ेगा। सरकार के पास यही तरीका रह जायेगा कि उनके मुकाबिले में आएं और जैसा कि श्री गाड़गिल ने 16 सितम्बर, 1964 के "इस्टर्न इकेनोमिस्ट" में लिखा है थोक व्यापारी सरकार द्वारा निर्धारित उचित मूल्य से कुछ अधिक दे कर किसानों से अनाज खरीद लेंगे और सारा अनाज उनके कब्जे में चला जायगा। यही बात अ० भ० कांग्रेस कमेटी के **इकानामिक रिव्यू** में कही गयी है ।

सरकार यहां यह कह सकती है कि निगम किसी भी थोक व्यापारी से कह सकता है कि वह अपना अनाज निगम को दे दे। लेकिन इसका क्या परिणाम होगा यह **इकानामिक रिव्यू** में कहा गया है कि अनुभव से यही प्रमाणित होता है कि निगम के अधिकारी छिपे अनाज को नहीं पकड़

पाएंगे। उसके बाद श्री सुब्रह्मण्यम बड़े भोले बन कर यह कहेंगे कि हजारों गांव देश में हैं जहां पुलिस की कार्यवाही या भारत प्रतिरक्षा नियम लागू नहीं हो सकते। इस निगम पर करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद भी स्थिति वैसी ही बनी रहेगी।

श्रीमान्, आज देश के सामने इस के सिवाए और कोई चारा नहीं है कि सारे जमींदारों और थोक व्यापारियों को निकाल बाहर किया जाय और सरकार अनाज का थोक व्यापार अपने हाथ में ले ले।

1957 में अशोक मेहता समिति ने यह कहा था कि खाद्यान्न व्यापार का समाजीकरण कर दिया जाय। इस बात को संसद ने स्वीकार कर लिया था। 1958 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में कहा गया कि अनाज के व्यापार में सरकार का एकाधिकार ही एकमात्र उपाय है। सरकार को सात वर्ष का समय मिला लेकिन उसने कोई भी व्यवस्था नहीं की। यह तो एक बहाना मात्र है। सरकार चाहे तो अभी अनाज में राज्य व्यापार प्रारम्भ कर सकती है। उसे चाहिए कि गैर सरकारी थोक व्यापार पर प्रतिबंध लगा दे। उस के बाद सारा बिकाऊ अनाज उसके पास ही आएगा सरकार खेती के केन्द्रों में बैंक खोल दे जहां किसान अपना अनाज बेच सकते हैं। तीसरा कदम यह हो सकता है कि सारे गैर सरकारी गोदामों को ले लिया जाय।

श्री सुब्रह्मण्यम ने हाल ही में कहा है कि सारे देश के अनाज को राज्य व्यापार के अन्तर्गत लाया जाये तो उस के लिए 3,000 करोड़ रुपये की जरूरत है। लेकिन यह बात गलत है। देश का सारा अनाज 8 करोड़ टन है जिस की कीमत 3,000 करोड़ रुपये बैठती है। लेकिन इसका एक तिहाई बिकाऊ होती है और वह भी विभिन्न मौसमों में। बैंक भी सरकार को कर्जा दे सकते हैं जैसे वे व्यापारियों को देते थे। तो, पैसा और प्रशासन की व्यवस्था की कठिनाइयां वास्तव में नगण्य हैं और उनके कारण सरकार द्वारा अनाज का व्यापार अपने हाथ में लेने में बाधा नहीं पड़ेगी। लेकिन असली बाधा क्या है, जिससे सरकार मुंह छिपा रही है? 'इकनामिक वीकली' के जुलाई के विशेषांक में केरल के सत्तारूढ़ दल के सम्बंध में कहा गया है कि सरकार और सत्तारूढ़ दल के लिए बढ़ती हुई कीमतों के बारे में कुछ भी करना कठिन होगा। बड़े बड़े थोक व्यापारी और जमींदार कांग्रेस पर छाए हुए हैं और वे अपने हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध हैं। सरकार द्वारा अनाज का थोक व्यापार अपने हाथ में लेने में कोई बाधा है तो यह है कि सत्तारूढ़ दल के नेताओं का जमींदारों और जमाखोरों के साथ गठजोड़ है। यही कारण है कि राज्य सरकारें कुछ नहीं करतीं और केन्द्र उन्हें विवश नहीं कर रहा। श्री सुब्रह्मण्यम और श्रीमती इंदिरा गांधी ने विरोधी दलों के इन तत्वों के साथ गठजोड़ की जो तस्वीर खींची है, वह झूठी है। जब तक कांग्रेस के साथ जमींदारों और जमाखोरों के गठजोड़ को नहीं तोड़ा जाता समस्या हल नहीं होगी।

श्री च० का० भट्टाचार्य (रायगंज): माननीय सदस्य ने, जो मुझसे पहले बोल चुके हैं, मंत्रियों के वक्तव्यों का हवाला दिया है। सरकार ने जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है वह उन पर कार्यवाही करने से क्यों कतराती है, इस का वास्तविक कारण यह है कि जब सरकार—पश्चिमी बंगाल का उदाहरण मेरे सामने है—मूल्य नियत करती है तो कम्यूनिस्ट मित्र गांवों में जा कर किसानों को उकसाते हैं कि धान 12 रु० मन से कम न बेचें और शहरों में लोगों से कहते हैं कि 16 रु० मन चावल की मांग करें।

[श्री सोनावने पीठासीन हुए । **Shri Sonawane** *in the chair.*]

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । लेकिन अच्छा होता कि सरकार को यह विधेयक लाने के लिए मजबूर न होना पड़ता ।

विधेयक को सभा में लाने से पहले इसकी भली प्रकार छानबीन होनी चाहिए थी । मुझे ऐसा लगता है कि इसके कुछ हिस्सों का मसौदा अच्छी तरह तैयार नहीं किया गया । इसलिए मैंने कुछ संशोधनों की पूर्व सूचना दी है । खंड 7 (ई) में मेरा संशोधन यह है कि 12 में से 6 संचालक (डायेरक्टर) गैर सरकारी व्यक्ति होने चाहिएं । खंड 14 में कहा गया है कि कम से कम एक संचालक गैर सरकारी व्यक्ति होगा लेकिन खंड 7 में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गयी है । मालूम होता है कि इसमें भूल रह गयी है ।

विधेयक में कहा गया है कि निगम के अध्यक्ष को वेतन नहीं मिलेगा लेकिन खंड 8 में उस की गणना वेतन भोगी अधिकारियों में की गयी है । आशा है कि मंत्री महोदय इन त्रुटियों को दूर कर देंगे ।

विधेयक का समर्थन करते समय मैं यह चेतावनी दूंगा कि इसकी सफलता अधिकारियों के काम करने के ढंग पर निर्भर होगी । सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अधिकारी वर्ग ठीक ढंग से काम करें ।

मंत्री महोदय को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अनाज बरबाद न हो । इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गोदामों में या बांटते समय अनाज खराब न हो ।

श्री अल्वारेस (पंजिम) : यह बिल तो अच्छा है लेकिन कठिनाई यह है कि सरकार को इस के लिए विवश होना पड़ा है । बिगड़ती हुई खाद्य स्थिति, विशेषकर केरल राज्य की स्थिति से सरकार को ऐसे काम के लिए मजबूर होना पड़ा जो कि योजनाबद्ध विकास के युग में बहुत पहले किया जाना चाहिए था । यदि सरकार अशोक मेहता समिति की सिफारिशों पर अमल करती तो स्थिति इतनी न बिगड़ती जितनी कि बिगड़ गयी है ।

इस प्रकार की विवशता आ जाने से नीति और संगठन में बड़ी विषमता आ गयी है । खाद्यान्न निगम की नीति पर राज्यों के मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन के इस निर्णय का प्रभाव पड़ रहा है कि खाद्य जोन बने रहेंगे और फालतू अनाज राज्य सरकारें खरीदेंगी । यदि अनाज खरीदना राज्य सरकारों का ही काम है तो खाद्यान्न निगम तो वितरण करने वाला संगठन ही बन जायगा । खाद्य मंत्री ने कहा है कि निगम का एक उद्देश्य होगा कि अनाज खरीदे । मैं समझता हूं कि इसका मुख्य उद्देश्य अनाज खरीदना होना चाहिए ।

यदि खाद्य निगम उस ढंग से अनाज खरीदे जिसका सुझाव अशोक मेहता समिति ने दिया था तो मुझे विश्वास है कि देश समृद्धिशाली बनेगा । निगम का मुख्य काम खरीदने का ही होना चाहिए । उसे उचित दामों पर किसानों से अनाज खरीदना चाहिए । तभी किसानों को उचित प्रोत्साहन मिल सकता है और उन्हें उद्योगपतियों के स्तर पर लाया जा सकता है अब तक किसान लद्दू जानवरों की तरह रहे हैं और इस कारण सामाजिक विकास में बाधा आई है । सामाजिक विकास के लिए यह जरूरी है कि कृषि क्षेत्र को ऊपर उठाया जाय वह तभी हो सकता है जब कि खाद्यान्न निगम किसानों से माल खरीदे ।

निगम के अस्तित्व के लिए यह ज़रूरी है कि अनाज खरीदने का अधिकार केवल निगम को ही हो, राज्य सरकारों को नहीं। नहीं तो उन दोनों में परस्पर प्रतिस्पर्द्धा होने लगेगी।

जहां तक निगम के व्यापारिक ढंग से चलाए जाने का सम्बंध है, इस का मतलब यह हुआ कि वह सस्ते से सस्ते दामों खरीदे और अधिकाधिक दाम पर बेचे। लेकिन अनाज ऐसे दाम पर खरीदना चाहिए जिससे किसान को उचित दाम मिल सकें। और बिक्री के दाम ऐसे हों जिन में लागत के अतिरिक्त थोड़ा-सा मुनाफ़ा हो। इसलिए "वाणिज्यिक आधार" शब्द विधेयक से निकाल दिए जाने चाहिएं।

मैं समझता हूं कि निगम को गांवों में अनाज के वितरण की व्यवस्था लोगों के हाथ में ही रहने देनी चाहिए और केवल तालुकों में ही वितरण करना चाहिए।

जहां तक वितरण का सम्बंध है, उसमें अधिक मुनाफ़ा कमाने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए।

Shri S. D. Patil : Sir, This Bill will not bring any benefit to the cultivators regardless of the claims made in its statement of objects and reasons.

The main object of the Bill is to ensure a minimum price to the cultivators and protection of the consumers against speculative tendencies I would, therefore, welcome the provisions of the Bill which seek to ensure that.

Clauses 28 to 30 of the Bill make salutory provisions for meeting the difficulties of the cultivators ; the provision with regard to the grant of loans by the Corporation to the farmers is particularly welcome.

The provision with regard to the purchase of foodgrains after the harvest is also very important. The provision regarding advance of loans against agricultural produce should also include oilseeds.

The most important function of the Corporation has been rightly stated in Clause 30 as increasing the agricultural production in the country.

The hon. Minister has expressed the hope that a direct link between the farmers and the Corporation would be established ; it would be very welcome if it came to pass. What happened till now was that the farmer was exploited by the moneylenders ; the prices of agricultural produce fell at the time of the harvest. The provisions of the Bill seeking to support the farm prices are welcome.

While speaking on the food situation in the country on the 10th September last the Minister had expressed the view that all the various measures would yield results only if the farmer felt that he was being benefited. The most important thing was to ensure a remunerative price to the farmer. If it is not possible to make a specific provision in that regard in the Bill itself, the hon. Minister should be able to state that the Agricultural Prices Commission would be able to ensure that. Such an assurance should be held out by the Government.

श्री सेझियान (पैराम्बूर) : श्रीमन्, यह बड़ी खुशी की बात है कि सरकार खाद्यान्न निगम की स्थापना करने जा रही है। अब हमें इस प्रश्न को ठीक ढंग से निपटाना चाहिए क्योंकि हम समाज के लिए महत्व के इस प्रश्न को जमींदारों या मुनाफ़ाखोरों की दया पर नहीं छोड़ा जा सकता। इस बात में सन्देह है कि निगम अनाज को ठीक ढंग से खरीद और

बेच सकेगा । मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि वह इस काम को करे तो पूरी तरह करे क्योंकि ग़ैर सरकारी व्यक्ति इस व्यापार में लगे रहेंगे तो मुनाफ़ाखोर इस सरकार को हरा देंगे और निगम को असफल बना देंगे ।

सरकार की खाद्य नीति की एक कमज़ोरी कई वर्ष से यह रही है कि कोई निश्चित और स्पष्ट नीति थी ही नहीं । लक्ष्य रखे गए, बदले गए, कृषि के कई तरीके अपनाए गए, आन्दोलन चले लेकिन स्पष्ट खाद्य नीति नहीं रही । विभिन्न उपाय अपनाए गए जैसे ज़ोनों की व्यवस्था, बफर स्टाक, न्यूनतम मूल्य आदि लेकिन खाद्य समस्या वैसी की वैसी बनी रही । और आज उस समस्या ने संकट का रूप धारण कर रखा है ।

न केवल कोई निश्चित खाद्य नीति ही नहीं रही, जब कभी अधिक अनाज पैदा हुआ है, सरकार आत्मतुष्ट हो कर बैठी रही है जिसका परिणाम यह हुआ है कि आज अन्न संकट है तो वह कुछ नहीं कर पा रही ।

1961 में खाद्य मंत्री श्री पाटिल ने कहा था कि तीन वर्ष के बाद बाहर से अनाज नहीं मंगाना पड़ेगा और 1964 में फिर उन्हें कहना पड़ा कि अभी हम अनाज के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हो पाए हैं ।

डा० मा० श्री अणे : इस विधेयक के लाने का मतलब यह है कि सरकार स्वयं इस बात को स्वीकार कर रही है कि वह व्यापारियों को समझदारी से काम करने के लिए राज़ी करने में असफल रही है । अब उनके सामने सिवाए इस तरह का कानून पास करने के और कोई चारा नहीं है ।

खाद्य नीति के दो अंग हैं : उत्पादन और वितरण । यह विधेयक केवल वितरण नीति के सम्बन्ध में है । उत्पादन राज्य सरकारों के हाथ में है । उन्हें चाहिए कि ऐसी नीति अपनाएं जिससे किसान अधिक अनाज उत्पन्न करे और खाद्य निगम को चाहिए कि किसानों को उचित मूल्य दे और साथ ही यह भी देखे कि उपभोक्ताओं को अधिक दाम न देने पड़ें ।

यह ठीक ही है कि खाद्यान्न निगम वाणिज्यिक दृष्टि से काम करे । इसका यह मतलब नहीं है कि यह किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के हितों की रक्षा नहीं कर सकेगा । लेकिन इसे राजनीतिक प्रभाव से दूर रखा जाना चाहिए ।

लेकिन यदि राज्य सरकारों का सहयोग प्राप्त नहीं होगा तो निगम द्वारा सरकार की नीति पर अमल करना मुश्किल हो जायगा । राज्य खाद्यान्न निगम बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि राज्यों के हित सुरक्षित रहें ।

डा० सरोजिनी महिषी (धारवाड़—उत्तर) : हमारी खाद्य स्थिति की कमज़ोरी न केवल देश की स्थिति बिगाड़ रही है बल्कि यह भी सम्भव है कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ऐसी स्थिति पैदा हो जाये जो हमें पसन्द न हो ।

हमारे देश की 71 प्रतिशत जनता खेती करती है लेकिन फिर भी पैदावार कम है इस ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए । सिंचाई की अधिक व्यवस्था करके खेती को प्रोत्साहन देना चाहिए ।

अनाज की कमी की स्थिति में खाद्यान्न निगम देश के लिए लाभदायक होगा लेकिन यह सोचना चाहिए कि फालतू अनाज पैदा होने की दशा में इसके पास क्या काम रह जायेगा ।

विधेयक में ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि गैर सरकारी लोग भी संचालक-मंडल के लिए नामजद किए जा सकें। खंड 39 और 40 में संचालकों को बहुत अधिकार और विमुक्तियां दी गयी हैं। यह ठीक नहीं है । हमें चाहिए कि उनकी उपेक्षा आदि से हानि हो तो उन्हें जिम्मेदार ठहराएं ।

निगम को चाहिए कि सबसे अधिक ध्यान खेतिहर को प्रोत्साहन देने की ओर दे । सभी प्रकार के अनाज के न्यूनतम और अधिकतम मूल्य तो निर्धारित कर दिए गए हैं लेकिन मैं ने देखा है कि धान के मूल्य किसानों के लिए लाभदायक नहीं हैं और इसीलिए धान बाज़ार में नहीं आ रहा ।

रेल द्वारा अनाज भेजने का एकाधिकार निगम को नहीं होना चाहिए क्योंकि इस से यह डर पैदा हो सकता है कि कहीं स्थिति और न बिगड़ जाय ।

श्री मोहम्मद इस्माइल (मंजेरी) : खाद्यान्न निगम विधेयक इसलिए लाना पड़ा है कि खाद्य संकट पैदा हो गया है। मद्रास और केरल राज्यों में अन्न संकट अधिक विकट है। सरकार ने दो दिन पहले यह कहा था कि संकट से निपटने के लिए कार्यवाही कर ली गई है । लेकिन व्यवस्था ठीक नहीं हो पाई और इसी कारण मुझे इस बात में सन्देह है कि खाद्यान्न निगम सफल हो सकेगा ।

केरल में सदा चावल की कमी रही है । वहां चावल की पैदावार बढ़ाई नहीं जा सकती क्योंकि ज़मीन ही खाली नहीं है । सरकार को इस स्थिति का भली भाँति ज्ञान है । फिर भी वह कोई कार्यवाही नहीं कर पाई है । मद्रास में भी अनाज की कमी है हजारों लोग कतारें बांधे दुकानों के आगे खड़े रहते हैं लेकिन दिन भर खड़े रह कर सेर डेढ़ सेर चावल मिल पाता है । कई जिलों में चावल के बोरे रेलवे स्टेशन पर पड़े सड़ रहे हैं लेकिन सरकार उन्हें लोगों तक पहुंचा नहीं सकी ।

उधर चावल से लदे जहाज़ बन्दरगाहों में खड़े रहे और सरकार उनसे माल नहीं उतरवा सकी। तो अब केवल खाद्य निगम बनाने से क्या काम चलेगा जबकि उसमें उसी सरकार के अधिकारी रहेंगे जो आज तक स्थिति को संभालने में असफल रही है ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने सरकार की नीति का आम तौर पर समर्थन किया है ।

खाद्य समस्या को हल करने से पहले हमें उसके आकार को देखना होगा । हमें न केवल प्रस्तुत जनसंख्या के लिए अनाज की व्यवस्था करनी है बल्कि आने वाली पीढ़ी का भी ध्यान रखना है । 1970 तक देश में 50 करोड़ से अधिक लोग हो जायेंगे । इसलिए कोई यह आश्वासन नहीं दे सकता कि निकट भविष्य में हम अनाज के मामले में आत्म-निर्भर हो जायेंगे । जब तक हम अपनी ज़रूरत का अनाज नहीं उगा सकते तब तक बाहर से अनाज मंगाते रहना पड़ेगा। लेकिन साथ ही उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न भी करना होगा ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।]

[**Mr. Speaker** *in the chair.*]

अनाज की स्थिति पर सभी को चिन्ता है और वितरण की व्यवस्था करने के साथ ही साथ हमें उत्पादन बढ़ाने की ओर भी ध्यान देना पड़ेगा। आशा है कि हम में अनाज संकट की चुनौती को स्वीकार करने की भावना उत्पन्न होगी, यदि हम कोई ऐसा काम करते हैं जिससे अनाज के उत्पादन में बाधा आती है तो हमारी वितरण नीति भी असफल हो जायगी। इसलिए हमारी खाद्य नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे उत्पादन को प्रोत्साहन मिले। इसलिए मैं किसानों के लिए उचित मूल्य देने को महत्वपूर्ण मानता हूं। जब तक उसे प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, उत्पादन नहीं बढ़ेगा। हम उस नीति को मान चुके हैं और मुझे खुशी है कि इस दिशा में एक कदम उठाया जा चुका है। तदर्थ मूल्य निश्चित किए जा चुके हैं जिससे कि फसल के दिनों में भी किसान के लिए आकर्षण रहे।

हम कृषि मूल्य समिति बनाने का भी फैसला कर चुके हैं। आशा है कि यह समिति किसान और समुदाय दोनों से न्याय करेगी जिससे कि अधिक उत्पादन का प्रोत्साहन मिले। लेकिन साथ ही हमें उपभोक्ताओं से भी न्याय करना है। उसे भी उचित दामों पर अनाज मिलना चाहिए। इस आधार पर हमने विभिन्न राज्यों में उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के लिए मूल्य निर्धारित कर दिए हैं।

अब सवाल यह है कि इस नीति को कैसे कार्यान्वित किया जाय क्या अनाज व्यापार को अबाध छोड़ देने से इस पर अमल हो सकता है ? क्या हम यह आशा कर सकते हैं कि व्यापारी किसान को उचित मूल्य दे देंगे, क्योंकि व्यापारियों की नीति यह है कि कम से कम दाम पर खरीदें और अधिकाधिक दाम पर बेचें। वे ऐसी स्थितियां पैदा कर देंगे और हम उन्हें दोष नहीं दे सकेंगे। क्योंकि व्यापारी की सफलता की कसौटी उस का मुनाफा है। हमने व्यापारियों को बिना किसी पाबन्दी के काम करने दिया और उस का नतीजा हमारे सामने है। हमने केरल में और अन्य स्थानों पर उस नीति का परिणाम देख लिया है।

इसलिए यह ज़रूरी है कि हमारे पास बाज़ार पर नियंत्रण रखने की कोई व्यवस्था हो। कानूनी नियंत्रण काफी नहीं है; हमारे पास नियंत्रण के आर्थिक हथियार होने चाहिएं। और वह आर्थिक हथियार यह निगम है। इसलिए आशा है कि माननीय श्री डांडेकर इस निगम को इस रूप में देखेंगे और इसे कोई राक्षस नहीं समझेंगे जो कि व्यापारियों को निगलने जा रहा है। कुछ लोग यह सोचने की गलती करते हैं कि लोग व्यापार के लिए हैं लेकिन सच तो यह है कि व्यापार लोगों के लिए है। विभिन्न हितों की रक्षा करनी है और उसके लिए सन्तुलित दृष्टिकोण जरूरी है। स्वतंत्र पार्टी एकतरफा बात सोचती है; इसीलिए उसकी नीति में विरोधाभास और विषमताएं हैं।

जब तक खाद्यान्न निगम को अनाज के व्यापार में सर्वोपरि स्थान प्राप्त नहीं होता वह हमारी नीति को लागू नहीं कर सकेगा। विधेयक में केवल खाद्यान्न निगम बनाने की व्यवस्था है। उसे कौन सी शक्तियां दी जानी चाहिएं और दी जा सकती हैं, उसकी व्यवस्था अन्य कानूनों में है। अनाज के समाहार या उसे लाने ले जाने का एकाधिकार अन्य कानूनों के अन्तर्गत दिया जा सकता है। संसद् ने ये अधिकार सरकार को दे दिए हैं और वह उनका उपयोग कर रही है।

उसी दृष्टिकोण से हमें यह भी देखना है कि यह निगम न केवल किसानों का बल्कि उपभोक्ताओं का भी मित्र हो और उन दोनों की भलाई के लिए काम करे। ऐसा वातावरण नहीं बनना चाहिए—जैसा कि अनिवार्य राशन के दिनों में हुआ था—कि निगम तो किसानों के दमन के लिए ही बना है। मैं चाहता हूं कि निगम इस ढंग से काम करे कि किसान यह महसूस करे कि यह उनका मित्र है। इस ढंग से देखा जाय तो माननीय सदस्य महसूस करेंगे कि यह निगम बेकार का शक्तिहीन संगठन नहीं होगा। इसके पास समुचित शक्तियां होंगी और यह विभिन्न स्थितियों से निपट सकेगा।

एक प्रश्न यह भी है कि निगम को एकाधिकार दिया जाय या कि व्यापारी भी अपना काम करते रहें। इस सम्बन्ध में मैं कोई राय नहीं देना चाहता। यह तो इस बात पर निर्भर होगा कि व्यापारी किस ढंग से कार्य करते हैं। यदि व्यापारियों ने अपने कार्यों से हमें इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि समाहार का एकाधिकार निगम के हाथ में हो तो मैं सभा को विश्वाह दिलाता हूं कि सरकार उसमें झिझकेगी नहीं। इस लिए यह जरूरी है कि सरकार के पास समुचित शासन तंत्र हो जिसका वह समय पर उपयोग कर सके।

निगम का समुचित रूप से संगठन हो जाय तो उस के बाद सोचेंगे कि गैर-सरकार व्यापार को हाथ में लेना चाहिए या नहीं लेकिन संगठन के बिना हम स्थापित व्यवस्था को छिन्न भिन्न नहीं कर सकते।

मुझे किसी विचारधारा से कोई वास्ता नहीं, मैं तो इस चिंता में हूं कि परिणाम प्राप्त हों। हमें व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना है, नारे या विचारधाराएं नहीं देखनीं। इसलिए हमें उचित तैयारी किए बिना राज्य व्यापार आदि प्रारंभ नहीं करना है क्योंकि उस स्थिति में असफलता निश्चित है। हमें यह देखना है कि खाद्यान्न निगम के बनते ही हम समाहार का एकाधिकार अपने हाथ में ले सकते हैं या नहीं। लेकिन ऐसा करना तो असफलता को गले लगाना होगा। हमें धीरे धीरे उस उद्देश्य की ओर बढ़ना है, अपने को संगठित और मजबूत बनाना है जिस से कि हम कठिन से कठिन स्थिति से निबट सकें।

कुछ लोग पूछते हैं कि इस सारे मामले में गैर-सरकारी व्यापारियों का क्या काम होगा। वह इस बात पर निर्भर होगा कि अन्तरिम काल वे कैसे काम करते हैं। यह कोई धमकी नहीं है, इस आवश्यकता को देखते हुए ही यह बिल लाया गया ह। यह ठीक है कि यह बहुत पहले आना चाहिए था लेकिन हर व्यक्ति अपने अनुभव से सीखता है। इसी दृष्टिकोण से हमें देखना है कि निगम के कार्य को कैसे सफल बनाया जा सकता है। मैं ने जानबूझ कर यह कहा है—और विधेयक में व्यवस्था की है कि यह निगम वाणिज्यिक संगठन के रूप में कार्य करे। कारण यह है कि यदि यह सरकारी नियमों में बंध जायगा तो अपने उद्देश्यों में सफल नहीं होगा। हम चाहते हैं कि प्रारंभ से ही यह संस्था इस ढंग से संगठित हो कि वह अपने काम में सफल हो सके।

हम विभिन्न प्रकार के अधिकारियों की भरती भी इसी दृष्टिकोण से कर रहे हैं। इसीलिए किसी सरकारी अधिकारी को निगम का अध्यक्ष नहीं बनाया है। एक युवक को जो किसी बैंक का सफल संचालक रह चुका है इस पद के लिए चुना गया है। जब हम अन्य पद पर नियुक्तियां करेंगे तो यह देखेंगे कि उम्मीदवारों में वाणिज्यिक संस्था में काम करने की योग्यता है या नहीं। केवल प्रशासनिक योग्यता नहीं देखी जायगी। इस दृष्टि से बड़ी अच्छी शुरुआत की गई है। हम चाहते हैं कि निगम का ढांचा

ऐसा हो कि उस में वाणिज्यिक दृष्टि से कार्यकुशलता आय । इस सम्बन्ध में हम कलकत्ता की भारतीय प्रबन्ध संस्था से सलाह ले रहे हैं । इसलिए मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि निगम ऐसी संस्था नहीं होगी जिसमें सैंकड़ों अफसर केवल वेतन पाने के लिए ही बैठे हों ।

मैं चाहता हूं कि निगम को वाणिज्यिक संस्थाओं की कसौटी पर ही आंका जाय । मुझे निश्चय ह कि इसे कुशल वाणिज्यिक संस्था बनाना संभव है । आशा है कि हमें इस में सफलता मिलेगी ।

यह प्रश्न पूछा गया कि यदि निगम वाणिज्यिक संस्था बना तो क्या वह मुनाफा कमाने के लिए है । मैं यह नहीं कहुंगा कि निगम मुनाफा कमाने के लिए है लेकिन जो मुनाफा आम व्यापारियों को होता है वैसा ही इस निगम को भी होगा । हमने उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए मूल्य निर्धारित कर दिए हैं । यदि व्यापारी निर्धारित उपभोक्ता मूल्य पर बेच कर मुनाफा कमा सकते हैं तो निगम के लिए भी मुनाफे की गुंजाइश है । यदि वह ऐसा कर सके तो बड़ी अच्छी बात होगी । आजकल व्यापारी शिकायत करते हैं कि जो उपभोक्ता मूल्य निर्धारित किए गए हैं, उन से उन्हें कोई मुनाफा नहीं होता । लेकिन उस का कारण यह है कि उन्हें 25 से 100 प्रतिशत तक मुनाफा कमाने की आदत पड़ी हुई है । लेकिन निगम यह प्रमाणित कर देगा कि निर्धारित मूल्यों पर बेच कर समुचित मुनाफा कमाया जा सकता है ।

विधेयक में एकाधिकार की व्यवस्था नहीं की गयी, जरूरत होगी तो सरकार निगम को एकाधिकार दे देगी । वह तो अत्यावश्यक पण्य अधिनियम या भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत दिया जा सकता है । आशा है कि इस की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जो क्रय हो रहा है उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि इन कानूनों का प्रयोग नहीं किया जायगा तो व्यापार पर नियंत्रण करना संभव नहीं होगा ।

अनाज लाने ले जाने सम्बन्धी नीति की आलोचना की गयी है लेकिन जब तक इस पर प्रतिबन्ध नहीं था, कीमतें बढ़ती ही रही हैं । केरल में चावल की कीमत 60 रु० क्विंटल की बजाय 110 या 120 रुपये तक गयी है । ऐसी बातों की इजाजत नहीं दी जा सकती । इसलिए हमें यह प्रबन्ध करना पड़ा कि राज्य सरकारें ही अनाज भेजें या मंगाएं।

एकाधिकार के प्रश्न को किसी विशेष विचाराधारा के दृष्टिकोण से नहीं देखा जा रहा बल्कि व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है । यदि निगम को एकाधिकार या विशेष शक्तियां देने की जरूरत पड़ी तो सरकार को उसमें कोई झिझक नहीं होगी ।

मद्रास में निगम का प्रधान कार्यालय बनाने का निर्णय सुविधा को देखते हुए किया गया है । निगम को सब से अधिक खरीद या वसूली चावल की करनी पड़ेगी । इसे अधिकतर गेहूं और चावल से ही वास्ता पड़ेगा । गेहूं लेने की जरूरत शायद न पड़े क्योंकि 45 लाख टन गेहूं तो बाहर से मंगाया जा रहा है । उससे हमारा काम चल जाना चाहिए । लेकिन चावल हमें देश में ही खरीदना पड़ेगा । उस के लिए मुख्य क्षेत्र हैं : आंध्र, मद्रास, पंजाब, मध्य प्रदेश और उड़ीसा । मद्रास में प्रधान कार्यालय होने से चावल खरीदने और उसे जरूरत के अनुसार भेजने में सुभीता रहेगा । इसीलिए मद्रास को चुना गया है और किसी विचार से नहीं ।

राज्य सरकारों के सहयोग के बिना निगम का काम सफल नहीं हो सकता । लेकिन राज्य सरकारों को प्रतिनिधित्व देने से उन में संघर्ष की संभावना थी, इसलिए निगम को केन्द्र तक ही सीमित रखा गया है । हां, जरूरत पड़ने पर निगम की शाखाएं कुछ क्षेत्रों या राज्यों में हो सकती हैं । वहां पर राज्य सरकारें भी अपने प्रतिनिधि भेज सकती हैं । यदि कोई राज्य सरकार अपना खाद्यान्न निगम बनाना चाहे तो उस के लिए भी व्यवस्था कर दी गयी है । लेकिन वह भारत खाद्य-निगम का सहायक निगम ही होगा ।

मुझे इस बात में सन्देह नहीं दिखाई देता कि राज्य सहयोग देंगे । आशा है कि राज्य सरकारें न केवल अपने राज्य बल्कि सारे देश के हित में सहयोग करेंगी ।

जहां तक अनाज की वसूली करने की समानांतर एजेंसियों की बात का सम्बन्ध है, राज्य सरकारों द्वारा वसूली तो एक अन्तरिम कदम है । निगम के बन जाने के बाद अनाज की वसूली का अधिकार केवल उसे ही होगा । राज्य के वसूली संगठन उसी में मिला दिए जायेंगे ।

जहां तक विधेयक को परिचालित करने या उसे प्रवर समिति को सौंपने सम्बन्धी संशोधनों का सम्बन्ध है, उनसे कोई लाभ नहीं होगा और इसलिए मैं उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं । अन्य संशोधनों पर मैं बाद में अपने विचार व्यक्त करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, उस पर जनमत जानने के लिए 20 फरवरी, 1965 तक परिचालित किया जाय ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

The Lok Sabha Divided

पक्ष में 11, विपक्ष में 88

Ayes 11 : Noes 88

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय द्वारा विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपे जाने का प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The motion to refer the Bill to a Select Committee was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनाज तथा दूसरे खाद्य पदार्थों के व्यापार के लिये खाद्य निगमों की स्थापना करने तथा तत्सम्बन्धी आनुषंगिक विषयों के सम्बन्ध में व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 2 was added to the Bill.

खंड 3, 4 और 5 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

Clause 3, 4 and 5 were added to the Bill.

खंड 6 (प्रबन्ध)

श्री दाण्डेकर : मैं अपना संशोधन संख्या 11 प्रस्तुत करता हूं ।

Shri Bibhuti Mishra : Sir, I beg to move my amendment No.10. The purpose of my amendment is that in Cl. 6 the words "public interest" should be replaced by the words "public and kisan interests." An express provision for the protection of the interests of the kisans is necessary and hence this amendment. There should be representatives of kisans on the Board of the Corporation.

श्री रंगा (चित्तूर) : यदि सरकार किसानों को विश्वास दिलाना चाहती है कि निगम के बनने से उनके हित खतरे में नहीं पड जायेंगे तो उसे यह संशोधन मान लेना चाहिए । सरकार अपने को जनसाधारण के हितों का रक्षक मानती है तो उसे किसानों के हितों का विशेष ध्यान रखने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए ।

इस प्रश्न पर दूसरे दृष्टिकोण पर भी विचार करना चाहिए । व्यापारियों, उपभोक्ताओं और किसानों—इन तीनों में से सबसे अधिक रक्षा की ज़रूरत भी किसानों को ही है । सरकार उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए तो सदा तत्पर रहती है और व्यापारी अपने हितों की रक्षा स्वयं कर सकते हैं । संशोधन में तो केवल इतना कहा गया है कि निगम के संचालकों को कहा जाय कि वे काम करते समय विशेष रूप से किसानों के हितों का ध्यान रखें । इसी के आधार पर सभी दलों ने निगम बनाने के प्रस्ताव का समर्थन किया है । यदि इस संशोधन को स्वीकार नहीं किया गया तो हम यही कह सकेंगे कि निगम उन लोगों के हितों की रक्षा के लिए है जो किसानों का भला नहीं चाहते बल्कि उनका दमन करना चाहते हैं ।

श्री नम्बियार : संशोधन संख्या 10 तो ठीक है लेकिन प्रश्न यह है कि 'किसान' कौन है । मुझे डर है कि किसान के नाम पर जमींदारों और महाराजाओं के प्रतिनिधि निगम में ले लिए जायेंगे । "जन हित" में किसान का हित भी आ जाता है और इसलिए मैं समझता हूं कि इस संशोधन को स्वीकार न किया जाय ।

श्री कृ० चं० शर्मा (सरधना) : मेरा सुझाव यह है कि "किसान" शब्द की बजाय "उत्पादक" शब्द रखा जाय ।

श्री खाडिलकर : "जनहित" शब्द बहुत व्यापक है और किसानों का हित भी उसमें शामिल है। उत्पादक, और उपभोक्ता दोनों आ जाते हैं। इसलिए इस संशोधन को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

श्री इन्द्रजीतलाल मल्होत्रा (जम्मू तथा काश्मीर) : मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि हमें मन्त्री महोदय को ऐसा जाहिर करने पर मजबूर नहीं करना चाहिए कि निगम केवल उपभोक्ताओं के हितों में ही काम करेगा और उत्पादकों तथा किसानों के हितों का ध्यान नहीं रखेगा। माननीय मन्त्री को चाहिए कि स्पष्ट रूप से कह दें कि निगम न केवल उपभोक्ता बल्कि उत्पादक और किसानों के हितों का भी ध्यान रखेगा।

श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी (सागर) : मेरा सुझाव यह है कि "जनहित" के स्थान पर "राष्ट्र हित" लिख दिया जाय। उसमें सारी जनता के हित आ जाते हैं।

श्री सोनावने (पंढारपुर) : "जनहित" शब्द की परिभाषा उच्च न्यायालयों ने भिन्न तरीके से की है जिसमें राज्य या सरकार के हित की बात सर्वोपरि है। इसका मतलब स्पष्ट रूप से यह नहीं है कि "उत्पादकों के हितों" की रक्षा की जायगी। लेकिन इस सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से व्यवस्था कर दी जानी चाहिए।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 2, पंक्ति 40 में "public interest"

["जनहित के लिये"] के स्थान पर "the interests of the producer and consumer"

["उत्पादक तथा उपभोक्ता के हित"] शब्द रखे जायं [53]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 11 रखा गया। तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 11 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड 6, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 6 संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 6, as amended was added to the Bill.

खंड 7—संचालक मण्डल

श्री विभूति मिश्र : मैं अपना संशोधन संख्या 12 प्रस्तुत करता हूं।

श्री द्वारका दास मंत्री : मैं अपना संशोधन संख्या 13 प्रस्तुत करता हूं।

श्री व० बा० गांधी : मैं अपना संशोधन संख्या 14 प्रस्तुत करता हूं।

श्री च० का० भट्टाचार्य : मैं अपने संशोधन संख्या 15 और 16 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री व० ब० गांधी (बम्बई नगर मध्य—दक्षिण): इस खण्ड में मेरा संशोधन यह है कि 12 संचालकों में से 2 पूरा समय काम करने वाले हों और ऐसे व्यक्ति हों जिन्हें कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो । और ये संचालक प्रबन्धक संचालक के साथ सहयोग करके काम करें जिससे एक त्रिमूर्ति सी हो जाय जो प्रबन्ध को सम्भाल ले । इसलिए विधेयक में विशेष रूप से यह व्यवस्था कर दी जानी चाहिए ।

Shri D. D. Mantri (Bhir) : The hon. Minister has moved an amendment to Cl. 6 which stipulates that the Directors would function keeping in view the interests of both consumers and producers. It would be better, therefore, if three representatives each of producers and consumers are included in the Board of Directors.

अध्यक्ष महोदय : तीन उत्पादकों के एक योजना आयोग का और दो अन्य ।

Shri D. D. Mantri : Yes, Sir. There will be one representative from Planning Commission too. This is because that Planning Commission should also keep in touch with it and should help the Corporation in other matters. The producers and the consumers should also be represented in it.

Shri Bibhuti Mishra : I want to submit that if the word 'food' includes meat, fish, egg, etc. then I have no objection. But if 'food' means foodgrains only as is evident from the Bill, then I would suggest that the word 'food' should be substituted by the words 'agricultural produce' wherever it occurs.

श्री च० का० भट्टाचार्य : खण्ड 7 में यह नहीं बताया गया है कि बोर्ड में कोई गैर-सरकारी व्यक्ति होगा भी या नहीं । वास्तव में यदि सरकार चाहे तो सारे ही सरकारी व्यक्तियों का बोर्ड बना सकती है । इसीलिये मैं ने यह सुझाव दिया है कि "who shall be non-officials" ("जो गैर-सरकारी व्यक्ति होंगे") शब्द जोड़ दिये जायेंगे । इस प्रकार संचालकों की संख्या 6 सरकारी और 6 गैर-सरकारी बराबर हो जायेगी ।

इस के बाद उपखण्ड (3) (ख) में लिखा है :

"receive such salary and allowances as the board of directors may, with the approval of the Central Government fix."

("वही वेतन और भत्ता मिलेगा जो संचालक-मण्डल केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से नियत करे ।")

मैं इस में निम्नलिखित शब्द जोड़ कर इसे स्पष्ट करवाना चाहता हूं :

"and shall be subject to such terms and conditions of service."

("और उन पर वही सेवा की शर्तें लागू होंगी" ।)

Shri Tulsidas Jadhav (Nanded) : Sir, I support the amendments moved by Shri Bibhuti Mishra and Shri Dwarka Das Mantri. The food production would not increase if there will be no representatives of food producers. I would, therefore, submit that there should at least three representatives of food producers in order to safeguard the interests of rural folk.

श्री सोनावने : श्रीमन्, मैं श्री मंत्री के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और इस बात पर बल देना चाहता हूं कि उत्पादकों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये, क्योंकि संचालक

मण्डल में कृषकों का एक भी प्रतिनिधि नहीं है। उनकी व्याहारिक कठिनाइयों को रखने के लिये कोई होना चाहिये। मंत्री महोदय को यह संशोधन अवश्य स्वीकार करना चाहिये।

Shri D. S. Patil : Sir, as regards amendment No. 12 by Shri Bibhuti Mishra I would like to point out that the words 'agricultural produce' cannot be substituted in the preamble of the Bill.

श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा : मैं श्री मंत्री के संशोधन का समर्थन करता हूं। किसानों और उत्पादकों के दृष्टिकोण को उचित प्रतिनिधित्व मिलना बहुत जरूरी है।

श्री रंगा : मैं इस बात का समर्थन करना चाहता हूं कि इस अपर्याप्त उपबन्ध में भी उत्पादकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : श्रीमन्, छै संचालकों को बिना किसी योग्यता के रखने का प्रस्ताव सरकार ने इस इरादे से नहीं रखा है कि उत्पादकों या अन्य हितों को प्रतिनिधित्व न दिया जाये। वे इसे इसलिये ऐसा रखना चाहते हैं जिस से कि सभी हितों को प्रतिनिधित्व मिल सके। मैं यह आश्वासन दे सकता हूं कि सभी हितों को उचित प्रनिनिधित्व दिया जायेगा। हम इस बारे में कोई बन्धन नहीं लगाना चाहते। मुझे आशा है कि मेरे इस आश्वासन को ध्यान में रख कर कि उत्पादकों को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा वे इस संशोधन पर आग्रह नहीं करेंगे।

इसी प्रकार यह भी आवश्यक नहीं है कि ये छहों गैर-सरकारी व्यक्ति हों। हमें स्टेट बैंक या किसी अन्य संगठन से भी किसी को लाना पड़ सकता है, जो सरकारी व्यक्ति होगा। जैसाकि मैंने पहले बताया गैर-सरकारी व्यक्ति भी होंगे और उत्पादकों के प्रतिनिधि भी। सभी बातों का ध्यान रखा जायेगा।

"और उन पर वही सेवा की शर्तें लागू होंगी।" इस संशोधन के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि उप-खण्ड (4) में हमने इसका उपबन्ध किया हुआ है।

मैंने यह नहीं कहा है कि पूरे समय कार्य करने वाले संचालक नहीं होंगे। परन्तु एक दूसरे निगम में पूरे समय कार्य करने वाले संचालक रखने का मुझे अनुभव है। इसलिये उस के कार्य को देख कर मैं बाद में इस पर निर्णय करूंगा। परन्तु पूरे समय कार्य करने वाले संचालक रखने में कोई बाधा नहीं है। मैं श्री गांधी की बात जरूर याद रखूंगा।

इसलिये मेरा यह नम्र निवेदन है कि इन में से कोई भी संशोधन आवश्यक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 12 से 16 मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

Amendments Nos. 12 to 16 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 7 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 7 was added to the Bill.

खण्ड 8—संचालक के पद के लिये अनर्हता

श्री च० का० भट्टाचार्य : खण्ड 8(ग) में यह लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति केन्द्रीय सरकार की राय में कदाचार का दोषी हो। कदाचार के कारण अनर्हता का उपबन्ध कई कानूनों और मैं समझता हूं कि संविधान में भी है। परन्तु वहां इस के साथ कोई शर्त नहीं लगाई गई। क्या इस बात का निर्णय केन्द्रीय सरकार करेगी कि क्या कदाचार है और क्या नहीं है। मेरे ख्याल में इस का निर्णय करना न्यायालय का काम है।

अध्यक्ष महोदय : न्यायालय को किसी को बताना तो पड़ता है। बाद में वे यह कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति कदाचार का दोषी है या नहीं।

श्री च० का० भट्टाचार्य : सभी कानूनों में "कदाचार" के साथ कोई शर्त नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : वहां भी नियुक्ति करने वाले अधिकारी के हाथ में होता है।

श्री च० का० भट्टाचार्य : "केन्द्रीय सरकार की राय में" ये शब्द लिखे हुए हैं।

डा० मा० श्री० अणे : मेरा यह सुझाव है कि "केन्द्रीय सरकार की राय में" के स्थान पर "कदाचार सम्बन्धी कोई अपराध" शब्द रख दिये जायें।

श्री कृ० चं० शर्मा : "कदाचार" मूल धारणा है, गौण धारणा नहीं है। अतः कदाचार स्वयं सिद्ध है। इसमें सरकार की राय की आवश्यकता नहीं है।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : किसी को तो निर्णय करना ही होगा और राय देनी होगी। मान लीजिये कोई व्यक्ति राजनैतिक अपराध का दोषी पाया जाता है, तो क्या यह कदाचार है। निश्चय ही नहीं। फिर तो हम सब ने कदाचार का पाप किया है। सब कानूनों में यही शब्दावलि प्रयोग की जाती है और मेरे विचार में यह रहनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 8 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 8 was added to the Bill.

खण्ड 9—संचालकों की पदच्युति और पदत्याग

श्री च० का० भट्टाचार्य : मैं अपना संशोधन संख्या 18 और 19 प्रस्तुत करता हूं :

यहां आप देखेंगे कि संचालक मण्डल किसी संचालक को हटा सकता है, यदि उस पर धारा 8 में उल्लिखित कोई अनर्हता लागू होती है या होती हो। इस के स्थान पर मैंने यह सुझाव दिया है कि उस के बारे में यह समझ लिया जायेगा कि उस ने पद खाली कर दिया है। इस में संचालक मंडल की इच्छा पर छोड़ दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति धारा 8(ग) के अन्तर्गत कदाचार का दोषी भी हो जाये तो भी संचालक मंडल को धारा 9(क) के अन्तर्गत उसे रखने की छूट होगी। संचालक मंडल को यह छूट नहीं मिलनी चाहिये। इस से प्रबन्ध संचालक और दूसरे संचालकों के बीच भेद-भाव हो

जायेगा। यदि आप 9(1) को पढ़ें तो आप देखेंगे कि प्रबन्ध संचालक चाहे अनर्ह भी हो जाये तो भी यदि केन्द्रीय सरकार चाहे तो उसे रख सकती है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रबन्ध संचालक भी तो एक संचालक होता है ।

श्री च० का० भट्टाचार्य : उन्हों ने यहां विभेद किया है ।

अध्यक्ष महोदय : दूसरे मामले में यदि वे हटाना चाहें तो स्पष्टीकरण मांग सकते हैं ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : इन अनर्हताओं के बिना उसे हटाया जा सकता है ।

श्री च० का० भट्टाचार्य : इस में प्रबन्ध संचालक को शामिल नहीं किया गया है । इसी कारण मैंने यह संशोधन दिया है ।

अन्य आनुषंगिक परिवर्तन भी कर दिये जायें ।

Shri D. D. Mantri : The intention behind my amendment is that the director should not have any such interest in the matter of contract or transport as may enable him to take undue advantage from the Corporation and if he does so he may be removed.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : श्रीमन्, शुद्धि-पत्र के अनुसार "other" ("अन्य") शब्द हटा दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : तो शायद श्री भट्टाचार्य अपने संशोधन पर आग्रह नहीं करेंगे ।

श्री च० का० भट्टाचार्य : मण्डल को अपराधी को रखने की छूट तो फिर भी बनी रहती है ।

श्री द्वारका दास मंत्री : मैं अपना संशोधन संख्या 20 प्रस्तुत करता हूं :

Secondly according to clause 12 Corporation has been empowered to nominate or appoint its employees. The intention of the second part of my amendment is that the director should not be allowed to appoint his own relations in the Corporation, And if his relations are employed in the Corporation he should not be allowed to continue as director.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : मुझे खेद है कि ये संशोधन अनावश्यक हैं । मैं पहले ही कह चुका हूं कि "अन्य" शब्द नहीं है । धारा 8 के अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया गया तो वह अनर्ह हो जायेगा । इसलिये संचालक मण्डल को कोई छूट नहीं होगी । एक बार उनके ध्यान में आने पर उन्हें उसे पद से हटाना पड़ेगा । धारा 9 में यह उपबन्ध है ।

श्री च० का० भट्टाचार्य : इसी कारण तो पद अपने आप खाली हो जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 18, 19 और 20 मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

Amendments Nos. 18, 19 and 20 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 9 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 9 was added to the Bill.

खण्ड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 10 was added to the Bill.

खण्ड 11—(सलाहकार समितियां)

श्री शं० शा० मोरे : श्रीमन्, मैं संशोधन संख्या 23 प्रस्तुत करता हूं । मान लीजिये यदि संचालक मण्डल पूरा का पूरा नौकरशाही हो जाये तो कम से कम सलाहकार मंडल में तो उत्पादकों और उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिये जिस से उचित सलाह मिल सके ।

श्री दे० शि० पाटिल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5, पंक्ति 6 में "The Government may" ["सरकार"] के बाद निम्नलिखित रखा जाय "in consultation with the Corporation" ["निगम के परामर्श से"] (21)

It provides that the Advisory Committee shall advise the Government and the Corporation whenever asked to do so and that the expenses in relation to the Advisory Committees shall be met by the Corporation. Therefore the State Government should appoint this committee in consultation with the Corporation. This is a very important amendment.

मैं संशोधन संख्या 25 भी प्रस्तुत करता हूं ।

Shri Tulshidas Jadhav: I support the amendment Nos. 22 and 23 moved by Shri D. S. Patil and Shri S. S. More which seek to include such persons in the Advisory Committees as represent the interests of producers and consumers. Hon. Minister has stated just now in reply to Shri Dwarka Das Mantri's amendment that he would keep that in mind but it need not be inserted in the Bill. While supporting the amendment Nos. 22 and 23 I would like to state that whenever any committee is constituted, whether in Parliament or in an Assembly, nobody cares as to what the Minister has said but the people go by the wording of the law. If the Minister says something in the House and it is not included in the law nobody is bound by that. Therefore it is essential that whenever an Act is enacted it should be properly worded only then the law makers are bound by that.

Further, Ministers could be replaced and his successor might not honour his words. Therefore, every law should be clearly enacted.

Recently we have seen the judgement given by the Supreme Court in the case of U.P. legislature *vs.* Allahabad High Court. While delivering their judgement they did not bother about what the framer of the Constitution Dr. Ambedkar had said in the Constituent Assembly regarding the relevant sections.

They gave their judgement on the basis of the written Articles of the Constitution. I would, therefore, suggest that the hon. Minister should accept the amendment of Shri S. S. More in order to make it more lucid.

अध्यक्ष महोदय : न्यायाधीश राजनीतिज्ञों की अपेक्षा कम गलती करते हैं ।

Shri Tulshidas Jadhav : That is why I want the Minister to accept the amendment so that his successor may not backout.

Mr. Speaker : The present Food Minister will not leave his post but if somebody replaces him he would keep his assurance. After all the assurances given in the House are Government assurances and there is the Assurances Committee. Therefore these could not be ignored ?

श्री सोनावने : श्रीमन्, माननीय मंत्री ने खंड 3 में जो संशोधन स्वीकार किया है, उसको देखते हुए श्री मोरे का संशोधन भी स्वीकार कर लेना चाहिये ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : मैं संशोधन संख्या 21 को स्वीकार करता हूं ।

संशोधन संख्या 22 के बारे में जिस में "उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हित का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति" रखने के लिये कहा गया है, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सलाहकार समिति प्रविधिक काम, जैसे कौन से रसायन का प्रयोग किया जाये इत्यादि के लिये हो सकती है । सलाहकार समितियां विभिन्न कामों के लिये होती हैं । आप किसी वैज्ञानिक समिति में उत्पादकों और उपभोक्ताओं का हित नहीं रख सकते । जब कभी उनके हित का सवाल होता है तो उसका ध्यान रखा जाता है । परन्तु इसका मतलब यह नहीं कि प्रत्येक सलाहकार समिति में उन्हें रखा जाये । अतः मैं इसे स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 5, पंक्ति 6,—

" Government may " ["सरकार"] के बाद निम्नलिखित रखा जाये—

"in consultation with the Corporation." ["निगम के परामर्श से"] (21)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 23 और 25 मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

Amendments Nos. 23 and 25 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 11, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 11, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 11, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 12 was added to the Bill.

खण्ड 13—(निगम के कृत्य)

श्री नारायण दाण्डेकर : मैं प्रस्ताव करता हूं :

(1) पृष्ठ 5, पंक्ति 35,—

अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—

" but not on a monopoly basis"

["परन्तु एकाधिकार के आधार पर नहीं" ।]

(2) पृष्ठ 6, पंक्ति 3,

"खाद्य पदार्थों" के बाद निम्नलिखित रख दिया जाय—

"but not on a monopoly basis"

["परन्तु एकाधिकार के आधार पर नहीं । "]

(3) पृष्ठ 6, पंक्ति 6,—

अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—

"but not on a monopoly basis"

[" परन्तु एकाधिकार के आधार पर नहीं ।"]

मैं विधेयक पर सामान्य वाद-विवाद के समय जो कुछ कह चका हूं उसके अतिरिक्त केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि यह सरकार के इरादे को स्पष्ट करने के लिये है चूंकि सरकार का इरादा अभी एकाधिकार देने का नहीं है इसीलिये मैंने ये संशोधन रखे हैं ।

श्री शं० शा० मोरे : मैं अपना संशोधन संख्या 32 पेश करता हूं।

श्री विभूति मिश्र : मैं अपना संशोधन संख्या 27 पेश करता हूं ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : यह तो संशोधन संख्या 12 के रूप में पहले ही अस्वीकृत हो चका है । यह आनुषंगिक है ।

अध्यक्ष महोदय : तब तो यह अवरुद्ध है ।

श्री दे० शि० पाटिल : मैं संशोधन संख्या 26 पेश करता हूं ।

Shri D. S. Patil : My amendment No. 26 is to clause 13 which relates to functions of the Corporation. During the last session in the course of the debate in the House on the motion regarding food policy which was adopted it was decided to give incentive price to farmers. I have brought this amendment in pursuance of that. It has been the policy of the Government to give price support to the farmers at the time of harvest. But the prices fixed are very

low and the farmer could not meet even the cost of production at these rates. Therefore purchases should be made by the Corporation at incentive price.

श्री शं० शा० मोरे : अनाज का उत्पादन बढ़ाना निगम का एक बड़ा जरूरी काम है। "ऐसे तरीकों से जो यह उचित समझे" ये शब्द बड़े अस्पष्ट हैं। मैंने उन्हें निश्चित और मूर्त रूप दे दिया है।

श्री हिम्मतसिंहका : खंड 13 में निगम के कृत्य बताये गये हैं। इसमें यह बताने की जरूरत नहीं है कि क्रय सस्ती दर पर किया जाये या ऊंची दर पर।

मैं भी इस सुझाव का समर्थन करता हूं कि निगम को अनाज का उत्पादन बढ़ाने की ओर भी ध्यान देना चाहिये। आखिर सारी कठिनाई तो उत्पादन कम होने के कारण ही है।

Shri Bibhuti Mishra : My amendment No. is 33. I have suggested that at page 6, after the word "mill" insert the words "jute mills", "oil mills" etc. wherever it occurs. If you do not consider jute mill as a processing industry then the amendment regarding oil mills may be accepted as it is a processing industry.

श्री सोनावने : मैं श्री दे० शि० पाटिल द्वारा प्रस्तुत प्रोत्साहन मूल्य संबंधी संशोधन संख्या 26 का समर्थन करता हूं। खाद्य मंत्री जी ने कहा है कि वे एक मूल्य समिति नियुक्त करेंगे, परन्तु यह नहीं बताया कि समिति कब नियुक्त की जायेगी, कब यह अपना काम खत्म करेगी और कब सरकार उसकी सिफारिशों को लागू करेगी। इसलिये इस में पांच से दस वर्ष तक लग जायेंगे। इस बीच सरकार द्वारा नियत तदर्थ मूल्य जारी रहेंगे। इसलिये इस समय संशोधन संख्या 26 का उपबन्ध शामिल करना जरूरी है।

Shri Tulshidas Jadhav : I support the amendment No. 32 moved by Shri Patil. In all the cases cost of production is taken into account while fixing the price, but in the case of agricultural produce the cost of production is not taken into account at the time of fixation of their prices. Now there would be monopoly purchases and the farmer will have no option. He will have to sell his produce at the fixed price.

Now, a ceiling has been fixed on the land owned by a farmer and that is why it is all the more necessary to implement the provision contained in amendment No. 32 moved by Shri More. We never pay due attention to the farmers' class and the difficulties faced by this class of people. He should be given an incentive price and his cost of production should also be taken into account. This is a good amendment and it should be accepted.

श्री रंगा : मैं पूर्णतया इस संशोधन के पक्ष में हूं।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : मुझे खेद है कि संशोधन संख्या 26, 29 और 32 असंगत हैं। जहां तक कि निगम के कृत्यों का प्रश्न है।

मूल्य तो कृषि मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित किया जायेगा। प्रोत्साहनदायक और लाभप्रद मूल्य निर्धारित करने का उत्तरदायित्व सरकार को अपने ऊपर लेना चाहिये। उत्पादक और उपभोक्ता का मूल्य निगम की मनमानी से निर्धारित नहीं किया जायेगा। वे अपना लाभ स्वयं निर्धारित करेंगे।

श्री सोनावने : यह कब नियुक्त किया जायेगा ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह पहले ही घोषणा की जा चुकी है कि जनवरी तक कृषि मूल्य आयोग नियुक्त कर दिया जायेगा और अगली खरीफ की फसल तक कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशें लांगू हो जायेंगी। यह कई बार बताया जा चुका है।

जहां तक एकाधिकार का प्रश्न है, इस अधिनियम के अधीन एकाधिकार का कोई सवाल नहीं है। हम अत्यावश्यक पण्य अधिनियम और भारत प्रतिरक्षा नियमों के अधीन आदेश देते हैं। माननीय सदस्य सरकार की इन शक्तियों को कम करना चाहते हैं। यह तो इन अधिनियमों में संशोधन करके ही हो सकता है। अतः मुझे खेद है कि श्री दांडेकर का संशोधन मुझे मान्य नहीं है।

Shri Tulshidas Jadhav : From 15th November onward no farmer could sell the foodgrains to any one except the Government. If anybody would purchase it he would be punished.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Sir, would this important Bill be passed without any quorum in the House ?

अध्यक्ष महोदय : सभा में गणपूर्ति नहीं है, घंटी बजाई जाये। सभा सोमवार के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार, 23 नवम्बर 1964/2 अग्रहायण, 1886 शक के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday November 23, 1964/Agrahanya 2, 1886 (Saka).

GMGIPND—LS III—2029 (A) LSD—14-2-65—960.